रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 26, 1990/आश्विन 4, 1912
No. 30] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 26, 1990/ASVINA 4, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया

(कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गठित)

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1990

फाइल सं. 104/18(लेखा).—31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष की दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की परिषद की दसवीं वार्षिक रिपोर्ट।

1. प्रस्तावना

कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 18(5) के अनुसरण में दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की परिषद की 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष की दसवीं वार्षिक रिपोर्ट और इस अवधि के लेखों के लेखा-परीक्षित विवरण तथा उन पर इंस्टीट्यूट के कामकाज को लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहर्ष प्रकाशित करती है। उक्त वर्ष की समाप्ति से रिपोर्ट की तारीख तक हुई इंस्टीट्यूट की महत्वपूर्ण गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।

2. नई पहलें

चालू वर्ष में मणिपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. और असम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. द्वारा सहायक कम्पनियों की सचिवीय लेखापरीक्षा आरम्भ कर देने से कम्पनी सचिव अधिनियम की धारा 2(2) में कम्पनी सचिवों के लिए प्रेक्टिस के रूप में जिस सचिव लेखा परीक्षा की व्यवस्था की परिकल्पना की थी, वह अब निश्चित हो गई है। इंस्टीट्यूट एक लम्बे अरसे से कम्पनी सचिवों के राष्ट्रीय संस्थानों के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध दृढ़ करना चाहता था। दि इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पोरेट सेक्रेटरीज ऑफ पाकिस्तान के साथ व्यावसायिक सहयोग के विनिमय के बारे में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करके तथा एशियन पेसिफिक फोरम, जिसमें आस्ट्रेलिया, हांगकांग, भारत, मलेशिया, न्यूजीलैण्ड, पाकिस्तान और सिंगापुर के प्रतिनिधि हैं, की बैठक में पहली बार भाग लेकर इंस्टीट्यूट के हाल के वर्षों में अपने कामकाज में वृद्धि और विकास में और महत्वपूर्ण आयाम जोड़ दिए हैं।

3. परिषद्

3.1 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

1 जनवरी, 1990 को परिषद् की बैठक में श्री श्यामल सेन ने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। 1 जनवरी, 1990 से एक वर्ष के लिए श्री डी.बी. जैन को अध्यक्ष और श्री एन. जे.एन. वजीफेदार को उपाध्यक्ष चुना गया। इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में श्री श्यामल सेन द्वारा की गई मूल्यवान सेवाओं के लिए परिषद ने उनकी सराहना की।

3.2 संरचना

केन्द्रीय सरकार ने एक सरकारी नामिती श्री वी. पी. विठल का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है और उनके स्थान पर दिल्ली के श्री डी.आर. मलिक को 1 जून, 1990 से नामित किया है। परिषद् के अन्य सभी सदस्य इस रिपोर्ट की तारीख तक अपने पद पर कार्य करते रहे हैं। परिषद् में सरकारी नामिती के रूप में श्री विठल द्वारा की गई मूल्यवान सेवाओं के लिए परिषद् उनकी सराहना करती है।

3.3 परिषदों आदि की बैठकें

परिषद् ने 1989-90 वर्ष में छः बैठकें रखीं।

3.4 परिषद् की समितियां आदि

अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार परिषद ने तीन स्थायी और पांच अन्य समितियां गठित की। इसके अलावा परिषद ने अपनी सहायता के लिए विभिन्न विशेषज्ञ ग्रुप और सलाहकार बोर्ड गठित किए। इनकी संरचना रिपोर्ट के परिशिष्ट 'क' में दी गई है।

4. क्षेत्रीय परिषदें और शाखाएं

4.1 क्षेत्रीय परिषदें

1 जनवरी, 1989 से तीन वर्ष के लिए जिन चार क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था, उन्होंने इस वर्ष अपनी गतिविधियां जारी रखीं। 1989-90 की उनकी वार्षिक रिपोर्ट से तैयार की गई वित्तीय स्थिति और उनकी गतिविधियों का सारांश परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है।

4.2 क्षेत्रीय परिषदों को अनुदान

क्षेत्रीय परिषदों द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थी परामर्शी कार्यक्रमों, मौखिक शिक्षण कक्षाओं, माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सदस्यों के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रम तथा अन्य गतिविधियों में और अधिक सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन देने के वास्ते यह तय किया गया कि कुल वार्षिक अनुदान की न्यूनतम राशि को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए और अधिकतम राशि 80,000 रुपए से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए कर दी जाए, जिसमें क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों को रखने और मुख्यालय के व्यय को पूरा करने की राशि भी शामिल है। परिषद् ने प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् के कर्मचारियों की संख्या भी 6 से बढ़ाकर 10 कर दी है, जिसमें एक शिक्षा अधिकारी भी शामिल है, ताकि विद्यार्थियों संबंधी कुछ गतिविधियों को विकेन्द्रीकृत किया जा सके।

4.3 शाखाओं को अनुदान

परिषद् ने पिछले वर्ष की तरह से इस वर्ष शाखाओं को दिए जाने वाले अनुदान की न्यूनतम राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए और अधिकतम राशि 20,000 रुपए से बढ़ा कर 40,000 रुपए कर दी है। इसके अलावा, 1 जनवरी 1989 से जिन शाखाओं के नियमित कार्यालय खोले हुए हैं, उनके कार्यालय अनुरक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए कर दी गई है। परिषद् ने बंगलौर और अहमदाबाद जैसी बड़ी शाखाओं के लिए अंशकालिक एकेडेमिक स्टाफ की स्वीकृति भी प्रदान की है।

4.4 शाखाएं

कम्पनी सचिव विनियम, 1982 के विनियम 143 के अनुसार चार क्षेत्रीय परिषदों के क्षेत्राधिकार के अधीन गठित 34 शाखाओं ने विद्यार्थियों की शिक्षा और प्रशिक्षण तथा सदस्यों के व्यावसायिक विकास संबंधी स्थानीय गतिविधियां आयोजित कीं।

4.5 सर्वश्रेष्ठ शाखा पुरस्कार का वितरण

8 फरवरी, 1990 को बम्बई में सेंटोर होटल में 18 राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जस्टिस पी. एन. भगवती ने वर्ष 1988-89 के लिए निम्नलिखित सर्वश्रेष्ठ शाखा पुरस्कार वितरित किए :—

(1) सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय शाखा पुरस्कार जयपुर (उत्तर)

(2) सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय शाखा पुरस्कार

(क) पूर्वी क्षेत्र	रांची
(ख) उत्तरी क्षेत्र	जयपुर
(ग) दक्षिणी क्षेत्र	बंगलौर
(घ) पश्चिमी क्षेत्र	अहमदाबाद

5. सचिवालय

सचिवालय की कार्यकुशलता और प्रभावकारिता को और बेहतर बनाने के लिए इंस्टीट्यूट के सभी कार्यों की आंतरिक लेखापरीक्षा का काम लेखापरीक्षकों की एक फर्म को सौंप दिया है। वर्तमान कार्य पद्धति का मूल्यांकन करने, आंतरिक कम्प्यूटीकरण के क्षेत्रों का पता लगाने, अनावश्यक स्किलों का निपटान करने, स्टाफ-आवश्यकताओं का निर्धारण करने और संशोधित संगठनात्मक संरचना के लिए सुझाव देने के वास्ते एक सुविख्यात परामर्शी संगठन को काम सौंपा गया है। कुछेक क्षेत्रों में कम्प्यूटर एजेंसियों की सेवाएं भाड़े पर लेने के अलावा आंतरिक कम्प्यूटरीकरण के कार्य को आरम्भ करने के लए मुख्यालय में एक कम्प्यूटर लगाया गया है।

6. सदस्य

6.1 सदस्यता

इस वर्ष 588 व्यक्तियों को एसोसिएट सदस्य और 125 एसोसिएट सदस्यों को फैलो सदस्यों के रूप में प्रवेश दिया गया। 31 मार्च, 1990 को इंस्टीट्यूट के रजिस्टर में 7257 सदस्य दर्ज थे, जिनमें 5657 एसोसिएट तथा 1600 फैलो सदस्य थे। 30 जून, 1990 को यह संख्या क्रमशः 7459, 5808 और 1651 थी। 31 मार्च, 1990 को विदेश में रहने वाले सदस्यों की संख्या 146 थी। समीक्षाधीन वर्ष में वार्षिक फीस की अदायगी न करने, मृत्यु अथवा त्यागपत्र देने के कारण 109 सदस्यों के नाम रजिस्टर में से काट दिए गए, जिनमें से 19 फैलो और 90 एसोसिएट सदस्य हैं। परिषद् को इस वर्ष 9 सदस्यों की मृत्यु की रिपोर्ट देते हुए दुख है।

6.2 प्रैक्टिस प्रमाण पत्र

इस वर्ष 122 सदस्यों को प्रैक्टिस के लिए प्रमाण-पत्र जारी किए गए। वर्ष के अन्त में 1225 सदस्यों के पास प्रैक्टिस प्रमाण पत्र थे, जबकि 30 जून, 1990 को यह संख्या 1236 थी। 89 सदस्यों के प्रमाण-पत्र वार्षिक फीस न देने, मृत्यु, प्रमाण पत्र वापस कर देने या अन्य कारणों से अयोग्य हो जाने के कारण रद्द कर दिए गए।

6.3 सदस्यों तथा प्रैक्टिस प्रमाणपत्रधारी सदस्यों में वृद्धि

सदस्यों में वृद्धि तथा प्रैक्टिस प्रमाण पत्रधारी सदस्यों के बारे में एक तालिका परिशिष्ट 'ग' में दी गई है।

6.4 सदस्यों की सूची

नियम 161 के साथ पठनीय कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 19(3) के अनुसरण में अप्रैल 1990 को सदस्यों की एक सूची प्रकाशित कर दी गई है जो सदस्यों को उनके अनुरोध पर सप्लाई की जाएगी।

7. व्यावसायिक विकास और अनवरत शिक्षा कार्यक्रम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इंस्टीट्यूट ने सदस्यों के लिए तथा सार्वजनिक उद्यमों में मध्य और उच्च स्तर पर कार्य कर रहे एक्जीक्यूटिवों के लाभ के लिए छः व्यावसायिक विकास कार्यक्रम और अनवरत शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए। आयोजित कार्यक्रम की एक सूची इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'घ' में दी गई है। लघु उद्योगों में प्रैक्टिसरत कम्पनी सचिवों की उपयोगिता और उनकी लाभकारिता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सहयोगी सचिवीय नैदानिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। व्यापार और उद्योगों के प्रयोग के लिए कम्पनी मीटिंग रेखांकित की एक फिल्म निर्माणाधीन है।

8. प्रकाशन

8.1 चार्टर्ड सैक्रेटरी

यह जर्नल पिछले 20 वर्षों से प्रकाशित हो रहा है और अपनी क्वालिटी और संबंधित सरकारी अधिसूचनाओं, कानूनी निर्णयों तथा सम्बन्धित अनुच्छेदों के बारे में तुरन्त सूचना देकर इसने अपनी प्रतिष्ठा लगातार बनाए रखी है, यह जर्नल सदस्यों और कम्पनी एक्जीक्यूटिवों के बीच प्रभावकारी संचार का माध्यम रहा है और इससे सदस्यों को व्यावसायिक ज्ञान की अद्यतन जानकारी दी है। अप्रैल 1989 में इस वर्ष बजट पर एक विशेषांक प्रकाशित किया गया।

8.2 मार्गदर्शी नोट्स

प्रैक्टिसरत कम्पनी सचिव अपने व्यवसाय में उच्च स्तर बना सकें और प्रैक्टिस के मान्य क्षेत्रों में अपने व्यावसायिक उत्तरदायित्वों को कुशलतापूर्वक निभा सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट की तारीख तक निम्नलिखित मार्गदर्शी नोट्स प्रकाशित हो चुके हैं:

(क) कोड ऑफ कंडक्ट फॉर कम्पनी सैक्रेटरीज़

(ख) कम्पाइलेशन ऑफ सर्च/स्टेट्स रिपोर्टस एंड सर्टिफिकेट्स टू फिनानशियल इस्टीटयूशनस

(ग) वेल्यूएशन अंडर दि वैल्थ टैक्स एक्ट, 1957

(घ) सर्टिफिकेशन्स अंडर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स (कंट्रोल) एक्ट, 1947

8.3 कम्पनी सैक्रेटरी प्रैक्टिस मैनुअल

परिषद् द्वारा गठित स्थायी सलाहकार ग्रुप खुले पत्रों में एक कम्पनी सैक्रेटरीज़ तैयार कर रही है जो कम्पनी लॉ और उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के सम्बन्धित प्रावधानों, पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, आयकर अधिनियम तथा एम. आर. टी. पी. एक्ट विभिन्न पहलुओं पर एक प्रामाणिक संदर्भ मैनुअल का काम करेगी। मैनुअल में मूल विधि और प्रैक्टिस नोट्स दोनों ही शामिल किए जाएंगे। मैनुअल का काम चल रहा है और इसका प्रथम भाग दिसम्बर 1990 तक प्रकाशित होने की आशा है।

8.4 सैक्रेटेरियल स्टेण्डर्डस्

स्टाक एक्सचेंज सुधारों पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति और बंसल समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट प्रतिभूतियों के अंतरण और पारगमन के विचार से चार्टर्ड सैक्रेटरी का सितम्बर 1990 का अंक में कम्पनियों के सचिवीय और शेयर विभागों की कार्यकुशलता को बढ़ाने सैक्रेटेरियल स्टेण्डर्ड-1 प्रकाशित कर रहा है।

8.5 निवेशकर्ताओं के लिए मार्गदर्शी माला

साधारण निवेशकर्ताओं के लाभ के लिए शेयर अंतरण के बारे में विधि तथा प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए एक छोटी-सी पुस्तिका स्टाक एक्सचेंजों के माध्यम से परिचालित की जा रही है, जिसमें सभी संबद्ध फार्म और आवेदन पत्र

दिए होंगे। इसी प्रकार एक और पुस्तिका 'राइट्स ऑफ फिक्सड डिपाजिट होल्डर्स' भी तैयार की जा रही है।

8.6 अन्य प्रकाशन

मुद्रणाधीन अन्य पुस्तकें इस प्रकार हैं:

(क) कम्पनी लॉ फार लेमैन

(ख) रिसर्च स्टडीज आन एनुअल रिपोर्टस् ऑफ कम्पनीज्

9. अनुसंधान

9.1 अनुसंधान अध्ययन

इंस्टीट्यूट ने—

(क) 'प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीज—डूज एंड डोंट्स' विषय पर एक अनुसंधान पुस्तक प्रकाशित की है।

(ख) 'डिस्क्लोजर ऑफ कारपोरेट डेटा इन एनुअल रिपोर्ट्स' विषय पर एक अध्ययन पूरा कर लिया है।

9.2 अनुसंधान सलाहकार ग्रुप

1 जनवरी, 1990 से इंस्टीट्यूट की मूल अनुसंधान गतिविधियों को और दृढ़ करने के लिए इंस्टीट्यूट ने कम्पनी लॉ बोर्ड के भूतपूर्व सदस्य श्री आर. एन. बंसल की अध्यक्षता में एक सलाहकार ग्रुप गठित किया है। तब से कुछ अनुसंधान योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिनमें एक योजना 'सेक्रेटरीज पार्टीसिपेशन इन दि बोर्ड' पर है।

9.3 विशेषज्ञ सलाहकार ग्रुप

परिषद् ने कम्पनी लॉ प्रैक्टिस और सचिवीय प्रैक्टिस की जटिल समस्याओं पर सदस्यों को विशेषज्ञ की सलाह प्रदान करने के लिए भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जस्टिस पी. एन. भगवती की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ सलाहकार ग्रुप का गठन किया है और 'चार्टर्ड सैक्रेटरी' के जून 1990 के अंक में सदस्यों से पूछताछ करने की प्रक्रिया प्रकाशित की गई है।

10. रोजगार अवसर

इंस्टीट्यूट चैम्बर्स ऑफ कामर्स, ब्यूरो ऑफ पब्लिक एण्टरप्राइजेज और अन्य संस्थाओं के माध्यम से अपने सदस्यों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका का प्रचार करने का अपना प्रयास जारी रखे है। इंस्टीट्यूट ने उन विदेशी सरकारों को भी लिखा है, जिन्होंने अपने कम्पनीज एक्ट में अर्हताप्राप्त कम्पनी सेक्रेटरी की नियुक्ति अनिवार्य कर दी है; इन सरकारों से कहा गया है कि वे इंस्टीट्यूट की सदस्यता को भी कम्पनी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्ति की मान्य अर्हताओं में से एक अर्हता स्वीकार कर लें। वित्त/लेखा पदों पर भर्ती के लिए कम्पनी सचिवीयता की अर्हता को शामिल करने के बारे में राज्य सरकारों और सरकारी कम्पनियों को भेजे गए ज्ञापनपत्रों के आधार पर कर्नाटक सरकार ने महाप्रबन्धक और उप महाप्रबन्धक के पदों पर तरक्की देने के लिए कम्पनी सचिवीयता की अर्हता को मान्यता प्रदान कर दी है। इंस्टीट्यूट बैंकिंग विभाग और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के साथ भी लगातार प्रयास कर रहा है कि वे अपने विभागों में उन लोगों को प्रोत्साहन और मान्यता प्रदान करें, जो इंस्टीट्यूट की परीक्षाएं पास कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट और इसकी क्षेत्रीय परिषदें तथा शाखाएं रोजगार सेवा योजना के अन्तर्गत कम्पनियों को रोजगार सेवाएं प्रदान करने का काम जारी रखे है। वर्ष के दौरान रोजगार सेवा योजना के अन्तर्गत इंस्टीट्यूट के मुख्यालय में रोजगार के लिए बनाई गई उपयुक्त सदस्यों की सूचियां को 122 कम्पनियों के पास भेजा गया और इन कम्पनियों से यह भी अनुरोध किया कि इन सूचियों में से जिन उम्मीदवारों को वे चुनें, उनके ब्यौरे इंस्टीट्यूट को दें अथवा और विस्तृत पैनल प्राप्त करने के लिए वे 'चार्टर्ड सैक्रेटरी' में विज्ञापन दें।

11. व्यवसाय की मान्यता

11.1 प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिव और रोजगार

वर्ष के दौरान और अगस्त 1990 तक प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों के लिए निम्नलिखित मान्यताएं प्राप्त हुईं:

(क) आयात तथा निर्यात नीति 1988-91 के अधीन ओ जी एल के अन्तर्गत पुस्तकों के आयात के लिए प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं द्वारा पुस्तकों की कुल वार्षिक बिक्री के बारे में प्रमाणीकरण।

(ख) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के लिए 'खोज रिपोर्टों' को जारी करना।

(ग) कम्पनी विनियमावली, 1956 के विनियम 4 के अधीन धारा 25 के बारे में आवश्यक घोषणा करना।

(घ) (i) मणिपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. (मानिडको), इम्फाल; और

(ii) असम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि., द्वारा प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों से सहायक कम्पनियों की वार्षिक सचिवीय लेखा-परीक्षा का आरम्भ होना।

(ङ) कम्पनियों को ऋण की मंजूरी और संवितरण तथा खोज रिपोर्टों के बारे में प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों द्वारा 'मानिडको' के लिए विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करना।

(च) पूंजी निर्गमन नियंत्रक ने फैसला किया है कि पूंजी निर्गम के आवेदन पत्रों के साथ कम्पनी सचिव का प्रमाणपत्र साथ लगा होना चाहिए, जिसमें वह पुष्टि करे कि पिछले निर्गम से संबंधित सभी वापसी आदेश आवेदकों को भेज दिए हैं और आबंटितियों को सभी डिबेंचर प्रमाणपत्र प्रेषित होकर दिए हैं तथा ये प्रत्यक्ष स्टाक एक्सचेंजों की सूची में दर्ज हो गए हैं।

(ङ) इंस्टीट्यूट—

(i) विभिन्न राज्य/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों से सचिवीय लेखापरीक्षा को मान्यता देने के लिए जोरदार प्रयास कर रहा है ।

(ii) इंस्टीट्यूट ने विभिन्न राज्य सरकारों को अभ्यावेदन भेजे हैं कि वे अपने-अपने राज्य के भागीदारी नियमों में संशोधन करते हुए प्रावधान करें कि भागीदारी फर्मों के पंजीकरण के लिए आवेदन फार्म में कम्पनी सचिव को साक्षी रूप में हस्ताक्षर करना आवश्यक है ।

(iii) इंस्टीट्यूट ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड को अभ्यावेदन भेजा है कि वे अपने बोर्डों में इंस्टीट्यूट को नामित करें ।

11.2 प्राप्त मान्यताओं की सूची

इस रिपोर्ट की तारीख तक प्रैक्टिस तथा रोजगार के सम्बन्ध में कम्पनी सचिवों के लिए जो मान्यताएं प्राप्त हुई हैं, उनका ब्यौरा परिशिष्ट 'ङ' के भाग-I और II में दिया गया है ।

11.3 इस वर्ष के दौरान पी-एच.डी. के अध्ययन के लिए कुछ और विश्वविद्यालयों ने इंस्टीट्यूट की सदस्यता को स्नातकोत्तर डिग्री के बराबर मान्यता प्रदान कर दी है । अब तक प्राप्त कुल मान्यताएं इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'ङ' के भाग III में दी गई हैं ।

12. अठारहवां राष्ट्रीय सम्मेलन

'90 के दशक में 'व्यवसाय-उभरते आयाम' विषय पर कम्पनी सचिवों का अठारहवां राष्ट्रीय सम्मेलन मेलोर होटल, बम्बई में 8 से 10 फरवरी, 1990 तक आयोजित किया गया । देश के विभिन्न भागों से लगभग 750 प्रतिनिधियों ने भाग लिया । सम्मेलन का उद्घाटन भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जस्टिस पी. एन. भगवती ने किया । श्री वी. एम. गोटे, उद्योगपति तथा समाजसेवी ने मुख्य भाषण दिया । तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता और भाषण देने वाले विख्यात विद्वानों में सर्वश्री ए.डी. धाहनीकर, प्रबन्ध निदेशक, तिलक नगर डिस्टीलरीज लि., बम्बई जे. एन. वार्ष्णेय, भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक और कमल मोराखा, अध्यक्ष, आल इण्डिया मैनुफैक्चरर्स मैनआर्गनाइजेशन्स, बम्बई शामिल थे ।

13. दस वर्षीय संदर्शी योजना

परिषद् द्वारा गठित सदर्शी योजना ग्रुप ने योजना तैयार करने से पूर्व 'खोत' का विश्लेषण पूरा कर लिया है। अब यह योजना इंस्टीट्यूट में कार्यात्मक विभागों के साथ परामर्श करके तैयार की जा रही है । आशा है, ग्रुप अगले दशक के लिए रूपरेखा तैयार कर लेगा और 1991 के आगे इसे कार्यान्वित करने के लिए 1990 के अंत तक इस योजना के अंत तक इस योजना का दस्तावेज परिषद् को प्रस्तुत कर देगा ।

14. सदस्यता-उपरांत अर्हता पाठ्यक्रम

कतिपय विधाओं में सदस्यों में एक उच्च स्तर की विशेषज्ञता के विकास के लिए परिषद् ने सदस्यता-उपरांत पाठ्यक्रम तैयार किया, जिसमें चार विधाओं अर्थात् कर प्रबंध, औद्योगिक और कार्मिक प्रबंध, निगम विधि प्रबंध और आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रबंध नियंत्रण को शामिल किया गया । इस पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने के विनियमों का प्रारूप इस वर्ष के अंत तक विनियमावली में समाविष्ट करने के लिए जल्दी ही प्रकाशित किया जाएगा और इसके तुरन्त बाद परिषद् इसे क्रियान्वित करेगी ।

15. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

15.1 पाकिस्तान इंस्टीट्यूट के साथ समझौता ज्ञापन

जुलाई 1990 में इंस्टीट्यूट तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पोरेट सेक्रेटरीज ऑफ पाकिस्तान के बीच स्थायी आधार पर व्यावसायिक सूचना और प्रकाशनों के विनिमय के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और तदनुसार कुछ प्रकाशनों का आदान-प्रदान हुआ ।

15.2 एशियन पेसिफिक फोरम

इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष श्री डी. सी. जैन तथा सचिव एवं कार्यकारी निदेशक श्री टी. पी. सुब्रामनन ने 17 से 19 अगस्त, 1990 तक सिंगापुर में एशियन पेसिफिक फोरम ऑफ कार्पोरेट सेक्रेटरीज की बैठक में भाग लिया, जिसमें आस्ट्रेलिया, हांगकांग, भारत, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और सिंगापुर के राष्ट्रीय संस्थानों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जिन विषयों पर विचार विमर्श किया गया, उनमें राष्ट्रीय विकास पर सूचना का आपसी आदान-प्रदान, प्रकाशनों, शेयर रजिस्टर को सुलभ कराना, व्यावसायिक नैतिकता और आचार संहिता, निगम विधि में सचिव की मान्यता, परिसंघवाद और अंतरंग व्यापार के विषय शामिल थे । बैठक में निर्णय लिया गया कि स्थायी आधार पर इंटरनेशनल फोरम बनाया जाए और बैठक में भाग लेने वालों ने भारतीय इंस्टीट्यूट की उपलब्धियों की सराहना की । अध्यक्ष और सचिव क्वालालम्पुर और सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त तथा सिंगापुर इण्डियन चैम्बर ऑफ कामर्स के कार्यालयों में गए और उनसे इन देशों में भारतीय प्रवासियों में इंस्टीट्यूट को लोकप्रिय बनाने तथा यथासमय सिंगापुर में परीक्षा केन्द्र खोलने के लिए उनकी सहायता और सहयोग का अनुरोध किया ।

15.3 भारत में विदेशी आगन्तुक

मार्च 1990 में व्यवसाय के विकास वृद्धि के मामले में पारस्परिक विचार विनिमय के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पोरेट

सेक्रेटरीज ऑफ पाकिस्तान के उपाध्यक्ष श्री कैसर मुफ्ती ने इंस्टीट्यूट के मुख्यालय का दौरा किया । जून 1990 में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पोरेट मैनेजर्स, सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स लि., आस्ट्रेलिया के चीफ एक्जीक्यूटिव श्री मार्क पिनचेन इंस्टीट्यूट के मुख्यालय में आए और दोनों देशों में व्यवसाय की वृद्धि, विकास और मान्यता पर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष, सचिव तथा कार्यकारी निदेशक तथा विभागीय अध्यक्षों से बातचीत की ।

16. विद्यार्थी सेवाएं

16.1 विद्यार्थियों का पंजीकरण

रिपोर्टाधीन वर्ष में इंस्टीट्यूट द्वारा 12,124 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए जब कि पिछले वर्ष 10,384 विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ था; इस प्रकार इस वर्ष 16.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इस वर्ष के अन्त में वर्तमान पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 52,235 है। पंजीकृत विद्यार्थियों की वृद्धि तथा जिन्होंने इण्टरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, उनके बारे में एक विवरण परिशिष्ट 'च' में दिया गया है ।

16.2 पुराने पाठ्यविवरण के अधीन फाइनल परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री को अद्यतन करना

'कराधान' से सम्बन्धित अध्ययन सामग्री और 'कराधान', 'आर्थिक विधानांग' तथा 'सचिवीय प्रैक्टिस' (अन्य विधियों से संबंधित) पर परीक्षण पत्र और उनके सुझाए गए उत्तरों को इस वर्ष संशोधित किया गया । अध्ययन सामग्री को अद्यतन करने के विचार से कम्पनी लॉ तथा फंक्शनल मैनेजमेंट विषयों पर इस वर्ष पूरक सामग्री प्रकाशित की गई ।

16.3 नए पाठ्यविवरण के अधीन अध्ययन सामग्री को अद्यतन करना

इस वर्ष सभी विषयों की अध्ययन सामग्री को संशोधित किया गया । दो पूरक पत्र, एक 'वित्तीय प्रबन्ध' पर और दूसरा 'अप्रत्यक्ष कराधान-विधि और प्रक्रिया' प्रकाशित किए गए । सभी विषयों के परीक्षण पत्रों को परिवर्तित कर दिया गया और उनके सुझाए गए उत्तर प्रकाशित किए गए । विद्यार्थियों से अध्ययन सामग्री के और अधिक सुधार के लिए उनसे उत्तर की प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के दृष्टिकोण से 'प्रतिपुष्टि प्रोफार्मा' तैयार किया गया और अक्तूबर 1989 के बाद पंजीकृत सभी विद्यार्थियों को इसे भेजा गया ।

16.4 हिन्दी में अध्ययन सामग्री

हिंदी में चरणबद्ध तरीके से अध्ययन सामग्री प्रकाशित करने के लिए पहला कदम उठाया गया कि ऐसे विषयों पर, जिनमें पर्याप्त हिंदी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, उन पर काम करने के लिए इण्टरमीडिएट ग्रुप-II के लिए 'कम्पनी लॉ एंड प्रैक्टिस' की अध्ययन सामग्री के अनुवाद का काम शुरू कर दिया गया है ।

16.5 मार्गदर्शी उत्तर तथा विषय-क्रम में प्रश्नों की तैयारी

विद्यार्थियों के लाभ के लिए पुराने तथा नए दोनों पाठ्यविवरणों की जून तथा दिसम्बर 1989 और जून 1990 परीक्षाओं के मार्गदर्शी उत्तर पुनः-क्रम में प्रकाशित किए गए हैं । नए पाठ्यविवरण के अधीन होने वाली इण्टरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के सभी विषयों पर विषय-क्रम में प्रश्न तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया गया है ।

16.6 शिक्षण

इस वर्ष 1,04,954 उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त हुई उनका मूल्यांकन किया गया और विद्यार्थियों को भेजी गईं तथा कुल 11,715 शिक्षण समापन प्रमाणपत्र जारी किए गए ।

16.7 मौखिक शिक्षण केन्द्रों की स्थापना

इस वर्ष थिरूवनंतपुरम (त्रिवेन्द्रम) शाखा में पहली बार एक मौखिक शिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया तथा उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद् ने दक्षिणी दिल्ली में एक अतिरिक्त केन्द्र शुरू किया ।

16.8 स्टुडेण्ट कम्पनी सेक्रेटरी

इंस्टीट्यूट कम्पनी सचिवीय पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लाभ के लिए स्टुडेण्ट कम्पनी सेक्रेटरी बुलेटिन नियमित रूप से प्रकाशित करता है । इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को नवीनतम विधि सम्बंधी संशोधनों की जानकारी देते हुए उनके अध्ययन को अद्यतन बनाना और विद्यार्थी सेवाओं की प्रशासन तथा प्रैक्टिकल प्रशिक्षण आवश्यकताओं के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करना है ।

16.9 आडियो टेपों पर लेक्चर

निम्नलिखित विषयों पर दो आडियो टेप तैयार किए गए और रियायती दर पर विद्यार्थियों तथा सदस्यों को उपलब्ध कराए गए:

(i) उद्योग विकास तथा नियमन अधिनियम

(ii) एम.आर.टी.पी. अधिनियम के अन्तर्गत अवरोधक व्यापार व्यवहार

अतिरिक्त सुविधा के रूप में अवरोधक व्यापार व्यवहार के आडियो लेक्चर के प्रतिलेखन की एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई, जिसमें केसों और सम्बद्ध कानूनी प्रावधानों का उद्धृत किया गया है। विद्यार्थियों तथा सदस्यों से इन टेपों के सम्बंध में प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक है। इसलिए चालू वर्ष में अनुचित और एकाधिकारात्मक व्यापार व्यवहार, केन्द्रीय उत्पाद तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कुछ और आडियो टेपों को तैयार करने का प्रस्ताव है ।

16.10 डाक द्वारा शिक्षण का विकेन्द्रीकरण

इस वर्ष दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद् को इस बारे में प्राधिकार देकर विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है कि वह स्थानीय

रूप से उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करे, उनके मूल्यांकन की व्यवस्था करे और इसके बाद मुख्यालय को शिक्षण समापन प्रमाणपत्र जारी करने के बारे में सिफारिश करे। चालू वर्ष में अन्य तीन क्षेत्रीय कार्यालयों में कम-से-कम इण्टरमिडियट उत्तर-पुस्तिकाओं के लिए इस प्रक्रिया को जारी रखने का प्रस्ताव है।

16.11 पुस्तकालय सुविधाएं

समीक्षाधीन वर्ष में 2.74 लाख रुपए की पुस्तकें इंस्टीट्यूट के पुस्तकालय के लिए खरीदी गई। शाखा पुस्तकालय सहायता योजना के अन्तर्गत 34 शाखाओं में से 27 शाखाओं के पास अपने पुस्तकालय हैं। इंस्टीट्यूट ने ऐसे क्षेत्र में जहां कोई शाखा नहीं है, परन्तु उस क्षेत्र में कम-से-कम सौ विद्यार्थी तथा दस सदस्य हैं, वहां एक 'अनुषंगी पुस्तकालय' स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया है। एक ऐसा पुस्तकालय प्रायोगिक आधार पर दिल्ली के निकट गुड़गांव (हरियाणा) में खोला गया है। प्रत्येक ऐसे पंजीकृत विद्यार्थी को जिसे शाखा अनुषंगी पुस्तकालय की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती उन्हें पुस्तकालय की सुविधाएं देने के लिए इंस्टीट्यूट ने एक नवीन चालू की गई डाक पुस्तकालय योजना के लिए अतिरिक्त एक लाख रुपए की राशि अलग से निर्धारित की है। इस योजना के अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय मुख्यालय से आशा की जाती है कि वह अपने क्षेत्र से एक डाक पुस्तकालय बनाए।

17. मुख्यालय का पुस्तकालय

इंस्टीट्यूट ने अपने मुख्यालय में भी अनुसंधान और संदर्भ प्रयोजनों के लिए एक पुस्तकालय बनाया है, जिसमें विदेशी कम्पनी लॉ और केस लॉ की पुस्तकें भी हैं। आस्ट्रेलिया की एक प्रसिद्ध प्रकाशन संस्था सी सी एच ने पिछले वर्ष इंस्टीट्यूट को केस लॉ पुस्तकों का एक सेट निःशुल्क प्रदान करने की स्वीकृति दी है। तदनुसार इंस्टीट्यूट को आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटेन और अमरीका से सम्बन्धित बहुत-सी पुस्तकें उनसे निःशुल्क प्राप्त हुई हैं। जुलाई 1990 में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पोरेट सेक्रेटरीज ऑफ पाकिस्तान से हमें 1926 से 1988 तक की पाकिस्तान संहिताओं का एक सेट मिला है। अनुसंधान और संदर्भ के लिए पुस्तकालय में निगम विधियों वित्त और लेखांकन से सम्बन्धित पेपर क्लिपिंगों की तीस से अधिक फाइलें हैं। चालू वर्ष में मामूली-सी अदायगी करके कुछ सामग्री को उपलब्ध कराने, विभिन्न निर्णयों और अधिसूचनाओं की प्रतियां उपलब्ध कराने की प्रलेखबद्ध सेवा भी शुरू करने की सम्भावना है।

18. कैरियर परामर्श कार्यक्रम

इस वर्ष इंस्टीट्यूट ने प्रदर्शनी सामग्री, चार्टों, पोस्टरों और ट्रांसपेरेंसियों का प्रयोग करते हुए शाखा तथा क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के माध्यम से अनेक कैरियर परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए ताकि कालेज के विद्यार्थियों में इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके। कई भारतीय और अंग्रेजी भाषाओं के समाचार पत्रों में व्यवसाय के बारे में लेख प्रकाशित हुए तथा इस बारे में दूरदर्शन ने अपने राष्ट्रीय नेटवर्क पर दो कार्यक्रम प्रसारित किए। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप देश के कई भागों में छोटे शहरों और कस्बों तक में भी कम्पनी सचिव व्यवसाय के बारे में और अधिक जागरूकता पैदा की जा सकी है, जिससे इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए पहले से अधिक विद्यार्थियों का पंजीकरण हो सका है।

19. परीक्षाएं

19.1 परीक्षाओं का आयोजन

इंस्टीट्यूट ने जून और दिसम्बर, 1989 में सम्पूर्ण भारत में क्रमशः 37 और 39 केन्द्रों में तथा एक केन्द्र आबूदाबी में दो परीक्षाएं आयोजित कीं। दिसम्बर 1989 के सत्र में मंगलौर और पाण्डिचेरी में प्रायोगिक आधार पर दो नए परीक्षा केन्द्र खोले गए और जून 1990 में इलाहाबाद तथा भोपाल में दो और केन्द्र जोड़े गए।

19.2 पुराने पाठ्यविवरण के अधीन परीक्षाओं की समाप्ति

पुराने पाठ्यक्रम के अधीन जून 1989 में आखिरी बार इण्टरमीडिएट परीक्षा रखी गई। पुराने पाठ्य विवरण के अधीन इण्टरमीडिएट परीक्षा आखिरी बार दिसम्बर 1990 में रखी जाएगी।

19.3 परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम

कम्पनी सचिव परीक्षाओं में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की नीति की परिषद् की कटिबद्धता के अनुसरण में इंस्टीट्यूट ने अपने सभी परीक्षार्थियों के लिए हिन्दी के उपयोग को वैकल्पिक माध्यम के रूप में सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है।

19.4 आंकड़े

जून 1989 और दिसम्बर 1989 की परीक्षाओं में कितने परीक्षार्थी बैठे और उत्तीर्ण हुए, उनसे सम्बन्धित आंकड़े इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'छ' में दिए गए हैं।

20. अखिल भारतीय पुरस्कार

जून 1989 और दिसम्बर 1989 में हुई फाइनल परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रेजीडेण्ट स्वर्ण मैडल पश्चिमी क्षेत्र के श्री जगीन रूस्तम कागंजिया और उत्तरी क्षेत्र के सुभाष चन्द्र गर्ग ने जीते। पं. नेहरू जन्म शताब्दी का वार्षिक पुरस्कार संयुक्त रूप से बम्बई के श्री टी. एस. रामकुमार और मुजफ्फरपुर (उत्तर प्रदेश) के श्री विवेक गोयल ने प्राप्त किए। जून 1989 तथा दिसम्बर 1989 में हुई इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में प्रतिभाशाली प्रदर्शन के लिए प्रेजीडेण्ट रजत मैडल क्रमशः पूर्वी क्षेत्र के श्री कमलेश कुमार मोंगाली और उत्तरी क्षेत्र के राजू अरोड़ा ने जीते। ये पुरस्कार 8 फरवरी, 1990 को बम्बई में आयोजित कम्पनी सचिवों के 18वें राष्ट्रीय सम्मेलन में उन पुरस्कार विजेताओं को दिए गए जो व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित हुए।

21. विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता

वर्तमान योग्यता (मेरिट) छात्रवृत्ति योजना के अनुसार जून 1989 तथा दिसम्बर 1989 की परीक्षाओं में योग्य पाए गए प्रथम दस विद्यार्थियों को मनाहनीय रूप से परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए छात्रवृत्तियां दी गई। इसी प्रकार योग्यता-व-वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत इंस्टीट्यूट ने क्रमशः दिसम्बर 1988 तथा जून 1989 की परीक्षाओं में योग्य पाए गए 2 और 3 परीक्षार्थियों को वित्तीय सहायता मंजूर की।

22. योग्यता प्रमाण पत्र

पिछले वर्षों की तरह प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की योग्यता को मान्यता प्रदान करने और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए जून 1989 तथा दिसम्बर 1989 में हुए इण्टरमीडिएट तथा फाइनल परीक्षाओं में प्रथम दस रैंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए।

23. प्रबन्ध/प्रैक्टिकल/प्रशिक्षु प्रशिक्षण

23.1 सूची बनाना

समीक्षाधीन वर्ष में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मान्यता-प्राप्त कम्पनियों की संख्या इस प्रकार थी :—

क्षेत्र	प्रबन्ध प्रशिक्षण	प्रैक्टिकल प्रशिक्षण
1	2	3
पूर्व	13	11
उत्तर	41	30
दक्षिण	15	22
पश्चिम	13	25
कुल	82	88

पूर्णकालिक प्रैक्टिस कर रहे 19 कम्पनी सचिवों को भी प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति दी गई। प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दर्ज की गई कम्पनियों और कम्पनी सचिवों की कुल संख्या तथा विभिन्न प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रायोजित विद्यार्थियों की संख्या इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'ज' में दी गई है। वर्ष के दौरान (मुख्यालय तथा क्षेत्रीय परिषदों दोनों ने ही) प्रबन्ध/प्रैक्टिकल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कम्पनियों की संख्या को बढ़ाने के अपने प्रयास जारी रखे।

23.2 प्रबन्ध/प्रैक्टिकल प्रशिक्षण को मानीटर करना

देश के सभी भागों से ऐसे सदस्यों की एक सूची विद्यार्थियों के प्रशिक्षण को मानीटर करने के लिए प्रायोगिक आधार पर तैयार की गई है, जो विद्यार्थियों के गाइड बनने को सहमत हो गई हैं। योजना के अधीन प्रशिक्षार्थी को गाइड के साथ नियमित समय पर अपने प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बातचीत करने और मिल कर उसमें व्यावसायिक मामलों पर मार्गनिर्देशन प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में नियुक्त किए गए शिक्षा अधिकारियों से आशा की जाती है कि वे अपने क्षेत्र में प्रशिक्षण व्यवस्था को मानीटर करें।

23.3 सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस वर्ष के दौरान 18 सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से चार-चार पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद् और उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद् द्वारा और तीन-तीन दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद् तथा पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद् द्वारा आयोजित किए गए; अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद और जयपुर शाखाओं ने एक-एक कार्यक्रम आयोजित किया। 31 मार्च 1990 तक इन कार्यक्रमों में 722 विद्यार्थियों ने भाग लिया। सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और प्रभावकारी व कुशल बनाने के लिए तथा कार्यक्रमों में भाग लेने वालों को इनमें और अधिक सक्रिय करने के लिए प्रशिक्षण तकनीकों में लगातार बढ़ोत्तरी की जा रही है और इनके अलावा दृश्य/श्रव्य-दृश्य साधनों का भी गहन प्रयोग किया जा रहा है। प्रशिक्षण तकनीकों में केस अध्ययन, अनुकरण अभ्यास, रोल प्ले, समूह चर्चा, पहले से अधिक बोर्ड की बैठकें, स्टॉक एक्सचेंजों, कम्प्यूटर केन्द्रों, कम्पनियों के सचिवीय विभागों के दौरे करना शामिल है।

24. लेखे और लेखा परीक्षा

24.1 आय और व्यय लेखा

इस वर्ष के आय और व्यय लेखे के वित्तीय परिणाम देखने से पता चलता है कि इस वर्ष 6,83,315 रुपए का अधिशेष रहा जबकि पिछले वर्ष यह अधिशेष 13,41,672 रुपए था। अधिशेष में कमी आने का मुख्य कारण सेवाओं, सामान और स्थापना पर होने वाले व्यय में बढ़ोत्तरी है। सदस्यों और विद्यार्थियों को दी जा रही सेवा की क्वालिटी में किसी प्रकार की कमी लाए बिना व्यय में किफायत करके अगले वर्ष घाटे से बचने का प्रयास किया जा रहा है; कैरियर परामर्शी कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों के पंजीकरण को बढ़ाने और विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस की कुछ मदों में 1 जुलाई 1990 से कुछ बढ़ोत्तरी करके आय को बढ़ाने के उपाय भी किए जा रहे हैं।

24.2 शुल्क का पूंजीकरण

वर्तमान प्रचलित पद्धति के अनुसार एसोसिएट और फैलो सदस्यों से प्राप्त 2,01,400 रुपए के प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत कर दिया है। वर्ष के अन्त में पूंजीकृत रिजर्व राशि 22,38,425 रुपए थी, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 20,37,025 रुपए थी।

24.3 भवन रिजर्व

भवन निर्माण के लिए सावधि जमाराशि पर अर्जित ब्याज के कारण 2,39,910 रुपए तथा भवन निधि के लिए प्राप्त 75,000 रुपए की राशि को सीधे भवन रिजर्व निधि में विनियोजित कर दिया है। कानपुर शाखा के भवन के निर्माण और जयपुर शाखा के लिए भूमि के लिए 4,57,935 रुपए की आंशिक लागत की पूंजीगत अदायगी को भवन रिजर्व से सामान्य रिजर्व खाते में अन्तरित कर दिया है। पिछले वर्ष के कुल 24,96,332 रुपए की तुलना में भवन रिजर्व की कुल राशि 23,53,307 रुपए है।

24.4 सामान्य रिजर्व

पिछले वर्ष जो सामान्य रिजर्व की कुल राशि 1,56,36,204 रुपए थी, यह राशि अब बढ़ कर 1,80,28,806 रुपए हो गई है; इसमें वर्ष 1989-90 की व्यय से अधिक आय की 6,83,315 रुपए की अधिशेष राशि और भवन रिजर्व से अन्तरित 13,47,819 रुपए की राशि तथा मुख्यालय के भवन के लिए सम्पत्ति कर के लिए पिछले वर्षों में अधिक प्रावधान की पुनः आवंटित 3,61,468 रुपए की राशि जोड़ दी गई है।

24.5 लेखापरीक्षणक

कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 18(4) के अनुसरण में परिषद् ने मैसर्स डी.के. सेन गुप्ता एंड कं., चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स नई दिल्ली को 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के लेखों की लेखा-परीक्षा के लिए पुनः लेखा-परीक्षक नियुक्त किया है।

25. भूमि और भवन

25.1 उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद् का भवन

प्रसाद नगर इंस्टीट्यूशनल एरिया, करौल बाग, नई दिल्ली में भवन निर्माण का कार्य अब शुरू हो चुका है और 31 मार्च, 1990 तक प्रारम्भिक व्यय के रूप में कुल 2,20,563 रुपए व्यय हो चुके हैं।

25.2 कानपुर शाखा का कार्यालय स्थल

कानपुर शाखा के कार्यालय के लिए 9,50,000 रुपए की राशि से (इसमें रजिस्ट्रेशन प्रभार शामिल नहीं है) स्थल खरीदा जा चुका है। इसमें 118/90 कौशलपुरी, कानपुर में "गुमती प्लाजा" भवन की दूसरी मंजिल पर 2036.85 वर्गफुट का निर्माण स्थल है।

25.3 जयपुर शाखा के लिए भूमि

जयपुर शाखा के कार्यालय के निर्माण के लिए 1579.35 वर्ग मीटर का एक प्लाट ए-5ए, इंस्टीट्यूशनल एरिया झालना डूंगरी, जयपुर में खरीद लिया गया है, जिसकी लागत 3,31,689 रुपए है।

26. कम्पनी सचिव हितकारी निधि

1976 में परिषद् द्वारा सोसाइटी के रूप में पंजीकृत की गई कम्पनी सचिव हितकारी निधि के अब 31 मार्च, 1990 को 1050 आजीवन सदस्य हैं। निधि के उपनियमों में किए गए संशोधन के अनुसार 1 सितम्बर, 1989 से इसकी साधारण सदस्यता समाप्त कर दी गई है और आजीवन सदस्यता शुल्क में संशोधन कर इसे 500 रुपए कर दिया गया है। निधि में पूंजीगत रिजर्व, सामान्य रिजर्व और अधिशेष की राशि 31 मार्च, 1990 को 6.28 लाख रुपए थी। पूर्व प्रचलित पद्धति के अनुसार परिषद् ने इंस्टीट्यूट के पिछले राष्ट्रीय सम्मेलन की अधिशेष राशि में से 10,000 रुपए निधि में डालने का निर्णय लिया है।

27. कर्मचारी कल्याण उपाय

आई सी एस आई एम्पलाइज क्लब को 1973 में कल्याण के एक उपाय के रूप में बनाया गया था, जिसे इसकी गतिविधियों के लिए परिषद् से वित्तीय सहायता दी गई। इस वर्ष के दौरान कर्मचारियों को स्कूटर खरीदने, मकान निर्माण आदि के लिए 1.5 लाख रुपए की पेशगियां मंजूर की गईं। सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की ग्रुप बचत-युक्त सीमा योजना के अन्तर्गत सभी कर्मचारियों को शामिल कर लिया गया है। पूर्व प्रचलित पद्धति के अनुसार परिषद् ने इंस्टीट्यूट के पिछले राष्ट्रीय सम्मेलन की अधिशेष राशि में से 10,000 रुपए आई सी एस आई एम्पलाइज हितकारी निधि में डालने का निर्णय लिया है।

28. आभार

परिषद् केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों, विशेष रूप से कम्पनी कार्य विभाग के प्रति उनके द्वारा संरक्षण, व्यवसाय को मार्गदर्शन प्रदान करने और इंस्टीट्यूट की गतिविधियों में अपना समर्थन देने के लिए आभार प्रगट करती है। क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं ने अपने-अपने क्षेत्र में व्यवसाय के विकास में परिषद् के प्रयासों में पर्याप्त सहायता दी है। राज्य सरकारों, सामान्य रूप से निगम क्षेत्र और देश के विभिन्न चैम्बर्स ऑफ कामर्स ने लगातार इंस्टीट्यूट के सदस्यों की सेवाएं लेने में अपनी रूचि बढ़ाई है और उन्होंने निगम विधि, प्रबन्ध तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में इनकी विशेषज्ञता को मान्यता प्रदान की है। परिषद् सचिव और कार्यकारी निदेशक तथा उनके सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति अपनी गहन सराहना प्रस्तुत करती है, जिन्होंने इस रिपोर्टाधीन वर्ष में परिषद् के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए बड़ी निष्ठा से और कर्तव्य की भावना से काम किया।

कृते इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज
ऑफ इंडिया की परिषद्

नई दिल्ली — डी.सी. जैन, अध्यक्ष
19 सितम्बर, 1990

परिशिष्ट—क

1990 की स्थायी और अस्थायी समितियां तथा सलाहकार ग्रुप
(1-9-1990 को)

I. स्थायी समितियां

1. अनुशासन समिति

श्री डी.सी. जैन, प्रेजीडेंट	अध्यक्ष
श्री वी.पी. गुप्ता (सरकारी नामिती)	सदस्य
श्री विपिन एस. आचार्य	सदस्य

2. परीक्षा समिति

श्री एन.जे.एन. वजीफदार	अध्यक्ष
श्री पी.वी. पदमनाभन	सदस्य
श्री हरीश के. वैद	सदस्य

3. कार्यकारी समिति

श्री डी.सी. जैन	अध्यक्ष
श्री एन.जे.एन. वजीफदार	सदस्य
श्री श्यामल सैन	सदस्य
श्री वी.पी. गुप्ता	सदस्य
श्री पी.टी. रंगामणि	सदस्य

II. अस्थायी समितियां

4. समन्वय समिति (आई.सी.ए.आई. तथा आई.सी.डब्ल्यू.ए.आई. के साथ समन्वय के लिए)

श्री डी.सी. जैन	अध्यक्ष
श्री एन.जे.एन. वजीफदार	सदस्य
श्री बी.पी. धनुका	सदस्य
श्री एस. डी. इसरानी	सदस्य
श्री टी.वी. पदमनाभन	सदस्य
श्री हरीश के. वैद	सदस्य

5. उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद् की भवन समिति

श्री वी.पी. गुप्ता	अध्यक्ष
श्री सुनील गोयल	सदस्य
श्री के.डी. बहेती	सदस्य
श्री ओ.पी. दानी	सदस्य
श्री एच. एस. ग्रोवर	सदस्य
श्री संजय ग्रोवर	सदस्य
श्री डी.सी. जैन	सदस्य
श्री एन. के. जैन	सदस्य
श्री परमजीत सिंह	सदस्य
श्री टी.पी. सुब्बारमन	सदस्य
श्री हरीश के. वैद	सदस्य

6. व्यावसायिक विकास समिति

श्री डी. सी. जैन	अध्यक्ष
श्री विपिन एस. आचार्य	सदस्य
श्री ओ. पी. दानी	सदस्य
श्री बी.पी. धनुका	सदस्य
श्री एस. डी. इसरानी	सदस्य
श्री ए. एन. नवारे	सदस्य
श्री वी.के. पोद्दार	सदस्य
श्री डी. के. प्रहलाद राव	सदस्य
श्री पी. टी. रंगामणि	सदस्य
श्री श्यामल सैन	सदस्य

7. विनियमन समिति

श्री श्यामल सैन	अध्यक्ष
श्री डी. सी. जैन	सदस्य
श्री टी.वी. पदमनाभन	सदस्य
श्री एन. जे. एन. वजीफदार	सदस्य

8. प्रशिक्षण तथा शिक्षा सुविधा समिति

श्री एन. जे. एन. वजीफदार	अध्यक्ष
श्री विपिन एस. आचार्य	सदस्य
श्री ओ. पी. दानी	सदस्य
श्री बी. पी. धनुका	सदस्य
श्री ए. एन. नवारे	सदस्य

III. सलाहकार बोर्ड/ग्रुप

9. कंपनी सचिवीय प्रैक्टिस मैनुअल के लिए सलाहकार ग्रुप

श्री सी. आर. शाह	अध्यक्ष
श्री विपिन एस. आचार्य	सदस्य
श्री डी. सी. जैन	सदस्य
श्री आर. रामचन्द्रन	सदस्य
श्री श्यामल सैन	सदस्य

10. संपादकीय सलाहकार बोर्ड

श्री टी. एन. पांडे	अध्यक्ष
श्री प्रदीप भल्ला	सदस्य
श्री सुबोध चन्द्र	सदस्य
श्री एच. आर. गुप्ता	सदस्य
श्री एस. डी. इसरानी	सदस्य
श्री डी. सी. जैन	सदस्य
श्री यू.पी. माथुर	सदस्य
श्री बी. बी. टण्डन	सदस्य
श्री टी. पी. सुब्बारमन	सदस्य

संपादक और संयोजक

11. विशेषज्ञ सलाहकार ग्रुप

श्री जस्टिस पी. एन. भगवती (अवकाश प्राप्त)	अध्यक्ष

श्री आर. एन. बंसल	सदस्य
श्री प्रदीप भल्ला	सदस्य
श्री वी.पी. गोयल	सदस्य
श्री एस. एस. कुमार	सदस्य
श्री एम. आर. लूथरा	सदस्य
श्री टी. वी. नारायण स्वामी	सदस्य

12. संदर्श योजना ग्रुप

श्री सी. आर. शाह	अध्यक्ष
श्री बी. एस. डोराइस्वामी	सदस्य
श्री एस. डी. इसरानी	सदस्य
श्री डी. सी. जैन	सदस्य
श्री पी. पी. मिस्त्री	सदस्य
श्री डी. के. प्रहलाद राव	सदस्य
श्री श्यामल सैन	सदस्य
श्री टी. पी. सुब्बारमन	सदस्य

13. अनुसंधान सलाहकार ग्रुप

श्री आर. एन. बंसल	अध्यक्ष
श्री दलीप गोस्वामी	सदस्य
श्री मनमोहन सिंह	सदस्य
श्री टी. वी. नारायणस्वामी	सदस्य
प्रो. पृथपाल सिंह	सदस्य

परिशिष्ट 'ख'

क्षेत्रीय परिषदों की वर्ष 1989-90 की वार्षिक रिपोर्टों में दी गई गतिविधियों का सारांश

पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद्

इंस्टीट्यूट के चारों क्षेत्रों में पूर्वी क्षेत्र सबसे छोटा क्षेत्र है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्य शामिल हैं और इन राज्यों में से केवल पश्चिमी बंगाल ही एक प्रमुख औद्योगिक राज्य है।

समीक्षाधीन वर्ष में क्षेत्रीय परिषद् ने अनेक सेमिनार, अभिनन्दन बैठक, लेक्चर बैठकें, सम्मेलन और अध्ययन सर्किल बैठकें आयोजित कीं। "पूंजी बाजार" विषय पर आई. सी.ए.आई. की पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद् के सहयोग से 15 अप्रैल, 1989 को एक सेमिनार रखी। "संक्षिप्त तुलन-पत्र, निगम क्षेत्र के कर पहलू तथा विलयन और संलयन" विषयों पर लैक्चर बैठकें रखी गईं। "परिवर्तित निगम वातावरण में "कम्पनी सचिव" विषय पर पांचवां क्षेत्रीय विद्यार्थी सम्मेलन 2 और 3 सितम्बर 1989 को आयोजित किया गया, जिसमें 198 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इंस्टीट्यूट के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री श्यामल सेन ने मुख्य भाषण दिया। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के सहयोग से 'नामित निदेशक' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। आई.सी.ए.आई. की पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद् और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लि. के सहयोग से "प्रतिभूति उद्योग के विनियमन और निवेशकर्ता के संरक्षण" विषय पर एक और सेमिनार रखी गई। आई.सी.ए.आई. और आई.सी.ए. डब्ल्यू.आई. एसोसिएशन ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज, तथा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल आडिटर्स–इण्डिया (कलकत्ता शाखा) के कार्यपालकों और सलाहकारों के सहयोग से 1990-91 के केन्द्रीय बजट पर चर्चा करने के लिए भी एक बैठक आयोजित की। हर महीने अध्ययन सर्किल की बैठक नियमित समय पर होती रहीं।

विद्यार्थियों को उनकी परीक्षाओं के लिए मार्ग निर्देशन तथा नियमित मौखिक शिक्षा सुविधा में सहायता देने के लिए पांच विशेष बैठकें आयोजित की गईं। इस वर्ष विभिन्न कालेजों में तीन कैरियर परामर्श बैठकें और तीन सचिवीय माडयूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंटरमीडिएट परीक्षा के दोनों ग्रुपों के लिए मौखिक शिक्षण कक्षाएं लगाई जाती रहीं और पुस्तकालय को भी अद्यतन करने का काम जारी रहा। रोजगार सेवा को भी दोहरी नीति अपनाते हुए सक्रिय रखा, एक तरफ तो उन कम्पनियों से सम्पर्क किया, जिन्हें कम्पनी सचिवों की आवश्यकता है और दूसरी तरफ उन सदस्यों से सम्पर्क रखा, जिन्हें रोजगार चाहिए। क्षेत्रीय परिषद् ने समुचित शुल्क लेकर दायित्व सेवाएं प्रदान करने का निर्णय भी लिया, जिनमें बुलेटिन के माध्यम से रिक्तियों का विज्ञापन करना, इन्टरव्यू लेना और सम्बन्धित कंपनियों को उपयुक्त उम्मीदवारों की सिफारिश करना शामिल है। क्षेत्रीय परिषद् ने समुचित में नौकरियां ढूंढने के लिए सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वालों की सहायता करने के उद्देश्य से कैम्पस में इंटरव्यू लेना भी शुरू किया। मासिक समाचार बुलेटिन नियमित रूप से प्रकाशित होता रहा। इसके फार्म और इसकी विषय सामग्री में जनवरी 1990 से सुधार किया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित सचिवों से सम्बन्धित नौकरियों के लेखों और विज्ञापनों को दिया गया ताकि ये उपयोगी संदर्भ के रूप में मार्ग निर्देशन का काम कर सकें। इस क्षेत्र की सभी पांच शाखाओं ने अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट की ओर एक बार फिर 1988-89 का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय शाखा पुरस्कार रांची शाखा को प्राप्त हुआ।

उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद्

इस क्षेत्रीय परिषद् में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल हैं। इस परिषद् ने दस वार्ताएं, दो पुरस्कार वितरण समारोह, महानगरों में दो स्थानों पर उन्नीस अध्ययन सर्किल बैठकें, सदस्यों और विद्यार्थियों के लिए खेल प्रतियोगिता, स्थापना दिवस और इसके साथ ही सदस्यों और उनके परिवारों के लिए अंशदायी भोजन और पिकनिक का आयोजन किया। इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सी बी डी टी के अध्यक्ष श्री टी.एन. पाण्डे का अभिनन्दन करने के लिए

दो अभिनन्दन कार्यक्रम भी आयोजित किए। भूतपूर्व अध्यक्षों के मिलन और शाखा अध्यक्ष की बैठक का भी आयोजन किया। प्रैक्टिस सम्बन्धी अन्य क्षेत्रों का पता लगाने और दूसरे पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रैक्टिसरत कम्पनी सचिवों की बैठकें रखी गईं।

सदस्यों और विद्यार्थियों दोनों के लाभ के लिए रोजगार सेवा योजना जारी रखी गई। अन्ततः इस वर्ष उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद् के भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ और यह निर्माण कार्य चल रहा है। उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद् ने एन.आई.आर.सी.—आई.सी.एस.आई. मासिक समाचार बुलेटिन का नियमित रूप से प्रकाशित करते हुए इसमें कुछ नए उपयोगी कालम जोड़े। क्षेत्रीय परिषद् द्वारा प्रायोजित कम्पनी सेक्रेटरीज कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को दिल्ली विकास प्राधिकरण से भूमि अलाट होने की प्रतीक्षा है।

क्षेत्रीय परिषद् ने इस वर्ष सात कैरियर परामर्शी कार्यक्रम और चार सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। 'कम्पनी लॉ' और 'टैक्स लॉ' पर दो 'क्विज कार्यक्रम' और 'वार्षिक साधारण सभा—व्यावहारिक पक्ष' पर एक सेमिनार भी विद्यार्थियों के लिए आयोजित की। पुस्तकालय तथा मौखिक शिक्षण कक्षाएं दोनों में ही विद्यार्थियों के लिए बेहतर वातावरण और सुविधाएं प्रदान की जाती रहीं। अध्यक्ष तथा केन्द्रीय परिषद के सदस्यों और विद्यार्थियों, मौखिक शिक्षण कक्षाओं के विद्यार्थियों तथा संकाय सदस्यों के बीच बैठकें रखी गईं। दक्षिण दिल्ली में एक नया मौखिक शिक्षण केन्द्र खोला गया। स्थानीय सदस्यों की सहायता से अम्बाला में एक कम्पनी सचिव मौखिक शिक्षण केन्द्र स्थापित किया। उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद् ने प्रैक्टिकल प्रशिक्षण/प्रबन्ध प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 8 कम्पनियों को सूचीबद्ध करने की सिफारिश की है।

इंस्टीट्यूट की पुस्तकालय योजना के अनुसार, गाजियाबाद, लखनऊ और शिमला शाखाओं में पुस्तकालयों की स्थापना की। स्थानीय विद्यार्थियों के लिए गुडगांव में एक अनुषंगी पुस्तकालय खोला गया, हालांकि वहां कोई शाखा स्थापित नहीं की जा सकी। परीक्षा के दिनों में विद्यार्थियों को उत्तरी भारत क्षेत्रीय पुस्तकालय में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक रीडिंग रूम में पढ़ने की सुविधा दी जाती रही।

वर्ष के दौरान सभी दस शाखाएं अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट देती रहीं। जयपुर शाखा को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय शाखा और सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय शाखा घोषित किया गया, जिससे इस शाखा और उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद की प्रतिष्ठा बढ़ी है।

दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद्

इस क्षेत्रीय परिषद् में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के राज्य तथा संघशासित क्षेत्र अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह, पाण्डिचेरी और लक्षद्वीप शामिल हैं। इस क्षेत्रीय परिषद् तथा इसकी घटक शाखाओं ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। क्षेत्रीय परिषद ने प्रमुख रूप से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और वित्त जैसे अपारम्परिक क्षेत्रों में सदस्यों की निपुणताओं का विकास करने का उद्देश्य अपने सामने रखा। इस वर्ष क्षेत्रीय परिषद् ने 22 व्यावसायिक कार्यक्रम रखे। 15 और 16 सितम्बर, 1989 को हैदराबाद में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश की राज्यपाल कुमुद बेन जोशी ने किया। भद्रचलम पेपर बोर्डस लि. के प्रबन्ध निदेशक श्री आर. के. कुट्टी ने मुख्य भाषण दिया। वेल्लोर, कोयम्बेटूर, कोचीन और अलवाय—कई स्थानों पर जो कई कैरियर परामर्शी बैठकें आयोजित की गईं, उनमें पर्याप्त उपस्थिति रही। इस वर्ष क्षेत्रीय परिषद् ने 3660 विद्यार्थियों को रजिस्टर किया।

क्षेत्रीय परिषद् ने मौखिक शिक्षण कक्षाओं के पांच बैच लगाए, जिनमें इण्टरमीडिएट और फाइनल पाठ्यक्रमों के लगभग 700 विद्यार्थियों ने भाग लिया तथा तीन सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसने पं. जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनाने के लिए एक बैठक भी आयोजित की, जिसमें "नेहरू का औद्योगिक विकास में योगदान" विषय पर इंस्टीट्यूट के तत्कालीन अध्यक्ष श्री श्यामल सेन ने विशेष भाषण दिया। विभिन्न लेक्चर बैठकों का आयोजन किया, जिनमें प्रतिभूतियों का अन्तरण, संक्षिप्त तुलन पत्र, रिजर्व बैंक के निदेशों में संशोधन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और केन्द्रीय बजट, प्रबन्ध कारी नियुक्तियां, आदि जैसे विषयों को शामिल किया गया। पुस्तकालय में और अधिक पुस्तकें लाई गईं और मासिक समाचार बुलेटिन नियमित रूप से प्रकाशित किया गया। रोजगार सेवा योजना के अधीन संभावित नियोजकों से 74 अनुरोधों, का उत्तर प्राप्त हुआ। इस क्षेत्र की सभी ग्यारह शाखाओं ने अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट दी और बंगलौर शाखा को 1988-89 वर्ष की सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय शाखा का पुरस्कार पुनः प्राप्त हुआ।

पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद्

इस क्षेत्रीय परिषद् में गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र दादरा, नगर हवेली व दियू और दमन शामिल हैं। इस क्षेत्रीय परिषद् तथा इसकी

घटक शाखाओं ने इस वर्ष अनेक सामूहिक चर्चाएं, लेक्चर बैठकें, अध्ययन सर्किल बैठकें, कार्यशालाएं और ओरिएण्टेशन कार्यक्रम आयोजित किए । बड़ौदा में "21वीं शताब्दी की निगम चुनौतियों का सामना–व्यावसायिक एक्जीक्यूटिवों और प्रेक्टिशनरों के सामने मुद्दे" विषय पर 16 व 17 दिसम्बर, 1989 को वार्षिक क्षेत्रीय सम्मेलन रखा गया । 14 जनवरी, 1990 को इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अभिनन्दन करने का एक कार्यक्रम आयोजित किया । बम्बई में दोनों मौखिक शिक्षण केन्द्रों–अर्थात् चर्चगेट का आई सी एस आई—सिडनहम कालेज प्रशिक्षण केन्द्र और विले पार्ले का आई सी एस आई—एन एम कालेज प्रशिक्षण केन्द्र–में अच्छी प्रगति रही । इंस्टीट्यूट की परिक्षाओं में शानदार प्रदर्शन के लिए इस क्षेत्र के विद्यार्थियों ने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए । क्षेत्रीय परिषद् ने इस्टीट्यूट की जून 1990 की परीक्षाओं से अपने पुरस्कारों में भी संशोधन कर दिया है । क्षेत्रीय परिषद् के स्थल पर इस वर्ष पांच सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे गए। इस वर्ष क्षेत्रीय परिषद् के समाचार बुलेटिन "फोकस" का नियमित रूप से प्रकाशन होता रहा, जिसमें लाभकारी और शिक्षाप्रद लेख, क्षेत्रीय समाचार शाखा समाचार, सम्मेलनों के सारांश, कार्यशालाएं आदि का विवरण दिया जाता रहा । विद्यार्थियों और सदस्यों के लाभ के लिए क्षेत्रीय परिषद के पास एक अच्छा पुस्तकालय है और लगभग 200 सदस्य तथा विद्यार्थियों को इस पुस्तकालय का सदस्य बनाया गया । सदस्यों द्वारा, विशेष रूप से नए सदस्यों और विद्यार्थियों की ओर से, रोजगार की मांग अत्यधिक बढ़ गई । इस वर्ष क्षेत्रीय परिषद् ने इस बारे में विभिन्न-नियोजकों को उत्तर दिए ।

सभी आठ शाखाओं ने अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट दी और अहमदाबाद शाखा ने फिर से पश्चिमी क्षेत्र से इंस्टीट्यूट का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय शाखा का पुरस्कार जीता । पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद् ने पुणे शाखा को विकास कर रही सर्वश्रेष्ठ शाखा अधिनिर्णीत किया ।

क्षेत्रीय परिषदों की वित्तीय स्थिति और विद्यार्थियों तथा सदस्यों की संख्या

31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष की चार क्षेत्रीय परिषदों की रिपोर्टों के अनुसार तुलनात्मक वित्तीय स्थिति तथा विद्यार्थियों और सदस्यों की संख्या इस प्रकार है।

	क्षेत्रीय परिषदें			
	पूर्वी भारत क्षे.प.	उत्तरी भारत क्षे.प.	दक्षिणी भारत क्षे.प.	पश्चिमी भारत क्षे.प.
(क) वित्तीय स्थिति (रुपयों में) वर्ष 31-3-90 के अंत में अधिशेष	37,917	793	68,903	13,111
31-3-90 को रिजर्व और अधिशेष	4,97,976	7,37,247	7,23,500	2,72,405
(ख) विद्यार्थियों और सदस्यों की संख्या 31-3-1989 को विद्यार्थी .	9,191	15,086	14,038	13,079
31-3-1990 को विद्यार्थी	9,746	14,860	14,270	12,954
31-3-1989 को सदस्य	1,015	1,564	1,680	2,404
31-3-1990 को सदस्य	1,076	1,727	1,818	2,636

परिशिष्ट 'ग'

(भाग-1)

सदस्यों में वृद्धि

	वर्ष	कुल संख्या			पिछले वर्ष की तुलना में वार्षिक वृद्धि	
		एसोसिएट सदस्य	फैलो सदस्य	कुल (2+3)	सकल	प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6
क	1984-85	4204(81.19)	988(18.81)	5252(100)	306	6.19
	1985-86	4405(78.59)	1200(21.41)	5605(100)	353	6.72
	1986-87	4648(78.25)	1292(21.75)	5940(100)	335	.98
	1987-88	4947(78.09)	1388(21.91)	6335(100)	395	.65
	1988-89	5179(77.66)	1490(22.34)	6669(100)	334	.27
	1989-90	5657(77.95)	1600(22.05)	7257(100)	588	.81
ख.	1984-85 से 1989-90 तक सकल परिवर्तन	1393(69.48)	612(30.52)	2005(100)	--	--
ग.	1984-85 से 1989-90 तक प्रतिशत परिवर्तन	32.66	61.94	38.17	--	--
घ.	औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत	6.53	12.38	7.63	--	--
ङ.	संयोजित वार्षिक दर प्रतिशत	5.82	10.2	6.68	--	--

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में हैं

भुगतान न करने के कारण	रजिस्टर में निकाले गए		कुल सदस्यों में से निकाले गए सदस्यों का प्रतिशत	प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र धारकों की संख्या	कुल सदस्यों में से प्रैक्टिस प्रमाण पत्र धारकों का %
	मृत्यु के कारण	कुल (7+8)			
7	8	9	10	11	12
83(88.29)	11(11.71)	94(100)	1.79	672	12.80
98(92.45)	8(7.55)	106(100)	1.89	749	13.36
68(82.92)	14(17.08)	82(100)	1.38	879	14.80
76(86.36)	12(13.64)	88(100)	1.39	1065	16.81
196(92.02)	17(7.98)	213(100)	3.19	1192	17.87
100(91.74)	9(8.26)	109(100)	1.50	1225	16.88
--	--	15(100)			
--	--	15.96			
--	--	3.19			
--	--	3.00			

भाग-II

प्रैक्टिस प्रमाण पत्रधारी सदस्यों में वृद्धि

	वर्ष	वर्ष के दौरान जारी	वर्ष के दौरान नवीकरण	वर्ष के दौरान रद्द	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि	31 मार्च को कुल प्रैक्टिस प्रमाण पत्रधारी सदस्यों की संख्या
क.	1984-85	160	512	44	116	672
	1985-86	145	604	68	77	749
	1986-87	185	694	55	130	879
	1987-88	247	818	61	186	1065
	1988-89	258	934	131	127	1192
	1989-90	122	1103	89	33	1225
ख.	सकल परिवर्तन 1984-85 से 1989-90					553
ग.	प्रतिशत परिवर्तन 1984-85 से 1989-90 तक					82.29
घ.	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)					16 46
ङ.	संयोजित वार्षिक दर (प्रतिशत)					12.75

परिशिष्ट "घ"

वर्ष 1989-90 में आयोजित व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की सूची

1. 3-4 जुलाई, 1989 — नई दिल्ली में "निवेशकर्ता संरक्षण और अद्यतन कम्पनी लॉ" विषय पर व्यावसायिक विकास कार्यक्रम।

2. 5-6 अगस्त, 1989 — नई दिल्ली में "निगम वित्त और विधि" विषय पर आई सी एस आई—आई सी ए आई का संयुक्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रम।

3. 19-20 अक्तूबर, 1989 — बंगलौर में "सरकारी कम्पनियों में विधिक तथा सचिवीय प्रबन्ध" विषय पर आई सी एस आई—बी पी ई का संयुक्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रम।

4. 14-15 दिसम्बर, 1989 — नई दिल्ली में "सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित आर्थिक, वित्तीय और विधिक पहलुओं में उभरती प्रवृत्तियां" विषय पर आई सी एस आई—बी पी ई का संयुक्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रम।

5. 8-10 फरवरी, 1990 — बम्बई में "90 के दशक में व्यवसाय—उभरते आयाम" विषय पर 18वां राष्ट्रीय सम्मेलन।

6. 1-3 मार्च, 1990 — लखनऊ में "सरकारी निदेशकों की भूमिका" विषय पर आई सी एस आई—उत्तर प्रदेश के राज्य उद्यमों के ब्यूरो का संयुक्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रम।

परिशिष्ट "क"

भाग 1

प्रैक्टिस में कार्यरत कम्पनी सचिव के लिए मान्यताएं

(जुलाई 1990 तक)

क्र.सं.	संविधि प्राधिकार	प्रयोजन	मान्यता कब मिली
1	2	3	4
1. संविधि , नियम और विनियम			
1.	कम्पनी अधिनियम, 1956 (1988 में यथा संशोधन)	(i) पूर्णकालिक प्रैक्टिसरत 'सचिव' की परिभाषा में उसे लिया गया है, जो इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिसरत सदस्य है, न कि जो पूर्णकालिक नौकरी में है [धारा 2 (45क)][1]	मई 1988 से 15-6-1988
		(ii) किसी कम्पनी के पंजीकरण के लिए कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए फार्म 1 में सांविधिक घोषणाओं के लिए [(धारा 33(2)][1]	
		(iii) नया व्यापार आरम्भ करने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधी अनुपालन के फार्म 19 में सत्यापित, घोषणाओं के लिए (धारा 149)[1]	
		(iv) सूचीबद्ध कम्पनियों की वार्षिक विवरणी पर हस्ताक्षर के लिए (धारा 161)[1]	
		(v) यह प्रमाणित करने के लिए कि केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना जिन प्रबंध कार्मिकों को नियुक्त किया गया है और उन्हें जो प्रबन्ध-पारिश्रमिक दिया गया है, इसमें अनुसूची XIII की आवश्यकताओं के अनुसार सांविधिक मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखा गया है [धारा 269(2) और अनुसूची XIII][1]	
2.	कम्पनी विनियमावली, 1956	धारा 25 की कम्पनियों के बारे में विनियम 4(ii) के अधीन घोषणा करना कि कम्पनी के ज्ञापन और अन्तर्नियम कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप तैयार किए गए हैं और रजिस्ट्रेशन से संबंधित या इसके अनुषंगी अथवा पूरक मामलों के बारे में अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का यथावत अनुपालन किया गया है।[1]	जुलाई 1989
3.	कम्पनी अप्रदत्त लाभांश (केन्द्रीय सरकार के सामान्य राजस्व खाते में अन्तरण) नियम, 1978 धारा 205 क (6) और नियम 4(1)	यह प्रमाणित करना कि धारा 205क की उपधारा (1) और (2) के अन्तर्गत विशेष खाते के अन्तर्गत अन्तरण की तारीख से तीन वर्षों की अवधि में जिस राशि का भुगतान हुआ है या जिस राशि का दावा नहीं हुआ है, वह सारी राशि केन्द्रीय सरकार के सामान्य राजस्व खाते में अन्तरित कर दी गई है।	मार्च, 1988
4.	कम्पनी विधि बोर्ड पीठ नियमावली, 1975[2] (नियम 28)	कम्पनी विधि बोर्ड पीठिकाओं के समक्ष अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य के लिए।	दिसम्बर, 1975
5.	धन-कर नियमावली, 1957[2] [नियम (8क), (7)]	स्टॉक-शेयर, डिबेंचर इत्यादि के मूल्यांकक के रूप में पंजीकरण के लिए मान्यता	अक्तूबर, 1974
6.	आयकर अधिनियम 1961[2] और आयकर नियमावली, 1962 [2] [धारा 288(2) और नियम 49 और 50)][3]	आयकर अधिकारियों के समक्ष अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य के लिए	जुलाई 1979
7.	एम.आर.टी.पी. आयोग विनियमावली, 1974[2] (विनियम 65 का उपबंध)	एम.आर.टी.पी. आयोग के समक्ष अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए	मई 1982
8.	(i) प्रतिभूति संविदा (विनियम) 1956 तथा प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियमावली, 1957 (गाईड लाईन सं.एफ. 1/8/एस.ई. 82 दिनांक 20-3-1982)	स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अनुमोदन के आधार पर प्रमाण पत्र के लिए कि कम्पनी के आबंटन किया है।	अगस्त, 1982
	(ii) प्रेस नोट सं. 14(2) एम.ई. -85 दिनांक-15-10-1985	ऐसी कम्पनियों के संबंध में, जो पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 पूंजी निर्गम (छूट) आदेश, 1969 के अन्तर्गत पूंजी उगाहते हैं, इस बात का प्रमाणपत्र देने के लिए कि प्रोमोटरों के कोटे के शेयरों में से शेयरों पर यह मोहर लगा दी गई है कि शेयरों के आबंटन की तारीख से कम-से-कम तीन वर्ष की अवधि तक ये शेयर बेचे/हस्तांरित/गिरवी नहीं किए/रखे जाएंगे।	अक्तूबर, 1985

1. इन प्रयोजनों के लिए केवल पूर्णकालिक प्रैक्टिसरत सचिव को ही मान्यता प्राप्त है ।

2. किसी कम्पनी का सचिव भी इस प्रकार के काम को हाथ में ले सकता है।

3. आयकर अधिनियम की धारा 288(2)(v) के अन्तर्गत केवल वे लोग जिन्होंने आयकर नियमावली के नियम 50 के अधीन मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वही प्राधिकृत के रूप में कार्य कर सकते हैं। नियम 50 में साथ ही कम्पनी सचिव (जी.डी.सी.एस.) के सरकारी डिप्लोमाधारी/इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया की फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण लोग शामिल हैं।

1	2	3	4
(iii)	(क) अहमदाबाद शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन (ख) उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड, कानपुर	स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों की लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण, जैसाकि फाईल संख्या एफ 1/4/एस.ई. 83 दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार आवश्यक है।	मार्च, 1984 अप्रैल 1984
9.	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 (धारा 35 क्यू और नियम 232 (ख)	सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय अधिकरण के समक्ष अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए	अक्तूबर, 1982
10.	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और सीमा शुल्क (अपील) नियमावली 1982 (धारा 146 क और नियम 9)।		
11.	स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपील नियमावली, 1982 (धारा 101क और नियम 9)		
12.	व्यापार और पण्य-चिह्न नियमावली 1959 (नियम 148)	व्यापार चिह्न एजेंट के रूप में पंजीकृत कराने के लिए	अप्रैल 1985
13.	आयात और निर्यात नीति 1990-93 आयात और निर्यात नीति 1990-93 (खण्ड 1)		
	(i) नीति का पैरा 219 (1) और प्रक्रिया का पैरा 338 (1) परिशिष्ट XVIII-A तथा नीति का पैरा 218(2)(ङ)	(क) निर्यात निष्पादन तथा (ख) आधार वर्ष में किए गए निर्यात के बारे में किसी को प्राप्ति का प्रमाणीकरण जो पंजीकृत निर्यातकर्ता को निर्यात गृह द्वारा आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक को निर्यात गृह/व्यापार गृह प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत करना होता है।	
	(ii) नीति का पैरा 80 (1) और प्रक्रिया का पैरा 241(4)	वास्तविक उपभोक्ताओं (औद्योगिक) के लिए बिक्री बाद सेवाओं के लिए अतिरिक्त कल-पुर्जे आयात करने के लिए आयात अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के वास्ते अपेक्षित वार्षिक उत्पादन की मात्रा के संबंध में प्रमाणीकरण।	
	(iii) नीति का पैरा 83(4) और (5)	काम कर रहे वाहन-समूह के सभी विवरणों का प्रमाणीकरण और ऐसे सभी संबद्ध दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए जो (क) उस वाहन-समूह के स्वामी को चाहिए जिसके पास कम से कम ऐसे 25 मोटर वाहन हों जिनके लिए सीमित कल-पुर्जे आयात करने आवश्यक होते हैं; तथा (ख) राज्य परिवहन उपक्रमों को उनकी अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए।	
	(iv) नीति का पैरा 169 (2)	[illegible] प्राप्त देसी या आयातित अस्त्रशस्त्र व्यापारियों के हथियारों की वर्ष वार कुल बिक्री का प्रमाणीकरण, जो निर्दिष्ट प्रकार के हथियारों के आयात के लिए चाहिए। प्रमाणपत्र में आयात आवेदन पत्र की तारीख को आवेदक के वैध "अस्त्रशस्त्र व्यापारी" लाइसेंस की संख्या और तारीख दी जानी चाहिए।	
	(v) नीति का पैरा 112(1)	संबद्ध दुकान तथा स्थापना संविधि के अधीन वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाले व्यक्तियों की पुस्तकों की कुल खरीद से संबंधित प्रमाणीकरण, जो खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की जाने वाली पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के आयात के लिए चाहिए।	
	(vi) परिशिष्ट 6, क्रम सं. 40 (vii) (क)	संबद्ध दुकान तथा स्थापना संविधि अथवा प्रकाशकों/पुस्तक विक्रेताओं की व्यावसायिक एसोसिएशन में से किसी की सदस्यता के अधीन वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र रखने वाले व्यक्तियों की कुल बिक्री से संबंधित प्रमाणीकरण जो खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की जाने वाली पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के आयात के लिए चाहिए।	
	आयात निर्यात प्रक्रिया की हस्तपुस्तिका (खण्ड I) 1990-93		
	(vii) परिशिष्ट XV-G	निर्यात-आयुक्त की निर्यात-मूल्य सूचि द्वारा प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित निर्यात निष्पादन प्रमाणीकरण जो निर्यात निष्पादन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए चाहिए।	

1	2	3	4
(viii) परिशिष्ट XV—E		सम्भागिकता के अधीन निर्यात विवरण का प्रमाणीकरण, जो विदेशों में संयुक्त उद्योगों में भारतीय सम्भागिता के लिए मशीनों और उपकरणों के निर्यात के लिए आई. ई. पी. लाइसेंस प्राप्त करने लिए चाहिए।	
(ix) परिशिष्ट XVIII—B		निवल विदेशी मुद्रा प्राप्ति संबंधी प्रमाणीकरण जो निर्यात/व्यापार गृह को अतिरिक्त अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए चाहिए।	
(x) परिशिष्ट III-A भाग ख और प्रक्रिया पैरा 220 (3)		नीति के परिशिष्ट 2-ख और 3-क में दी गई अलौह धातु इस्पात के अलावा अन्य मदों तथा परिशिष्ट 2-ख और 3-ख में लौह और इस्पात की मदों के आयात के बारे में आवश्यकता उपभोग, स्टॉक आदि का विवरण का प्रमाणीकरण।	
(xi) परिशिष्ट XIX-A भाग II, सामान्य अनुदेश सं. 12 और 13		निर्यात ठेकों को क्रियान्वित करने के लिए आयात की प्रत्येक मद के बारे में उनके तकनीकी विवरण/विशिष्टियों तथा मात्रा दोनों में संबंधित कच्चे माल, कलपुर्जे और उपभोज्य सामग्री की कम्पनी की आयात आवश्यकताओं का प्रमाणीकरण।	
(xii) पैरा 224(3)		जिन मदों को पिछले लाइसेंस वर्ष के दौरान खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आयात किया जा सकता था और जिन्हें चालू वर्तमान आयात नीति में सीमित अनुमत्य सूची में रख दिया गया है, ऐसी आयात की मदों के बारे में बीमा भाड़ा मूल्य और उन वस्तुओं की मात्रा का प्रमाणीकरण। यह प्रमाणपत्र ऐसे स्वतः लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होता है, जहां स्वतः लाइसेंस का आवेदन खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आयात के बदले में करना होता है।	
(xiii) पैरा 311क(2) (vii) और परिशिष्ट XV-M		ऐसे माल के निर्माण के विवरण का प्रमाणीकरण जिसका आयात के लिए अनुरोध करने वाले पूंजीगत माल से सम्बन्ध जुड़ा है। यह प्रमाणपत्र रियायती सीमा शुल्क पर पूंजीगत माल के लिए दिए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होता है।	
आयात-निर्यात प्रक्रिया की हस्तपुस्तिका (खण्ड-II) 1990-93 (xiv) खुला सामान्य लाइसेंस सं. 3/90, आदेश सं. 3/90-93, शर्तें 3 व 4		निम्नलिखित के बारे में प्रमाणीकरण (क) कम्प्यूटर यंत्र का बीमा भाड़ा मूल्य या उसका क्रय मूल्य, जो आयातकर्ता द्वारा अनुमत प्रतिस्थापन हिस्सों-पुर्जों के आयात के लिए अपेक्षित है; और (ख) आयातित कम्प्यूटर यंत्रों का बीमा भाड़ा मूल्य, कम्प्यूटर मेंटेनेंस कार्पोरेशन लि. द्वारा प्रमाणित हिस्से-पुर्जों (अनुमत्य और सीमित), उपकरणों, उपभोज्य सामग्री तथा तकनीकी प्रशिक्षण सामग्री, परीक्षण उपकरणों और पुराने तथा मरम्मत किए प्रतिस्थापन हिस्से-पुर्जों का भी आयात करने के लिए अपेक्षित है।	
II. संस्थान :			
14. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (ii) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (iii) भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि.		निम्नलिखित के संबंध में प्रमाणीकरण के लिए : (क) करार करने संबंधी कम्पनी और उसके निदेशकों की आवश्यक शक्तियां (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(1)(घ) के अधीन नामी कम्पनी ऋण लेने की समीक्षा, जिसमें प्राधिकृत, निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी तथा वास्तव में लिए गए ऋणों के ब्यौरे शामिल हैं। (ग) कम्पनी के सदस्यों की सूची	जुलाई 1981
(iv) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (v) भारतीय जीवन बीमा निगम		(घ) पूंजी निर्गम (छूट) आदेश 1969 के अधीन प्रस्तावित ऋण लेने की छूट से संबंधित प्रमाणपत्र (ङ) कम्पनी बैठकों में पास किए गए संकल्पों की प्रतियां वित्तीय संस्थानों को देना।	जुलाई 1983
(vi) भारतीय सामान्य बीमा निगम			
(vii) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक		-वही- (क) से (ङ) तक	जनवरी 1985
III. उच्च न्यायालय			
15. कलकत्ता उच्च न्यायालय पत्र सं. 2070, 424, दिनांक 9-2-1984		रिसीवरों, मध्यस्थों, ट्रस्टियों और विशेष अधिकारियों की नियुक्ति के लिए पैनल में कार्यरत कम्पनी सचिवों की भूमिका का परिवर्तन	फरवरी 1984

1	2	3	4
IV. बैंक :			
16. इंडियन बैंक्स एसोसिएशन "परिपत्र एस.ओ. 69-73-III-सी-82/9565, दिनांक 15-4-83 और परिपत्र सं. एस.ओ./69-73-सी-86/4763, दिनांक 16-6-1985	बैंकों के लिए वस्तुस्थिति /खोज रिपोर्ट		अप्रैल 1988
V. राज्य स्तरीय एजेंसियां			
17. राज्य वित्तीय/औद्योगिक/निवेश/विकास निगम :			
(i) हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम, शिमला	(क) कम्पनी और इसके निदेशकों की करार संबंधी आवश्यक शक्तियां।		जुलाई 1982
	(ख) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 293(1)(घ) के अधीन कम्पनी द्वारा ऋण लेने की सीमा जिसमें प्राधिकृत, निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी तथा वास्तविक ऋणों के ब्यौरे भी शामिल हैं।		
(ii) पश्चिमी बंगाल वित्तीय निगम, कलकत्ता	-वही-		अगस्त 1983
(iii) महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम, बम्बई	-वही-		अप्रैल 1984
(iv) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., कानपुर	-वही-		दिसम्बर 1985
(v) असम औद्योगिक विकास निगम लि., गौहाटी[4]	(क) कम्पनी और इसके निदेशकों की करार संबंधी आवश्यक शक्तियां		
	(ख) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 293(1) के अधीन कम्पनी द्वारा ऋण लेने की सीमा जिसमें प्राधिकृत, निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी तथा वास्तविक ऋणों के ब्यौरे भी शामिल हैं।		मार्च 1982, अक्तूबर 1988
	(ग) कम्पनी के सदस्यों की सूची		
	(घ) पूंजी निर्गम (छूट) आदेश 1969 के अन्तर्गत प्रस्तावित ऋण का छूट का प्रमाण पत्र।		
	(ङ) वित्तीय संस्थानों को पेश की जाने वाली कम्पनी बैठकों में पारित संकल्पों की प्रतियां		
(vi) गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लि.[4] अहमदाबाद	-वही-		अक्तूबर 1982 अगस्त 1986
(vii) नागालैंड औद्योगिक विकास निगम लि., दीमापुर	-वही-		सितम्बर 1983
(viii) उत्तरप्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर	-वही-		सितम्बर 1983
(ix) तमिलनाडु राज्य औद्योगिक उन्नति निगम लि.[4], मद्रास	-वही-		अक्तूबर 1983
(x) तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लि.[4], मद्रास	-वही-		नवम्बर 1983
(xi) कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश और विकास निगम लि., बंगलौर	-वही-		जुलाई 1982 फरवरी 1986
(xii) उत्तर प्रदेश का प्रदेशीय औद्योगिक और विकास निगम लि., लखनऊ	-वही-		मार्च 1986
(xiii) आन्ध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम, हैदराबाद	-वही-		जून 1982 मार्च 1986
(xiv) पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., चंडीगढ़	-वही-		मार्च 1986
(xv) महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक और निवेश निगम लि., बम्बई	-वही-		जुलाई 1982 मार्च 1986

4. इसके अलावा कम्पनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा रखे गए रिकार्ड से खोज रिकार्ड से संबंधित प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा।

1	2	3	4
(xvi)	हरियाणा वित्त निगम[4] चंडीगढ़	–वही–	सितम्बर 1982 अप्रैल 1986 तथा मई 1988
(xvii)	पंजाब वित्त निगम, चंडीगढ़	–वही–	मई 1986
(xviii)	आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि., हैदराबाद	–वही–	मई 1982 जून 1986
(xix)	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लि., जयपुर	–वही–	अगस्त 1986
(xx)	औद्योगिक उन्नति और निवेश निगम उड़ीसा लि.,[4] भुवनेश्वर	–वही–	सितम्बर 198 अगस्त 1986
(xxi)	गुजरात राज्य वित्तीय निगम लि.,[4] अहमदाबाद	–वही– (क) से (ड.)	अप्रैल 1982 सितम्बर 1986
(xxii)	मिजोरम औद्योगिक विकास निगम लि,[4] मिजोरम	–वही–	मार्च 1987
(xxiii)	केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.[4] त्रिवेन्द्रम	–वही–	अगस्त 1986 जून 1987
(xxiv)	राजस्थान वित्त निगम[4], जयपुर	–वही–	सितम्बर 1983 जुलाई 1987
(xxv)	पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम[4], कलकत्ता	–वही–	जुलाई 1987
(xxvi)	बिहार राज्य वित्तीय निगम[4], पटना	–वही–	जनवरी 1988
(xxvii)	दिल्ली राज्य वित्तीय निगम[4], नई दिल्ली	–वही–	जून 1988
(xxviii)	मणिपुर औद्योगिक विकास निगम[4], इम्फाल	–वही–	अप्रैल 1990
		ख. सचिवीय लेखा परीक्षा	
(i)	मणिपुर औद्योगिक विकास निगम, लि.,[4] इम्फाल	वर्ष में एक बार निगम की सहायता से कम्पनियों की सचिवीय लेखा परीक्षा	अप्रैल 1990
(ii)	असम औद्योगिक विकास निगम लि., गुवाहाटी	आई डी बी आई की पुनः वित्त योजना के अन्तर्गत वर्ष में एक बार निगम की सहायता से कम्पनियों की सचिवीय लेखा परीक्षा। किन्तु जिन कम्पनियों में पूर्णकालिक कम्पनी सचिव हैं, उन्हें सचिवीय लेखापरीक्षा कराने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि वह कम्पनी सचिव विधि के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है।	जुलाई 1990
VI. सरकारी विभाग			
18.	कृषि और सहकारी विभाग, कृषि मंत्रालय	कृषि और सहकारी विभाग द्वारा अपनी संशोधित नीति, 1983 के अन्तर्गत जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रैक्टिसरत कम्पनी सेक्रेटरी, जो किसी कम्पनी का कर्मचारी नहीं है, उसे विदेश मत्स्यपोत को किराए पर लेने वाली कम्पनी के कुछ निर्धारित ब्यौरों के बारे में प्रमाण पत्र जारी करने की मान्यता प्रदान की गई है।	जुलाई 1987

परिशिष्ट-"ख"

भाग-II

रोजगार में कम्पनी सचिव के लिए मान्यताओं की सूची

क्र.सं.	सांविधिक प्राधिकार	प्रयोजन	मान्यता कब मिली
1	2	3	4
1.	शिक्षा मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ पदों और सेवाओं में नियुक्ति।	फरवरी, 1968, दिसम्बर 1971 और जुलाई 1981
2.	कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 2 (45)	सचिव की परिभाषा में संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत इंस्टीट्यूट की सदस्यता अर्हता रखी गई तथा प्रावधान किया कि सचिव द्वारा किए जाने वाले कार्यों में जिसमें कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत कार्य तथा अन्य कोई लिपिकीय या प्रशासनिक कार्य शामिल हैं।	मई 1988 15-6-1988 से दिसम्बर 1988
3.	कम्पनी (सचिव की नियुक्ति और अर्हताएं) नियमावली, 1988	जिन कम्पनियों की प्रदत्त शेयर पूंजी 25 लाख रुपए से कम है उनमें पूर्णकालिक कम्पनी सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए इंस्टीट्यूट की इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण।	
4.	कम्पनी सचिव, 1956 की धारा 383-क	जिन कम्पनियों की प्रदत्त शेयर पूंजी 25 लाख रुपए या इससे अधिक है उन कम्पनियों में पूर्णकालिक कम्पनी सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए वही अर्हताएं हैं जो 1975 में इस धारा में उल्लिखित थीं, इन्हें 1988 के संशोधित अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा पुन: निर्धारित कर दिया गया है।	फरवरी 1975 यथा संशोधित दिसम्बर 1988
5.	आंध्र प्रदेश सरकार	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में वरिष्ठ पदों के लिए।	सितम्बर 1981
6.	केन्द्रीय सरकार (कम्पनी कार्य विभाग)	केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा की लेखा शाखा में ग्रेड 1 से 4 तक की भर्ती में अनिवार्य अर्हता।	नवम्बर 1982
7.	गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग	एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के विकासशील देशों में भारतीय विशेषज्ञों को भेजे जाने के लिए कम्पनी सचिवों की तालिका बनाना।	मार्च 1984
8.	गुजरात सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, परिपत्र सं. आर.डी.डी./1077-1120 के. दिनांक 16-1-78 और पत्र सं. आर.डी.डी.-1081-1781 के दिनांक 23-6-81	केन्द्रीय अथवा राज्य विधान सभा के किसी अधिनियम या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित और किसी विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रदत्त डिग्री/डिप्लोमा राज्य सरकार के पद सेवाओं पर भर्ती के लिए स्वत: मान्यता प्राप्त है।	जनवरी 1978 जून 1981
9.	तमिलनाडु सरकार, कार्मिक और प्रशासन सुधार, (कार्मिक आर) विभाग, आदेश सं. जी.ओ.एम. सं. 143 दिनांक 2-3-88	राज्य सरकार सेवा के ऐसे संबंधित विभागों में जहां व्यापार, वाणिज्य, वित्त, वाणिज्यिक करों और उद्योग संबंधी विशिष्ट ज्ञान की जरूरत है, वहां राज्य सरकार सेवा की ग्रुप 'ए' की नियुक्तियों के प्रयोजन के लिए कम्पनी सेक्रेटरी की अर्हता को एक अर्हता मान लिया गया है।	मार्च 1988
10.	केरल सरकार, योजना तथा आर्थिक कार्य, (बी.पी.ई., विभाग) त्रिवेन्द्रम, आदेश सं. - 10180 बी.पी.ई.- 2- 89 प्लानिंग, दिनांक 29-5-89	केरल में राज्य सरकार के उद्यमों में वित्त निदेशकों के पदों की भर्ती के लिए ए.सी.ए.ए. आई. सी.डब्ल्यू.ए. की अर्हताओं के अलावा ए.सी.एस. अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।	मई 1989

परिशिष्ट 'क'

(भाग-III)

वर्ष 1989-90 तक विभिन्न विश्वविद्यालयों में पी-एच.डी. प्राप्त करने के लिए मान्यताओं की सूची

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	संदर्भ	संकाय
1	2	3	4
1.	बंगलौर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय सिटी कैम्पस, बंगलौर-560001	कॉम. 17663/85-86 दिनांक 3-4-1986	वाणिज्य
2.	कोचीन साइंस तथा टैक्नोलोजी विश्वविद्यालय, कोचीन	ए.सी.ए. 3/10703/85 दिनांक 25-3-1986.	वाणिज्य और सम्बद्ध विषय
3.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	अन./रिकाग/8130 दिनांक 23-4-1987	वाणिज्य
4.	केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम	म. एकेड सी. 3/2034/85 (रिकाग्नीशन) दिनांक 7-8-1985	वाणिज्य/समाज विज्ञान
5.	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	सं. ए.फी.-3/आर/81/2375 दिनांक 28-2-1981	वाणिज्य और सम्बद्ध विषय
6.	मंगलोर विश्वविद्यालय, मंगलोर-575003	सं. एम. जू./ए.सी.सी. /पी.एच.डी/22/84-85(ए-5) दिनांक 31-7-1985	वाणिज्य और सम्बद्ध विषय
7.	मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ		वाणिज्य
8.	मैसूर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय कार्य सौध, 'क्रॉफोर्ड हाल'; मैसूर-570001	आर 2/917/84-85 दिनांक 12-12-1985	वाणिज्य
9.	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	एकजाम/रिकाग/5591 दिनांक 21-9-83	वाणिज्य
10.	पूना विश्वविद्यालय, गणेशखण्ड, पूना-411007	इ.एल.जी./4251 दिनांक 16/19-6-1981	वाणिज्य विधि/प्रबन्ध
11.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़-160014	सं. 1416/जी.एम. दिनांक 31-3-1988	व्यापार प्रबन्ध तथा वाणिज्य
12.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, पो. बा. नं. 10, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात-388120	डी. ए. 4/1/8209 दिनांक 26-12-1980	वाणिज्य
13.	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय कैम्पस, उधाना, मगदाला रोड, सूरत-395007	स. ए/इ.एल. आई./ईसिय./17388 दिनांक 18/23-2-1981	संयुक्त मान्यता
14.	शिवाजी विश्वविद्यालय, विद्यानगर, कोल्हापुर-416004	एस यू/इक्जी./जे.एन.बी /3641 दिनांक 21-12-1988	वाणिज्य
15.	बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई-400032	सं. ई.एल/सी 121/1989 दिनांक 9-1-1989	वाणिज्य
16.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति-517502	सीएल (6) 25959 पीएचडी/79 दिनांक 20-2-1980	सभी विषय

परिशिष्ट "च"
(भाग-I)

विद्यार्थियों की वृद्धि

पंजीकृत विद्यार्थियों तथा इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने वाले विद्यार्थियों व प्रशिक्षण दे रही कंपनियों की संख्या के संबंध में विवरण 1984-85 से 1989-90 तक ।

वर्ष	पंजीकृत विद्यार्थी (वर्तमान)	वर्तमान उत्तीर्ण विद्यार्थी		व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए सामान्यता प्राप्त कम्पनियों की संख्या
		इण्टर	फाइनल	
क. 1984-85	50010	1116	484	480
1985-86	51670	1275	120	514
1986-87	51020	1681	510	580
1987-88	50519	1394	646	661
1988-89	51459	1234	824	762
1989-90	52335	1151	773	850
ख. सकल परिवर्तन (1984-85 से 1989-90 तक)	2325			
ग. प्रतिशत परिवर्तन (1984-85 से 1989-90 तक)	4.65			
घ. औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत) संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)	0.93			
ङ संयोजित वार्षिक 0.90 वृद्धि दर (प्रतिशत)	0.91			

परिशिष्ट 'च'
(भाग-II)

विद्यार्थियों के पंजीकरण का विवरण (अर्हता-क्रम में)

	1989-90		1988-89		1987-88	
	सकल संख्या	कुल का प्रतिशत	सकल संख्या	कुल का प्रतिशत	सकल संख्या	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
भाग-I						
सी.ए. और सी. डब्ल्यू. ए.	85	0.70	72	0.69	64	0.76
सी. डब्ल्यू. ए.	473	3.90	375	3.61	257	3.08
एल-एल. बी.	585	4.83	413	3.97	318	3.84
एम. काम.	687	5.67	610	5.87	398	4.78
एम. बी. ए.	110	0.90	95	9.91	72	0.86
कुल (भाग-I)	1940	16.00	1565	15.00	1109	13.32
भाग-II						
सी. ए.	612	5.05	572	5.50	547	6.58
बी. काम./बी.ए./एस.सी. काम	8442	69.63	7275	70.05	5972	71.79
अन्य विधाओं में स्नातकोत्तर	325	2.68	2206	2.17	168	2.02
कुल (भाग-II)	9379	77.35	8073	77.74	6687	80.39
भाग-III						
अन्य	805	6.64	746	7.18	523	6.29
कुल (भाग I+II+III)	12124	100.00	10384	100.00	8319	100.00

परिशिष्ट

जून और दिसम्बर 1989 में आयोजित परीक्षाओं में बैठने तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या की सारणी

जून 1989 का सत्र

परीक्षा	बैठे	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशतता
प्रारम्भिक (प्रीलिमीनरी)	56	7	12.50
इण्टरमीडिएट (पुराना पाठ्यक्रम)*			
ग्रुप-1	1447	452	31.23
ग्रुप-2	1151	407	35.36
इण्टरमीडिएट (नया पाठ्यक्रम)**			
ग्रुप-1	1913	292	15.26
ग्रुप-2	2611	626	23.97
फाइनल (पुराना पाठ्यक्रम)†			
ग्रुप-1	759	257	33.88
ग्रुप-2	1201	344	28.64
ग्रुप-3	1419	284	20.01
फाइनल (नया पाठ्यक्रम)††			
ग्रुप-1	299	152	50.83
ग्रुप-2	218	67	30.73
ग्रुप-3	278	98	35.25

*दोनों ग्रुपों में 418 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से दोनों ग्रुपों में 59 ने परीक्षा उत्तीर्ण की (11.11%)

**दोनों ग्रुपों में 244 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से दोनों ग्रुपों में 26 ने परीक्षा उत्तीर्ण की (10.65%)

†तीनों ग्रुपों में 85 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से तीनों ग्रुपों में 4 ने परीक्षा पास की (4.70%)

††तीनों ग्रुपों में 39 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से तीनों ग्रुपों में 13 ने परीक्षा पास की (33.33%)

दिसम्बर 1989 का सत्र

परीक्षा	बैठे	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशतता
प्रारम्भिक (प्रीलिमिनरी)	86	3	3.48
इण्टरमीडिएट*			
ग्रुप-1	2325	390	16.77
ग्रुप-2	3246	579	17.83
फाइनल (पुराना पाठ्यक्रम)@			
ग्रुप-1	662	271	40.93
ग्रुप-2	1082	345	31.88
ग्रुप-3	1337	243	18.17
फाइनल (नया पाठ्यक्रम)@@			
ग्रुप-1	405	238	58.77
ग्रुप-2	403	221	54.84
ग्रुप-3	401	89	22.19

* दोनों ग्रुपों में 1089 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से दोनों ग्रुपों में 72 ने परीक्षा पास की (6.61%)

@ तीनों ग्रुपों में 172 परीक्षार्थी बैठे जिनमें से 10 ने परीक्षा पास की (5.81%)

@@ तीनों ग्रुपों में 94 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से 24 ने परीक्षा पास की (25.51%)

परिशिष्ट 'ज'

विभिन्न प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रायोजित विद्यार्थी

	31 मार्च को मान्यता प्राप्त कम्पनियों की संख्या				31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान प्रायोजित विद्यार्थियों की संख्या			
	1987	1988	1989	1990	1987	1988	1989	1990
प्रवेश प्रशिक्षण . . .	120	262	371	460	16	74	170	125
प्रैक्टिकल प्रशिक्षण . . .	580	661	762	850	326	432	542	519
कम्पनी सचिव . . .	26	32	67	86	25	40	80	82

सेनगुप्ता एण्ड कं.,
बी.के. चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स

पी-22 साउथ एक्सटेंशन भाग-II नई दिल्ली-110049
टेलीफोन-6846838
11 सितम्बर, 1990

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया के 31 मार्च, 1990 के तुलन-पत्र, तथा इसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय और लेखे का परीक्षण किया है और हमारी रिपोर्ट इस प्रकार है :

1. हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है तथा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित के बारे में यें लेखे सही और पर्याप्त स्पष्ट स्थिति प्रगट करते हैं :

(क) इंस्टीट्यूट के मामलों से संबंधित 31 मार्च, 1990 को समाप्त अवधि के तुलन-पत्र के बार में स्थिति ।

(ख) उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय व व्यय लेखे में अधिशेष से संबंधित स्थिति ।

2. हमें वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए, जो हमें अपेक्षित जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए प्राप्त करने आवश्यक थे ।

3. हमारी राय में इंस्टीट्यूट ने अब तक समुचित लेखा-पुस्तकें और रिकार्ड रखे हैं, जैसा कि इन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से स्पष्ट होता है ।

4. रिपोर्ट का संदर्भाधीन तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखे, रखी गई लेखा पुस्तकों और रिकार्डों से मेल खाते हैं ।

कृते डी. के. सेन गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स

ह.

(डी. के. सेनगुप्ता)

2605 GI90—4

दि इंस्टीटयूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया

31 मार्च, 1990 का तुलन-पत्र

	अनुसूची		1989–90		1988–89
		रु.	रु.	रु.	रु.
निधि का स्रोत					
पूंजी रिजर्व	1		22,38,425		20,37,025
सामान्य रिजर्व	2		1,80,28,806		1,56,36,204
भवन रिजर्व	3		23,53,307		24,96,332
कुल			2,26,20,538		2,01,69,561
निधि का प्रयोग					
स्थायी परि-सम्पत्तियां	4		1,16,37,065		1,04,57,892
(घटाए हुए मूल्यानुसार)					
चालू परिसम्पत्तियां	5	1,99,05,580		1,71,53,318	
घटाएं चालू देयताएं	6	1,24,46,209	74,59,371	1,03,87,289	67,66,029
ऋण और पेशगियां	7	35,24,102	29,45,640		
कुल			2,26,20,538		2,01,69,561

इसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते डी. के. सेन गुप्ता एंड कं.,
चार्टर्ड अकाउण्टेंटस

ह.
(डी. के. सेन गुप्ता)

नई दिल्ली	टी. पी. सुब्रमण्यन	एस. जे. एन वकीफदार	डी. सी. जैन
11 सितम्बर, 1990	सचिव तथा कार्यकारी निदेशक	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सैक्रेटरीज ऑफ इंडिया

31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय लेखा

आय	अनुसूची	1989-90	1988-89
द्वारा सदस्यों तथा विद्यार्थियों से शुल्क व अभिदान	8	1,58,63,761	1,48,68,030
" चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल और स्टूडेंट कम्पनी सेक्रेटरी बुलेटिन के अभिदान, आवर्तन और विज्ञापन		21,43,287	19,60,183
" सम्मेलन और अन्य व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों से प्रत्यक्ष व्यय से अधिक प्राप्तियां	9	1,15,020	1,07,096
" पिछले वर्षों के लिए मुख्यालय के भवन के संबंध में सम्पत्ति कर का अधिक प्रावधान	3,61,468		
घटाएं : सामान्य रिजर्व में अन्तरण	3,61,468	—	—
" अन्य आय	10	24,91,862	23,95,297
कुल		2,06,13,930	1,93,30,606
व्यय			
को कर्मचारियों को भुगतान	11	79,50,856	72,09,415
" डाक शिक्षण (प्रत्यक्ष लागत)	12	31,05,255	25,95,416
" अनुसंधान और व्यावसायिक विकास		10,240	23,407
" व्यावसायिक प्रशिक्षण		53,116	54,579
" प्रकाशनों और कार्यालय लेखन सामग्री का मुद्रण	13	9,22,264	9,33,575
" चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल और स्टूडेंट कंपनी सैक्रेटरी बुलेटिन का मुद्रण	14	17,08,888	16,37,431
" यात्रा और सवारी	15	6,73,683	6,09,090
" डाक टिकिट, तार, टेलीफोन और टैलेक्स	16	11,22,060	10,48,632
" परीक्षाएं		12,51,197	11,17,811
" किराया, उपशुल्क और कर		1,52,905	2,13,980
" अन्य व्यय	17	8,38,135	8,77,066
" व्यावसायिक सेवाएं	18	1,51,506	1,47,513
" क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं को अनुदान		11,07,310	7,55,272
" क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	19	1,67,711	1,68,680
" स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	4	6,72,358	4,15,204
" छात्रवृत्ति और पुरस्कार योजना	20	38,356	34,495
" पुरानी स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान/बट्टे खाते पर हानि		525	476
को केन्द्रीय और क्षेत्रीय परिषदों के लिए चुनाव-व्यय		—	1,46,367
" अशोध्य और संदेहास्पद ऋण का प्रावधान		4,250	525
" तुलन पत्र में ले जाई गई व्यय से अधिक हुई आय		6,83,315	13,41,672
कुल		2,06,13,930	1,93,30,606

इसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी. के. सेनगुप्ता एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउण्टेंटस
(डी. के. सेनगुप्ता)
नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1990

टी. पी. सुब्बारमन
सचिव तथा कार्यकारी निदेशक

एन. जे. एन. वजीफदार
उपाध्यक्ष

डी. सी. जैन]
अध्यक्ष

अनुसूची - 1

पूंजीगत रिजर्व

	1989-90	1988-89
	रु.	रु.
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	20,37,025	18,48,925
जोड़ें : पूंजीगत शुल्क		
एसोसिएट प्रवेश शुल्क	1,76,400	1,64,100
फैलो प्रवेश शुल्क	25,000	24,000
कुल	22,38,425	20,37,025

अनुसूची - 2

सामान्य रिजर्व

	1989-90	1988-89
	रु.	रु.
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1,56,36,204	1,42,73,955
जोड़ें : (i) भवन रिजर्व से अंतरण रिजर्व (रु. 8,23,754 + रु. 4,57,935 + रु. 84,027 घटाएं : समायोजन - रु. 17,897)	13,47,819	20,577
(ii) पिछले वर्षों के लिए मुख्यालय भवन के संबंध में संपत्ति कर का अधिक प्रावधान	3,61,468	
आय और व्यय लेखों के अनुसार अधिशेष	6,83,315	13,41,672
कुल	1,80,28,806	1,56,36,204

अनुसूची – 3

भवन रिजर्व निधि

			1989–90	1988–89
			रु.	रु.
1-4-1989 को अलग से रखी गई सावधि जमा राशि			24,96,332	22,58,240–
जोड़ें (1) अलग से रखी गई सावधि जमा राशि पर ब्याज			2,39,910	2,58,669
(2) क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं का भवनों/भूमि की लागत के लिए योगदान			8,07,781	—
(3) भवनों के लिए दान राशि			75,000	—
			37,19,023	25,16,909
घटाएं (1) सामान्य रिजर्व में अंतरण				
–क्षेत्रीय परिषदों /शाखाओं का भूमि/भवनों की लागत के लिए योगदान	8,98,833			
–इस्टीट्यूट द्वारा भूमि/भवनों के बारे में वहन की गई लागत	4,48,986			
		13,47,819		20,577
(2) क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं के भवनों/भूमि की लागत में कमी		17,997		
			13,65,716	—
कुल			23,53,307	24,96,332

31-3-1990 के तुलन पत्र के साथ संलग्न और उसके भाग के रूप में

सम्बद्ध परिसम्पत्तियों की अनुसूची-

क्रम सं.	मद	मूल्यह्रास की दर	सकल ब्लाक			
			1-4-1989 को लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31-3-1990 को कुल लागत
1	2	3	4	5	6	7
			रु	रु	रु	रु
1.	भूमि– केन्द्रीय कार्यालय	—	58,756	—	—	58,756
	– क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली	—	2,33,393	—	—	2,33,393
	– क्षेत्रीय कार्यालय मद्रास	—	12,00,000	—	—	12,00,000
	– हैदराबाद शाखा	—	6,00,000	—	—	6,00,000
	– जयपुर शाखा	—	—	3,31,689	—	3,31,689
2.	भवन– केन्द्रीय कार्यालय, (आई सी एस आई भवन)	5	36,08,476	—	—	36,08,475
	– क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई	5	2,58,086	—	—	2,58,086
	– क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (निर्माणाधीन)	—	1,36,536	84,027	—	2,20,563
	–क्षेत्रीय कार्यालय, मद्रास	5	7,63,145	—	—	7,63,145
	– अहमदाबाद शाखा	5	14,59,455	—	—	14,59,455
	– बंगलौर शाखा	5	8,00,000	—	—	8,00,000
	– बड़ौदा शाखा	5	2,47,432	—	13,027	2,34,405
	– बोम्बिवली शाखा	5	1,52,700	—	9,740	1,42,960
	हैदराबाद शाखा	5	4,22,088	—	—	4,22,088
	– कानपुर शाखा	5	—	9,50,000	—	9,50,000
3.	पंखे	10	74,381	2,848	—	77,229
4.	फर्नीचर और जुड़नार	10	11,40,073	11,004	—	11,51,077
5.	समय अभिलेख, टेल-टेल और दीवार घड़ियां	10	7,022	—	—	7,022
6.	गणक और परिकलन यंत्र	15	24,222	161	318	24,065
7.	वातानुकूलक और रूम कूलर	15	1,06,821	1,72,961	—	2,79,782
8.	वातानुकूलक और शीत यंत्र	15	5,45,000	—	—	5,45,000
9.	स्वचालित आपात लाइटें	15	5,083	—	—	5,083
10.	डाकमा मशीनें	15	96,537	—	—	96,537
11.	कैमरा	15	974	—	—	974
12.	कम्प्यूटर	15	—	83,600	—	83,600
13.	अनुलिपि यंत्र	15	56,939	—	—	56,939
14.	फीकिंग मशीन	15	52,159	—	—	52,159
15.	जेनरेटर	15	—	57,833	—	57,833
16.	हैंड ड्रायर	15	2,995	—	—	2,995
17.	हीट कनवेक्टर	15	468	—	—	468
18.	अंत: संचार उपकरण	15	59,425	1,300	—	60,725
19.	घास काटने का उपकरण	15	653	—	—	653
20.	ओवरहैड प्रोजेक्ट और स्क्रीन	15	13,382	8,132	—	21,514
21.	रसोई भंडार के उपकरण और साज-समान	15	12,457	—	—	12,457
22.	पेपर श्रेडिंग मशीनें	15	7,750	5,841	—	13,591

अनुसूची-4

मूल्यह्रास				घटाया हुआ मूल्य	
1-4-1989 से पूर्व	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान समायोजन	कुल	31-03-1990	31-03-1989
8	9	10	11	12	13
रु	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
—	—	—	—	58,756	58,756
—	—	—	—	2,33,393	2,33,393
—	—	—	—	12,00,000	12,00,000
—	—	—	—	6,00,000	6,00,000
—	—	—	—	3,31,689	—
6,52,967	1,47,775	—	8,00,742	28,07,733	29,55,508
72,358	9,286	—	81,644	1,76,442	1,85,728
—	—	—	—	2,20,563	1,36,536
71,476	34,586	—	1,06,012	6,57,133	6,91,719
72,060	69,370	—	1,41,430	13,18,025	13,87,395
39,500	38,025	—	77,525	7,22,475	7,60,500
17,468	10,847	—	28,315	2,06,090	2,29,964
11,168	6,590	—	17,758	1,25,202	1,41,532
20,840	20,062	—	40,902	3,81,186	4,01,248
—	47,500	—	47,500	9,02,500	—
36,611	4,062	—	40,673	36,556	37,770
5,62,989	58,809	—	6,21,798	5,29,779	5,77,084
3,489	353	—	3,842	3,180	3,533
17,564	984	64	18,484	5,581	6,658
64,787	33,324	—	96,611	1,83,171	47,534
3,92,892	22,816	—	4,15,708	1,29,792	1,52,108
3,323	264	—	3,587	1,496	1,760
74,888	3,247	—	78,135	18,402	21,649
376	90	—	466	508	598
—	12,540	—	12,540	71,060	—
31,504	3,816	—	35,320	21,619	25,435
25,708	3,968	—	29,676	22,483	26,451
—	3,675	—	8,675	49,158	—
1,667	199	—	1,866	1,129	1,328
224	37	—	261	207	244
34,002	4,009	—	38,011	22,714	25,423
363	43	—	406	247	290
2,007	2,926	—	4,933	16,581	11,375
7,416	756	—	8,172	4,285	5,041
2,151	1,716	—	3,867	9,724	5,599

1	2	3	4	5	6	7
23.	फ़ोटोस्टेट मशीन	15	1,04,066	--	--	1,04,066
24.	टेप रिकार्डर	15	3,358	897	844	3,411
25.	टेलीफोन कापलर और डिसकनेक्टर	15	8,646	5,170	--	13,816
26.	ट्रांसफार्मर और वोल्टेज स्टेबलाइजर	15	21,522	--	--	21,522
27.	टी वी, वी सी आर और ट्रालो	15	25,190	280	--	25,470
28.	टाइपराइटर	15	2,90,502	986	--	2,96,488
29.	वैक्यूम क्लीनर	15	3,300	--	--	3,300
30.	वाटर कूलर और फिल्टर	15	67,256	--	--	67,256
31.	वाटर मोटर	15	233	--	--	233
32.	वाटर टैंक	15	--	6,111	--	6,111
33.	भारतोलक यंत्र	15	19,309	--	--	19,309
34.	साइकिलें	20	2,395	1,191	--	3,586
35.	पुस्तकालय की पुस्तकें	10	7,13,014	81,809	--	7,94,823
36.	मोटर गाड़ी	20	1,00,765	1,15,572	1,00,765	1,15,572
37.	साइकिल/स्कूटर शैड	33 1/3	19,993	--	--	19,993
	कुल		135,25,956	19,26,412	1,24,694	1,53,27,674
	पिछले वर्ष के आंकड़े		131,83,329	3,44,211	1,584	135,25,956

8	9	10	11	12	13
66,207	5,829	—	71,036	33,030	38,859
2,131	279	575	1,825	1,586	1,237
3,592	1,534	—	5,126	8,690	5,054
13,426	1,215	—	14,641	6,881	8,096
9,720	2,363	—	12,083	13,387	15,470
1,64,189	19,844	—	1,84,033	1,12,455	1,26,313
1,835	220	—	2,055	1,245	1,465
38,564	4,304	—	42,868	24,388	28,692
169	10	—	179	54	64
—	917	—	917	5,194	—
9,651	1,449	—	11,100	8,209	9,658
1,392	439	—	1,831	1,755	1,003
4,70,956	64,775	—	5,35,731	2,59,092	2,42,058
49,173	23,114	49,174	23,113	92,459	51,592
18,821	391	—	19,212	781	1,172
30,68,064	6,72,358	49,813	36,90,609	116,37,065	1,04,72,892
26,53,728	4,15,204	868	350,68,064	104,52,892	1,05,29,601

अनुसूची-5

चालू परिसम्पत्तियां

	1989-90	1988-89
	रु.	रु.
भाग-1 विविध देनदार		
(प्रतिभूति रहित)		
(क) छः महीने से अधिक पुराने जो शोधन माने गए	24,885	25,578
अन्य	1,69,923	2,91,137
(ख) छः महीने से अधिक पुराने मामले, जिनकी प्राप्तियां संदेहास्पद हैं	5,625	1,375
	2,00,433	3,18,090
घटाएं : अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों का रिजर्व	5,625	1,375
कुल (भाग 1)	1,94,808	3,16,715
भाग-1—रोकड़, बैंक शेष और निवेश		
(क) हस्तगत रोकड़ और चैक/ड्राफ्ट	10,742	6,779
(ख) हस्तगत डाक टिकटें तथा फ्रैंकिंग मशीन में शेष यूनिटों का मूल्य	70,882	52,801
(ग) बैंकों के बचत खातों में :		
केनरा बैंक, ग्रीनपार्क, नई दिल्ली	11,09,686	5,27,996
आश्रम, अहमदाबाद	3,30,095	4,63,311
नारीमन प्वाइंट, बम्बई	4,34,293	—
नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	49,982	—
केनरा बैंक, नुगम्बक्कम, मद्रास	91,968	—
इंडियन ओवरसीज बैंक, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली	2,170	2,065
इंडियन बैंक, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली	5,059	4,058
(घ) बैंकों के सावधि जमा खातों में :		
केनरा बैंक ग्रीन पार्क, एक्स., नई दिल्ली	36,00,000†	26,00,000
इंडियन बैंक, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली	1,00,000	1,00,000
बैंक ऑफ इंडिया, करोल बाग, नई दिल्ली	5,00,000	—
(ङ) बांडों में निवेश :		
नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि.	40,00,000‡‡	40,00,000
इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लि.	10,00,000	10,00,000
महानगर टेलीफोन निगम लि.	2,00,000	2,00,000
(च) पुरस्कारों की संस्थापना के लिए निम्नलिखित में निवेश की जमा राशि :		
केनरा बैंक, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन	32,000	20,000
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि.	10,000	10,000
नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन लि.	20,000	20,000
हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफक्चरिंग लि.	10,000	10,000
(छ) अर्जित ब्याज	46,99,088	44,18,810
कुल (भाग 2)	1,62,75,965	1,34,35,820

†भवन रिजर्व निधि के लिए अलग से रखी गई रु. 23,53,307 की जमा राशि शामिल है।

‡‡ इस निवेश में देय ग्रेच्युटी के लिए रु. 15,25,351 की राशि और कर्मचारियों को देय पेंशन के लिए रु. 16,54,804 की राशि का प्रावधान शामिल है।

	1989-90	1988-89
भाग-3 31.3.90 को प्रकाशनों, लेखन सामग्री, चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल/स्टूडेण्ट कंपनी सेक्रेटरी बुलेटिन, शिक्षण सामग्री टाइयों और साड़ी ब्रोचों, टाइपिन सैट और आडियो कैसेटों का हस्तगत स्टोक।	रु०	रु०
(क) प्रकाशन	5,38,683	4,44,919
(ख) लेखन सामग्री	70,560	71,687
(ग) छपाई का कागज	6,30,252	6,71,996
(घ) जर्नल/स्टूडैण्ट बुलेटिन	36,297	30,528
(ङ) अध्ययन सामग्री और प्लास्टिक फोल्डर	21,28,814	21,49,957
(च) टाइयां	9,241	4,130
(छ) साड़ी ब्रोच	2,086	2,666
(ज) टाइपिन सैट	1,740	—
(झ) आडियो कैसेट	17,134	—
कुल (भाग 3)	34,34,807	33,75,783
भाग-4 आस्थगित राजस्व व्यय		
(उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते नहीं डाला)		
(क) मुख्यालय के भवन के भूमि तल की मरम्मत पर खर्च, जिसे अगले वर्ष में (एज्जार्ज) समाविष्ट किया जाएगा।	—	25,000
कुल (भाग-4)	—	25,000
कुल जोड़ भाग (1+2+3+4)	1,99,05,580	1,71,53,318

अनुसूची-8

चालू देयताएं और प्रावधान

	1989-90	1988-89
भाग-1 : चालू देयताएं	रु०	रु०
(क) असमाप्त सेवाओं के लिए विद्यार्थी पंजीकरण शुल्क	52,00,475	45,15,514
(ख) सदस्यों से अग्रिम प्राप्तियां	63,692	63,182
(ग) स्मारिका में विज्ञापन से अग्रिम प्राप्तियां (वापिस देय)	2,500	—
(घ) देय व्यय	17,80,528	13,31,075
(ङ) देय लेखा परीक्षा शुल्क	3,000	3,000
(च) कम्पनी सैक्रेटरीज/आई.सी.एस.आई., कर्मचारी हितकारी निधि में देय राशि	61,955	29,276
(छ) क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं को देय	5,08,660	2,90,033
(ज) प्रतिनिधि शुल्क (समंजनीय)	16,124	14,999
(झ) भुगतान के लिए विविध प्राप्तियां	1,047	1,047
(ञ) जमानत जमा/अवधारण राशि	98,517	23,577
(ट) विद्यार्थियों को पुरस्कार देने के लिए जमा राशि (वापस न की जाने वाली)	72,000	72,000
(ठ) पुस्तकालय की सुरक्षा जमा राशि	—	25
(ड) प्रकाशनों के लिए एक मुश्त जमा राशि	—	3,154
(ढ) माड्यूलर प्रशिक्षण शुल्क की अग्रिम प्राप्ति	3,595	—
(ण) होटल बुक कराने के लिए जमा राशि (वापस प्राप्त होने वाली)	—	940
(त) मैसर्स बधवा सेल्स कारपोरेशन को देय बिक्री की राशि	21,275	39,706
(थ) आई.सी.एस.आई.-उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद् को भवन निधि में अंशदान	7,38,018	7,208
(द) क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं को आबंटित भवन के लिए दान राशि (इसमें चालू वर्ष की 1,18,118 रुपए की दान राशि शामिल है)	5,20,619	4,02,501
	90,92,005	67,97,238
भाग-2 : प्रावधान		
(क) पानी, बिजली, टेलीफोन सम्मेलन और आकस्मिक व्यय के लिए	2,58,541	9,85,552
(ख) अस्पताली/सुविधा योजना के लिए प्रावधान	15,508	14,152
(ग) देय ग्रैच्युटी	15,25,351	13,25,347
(घ) कर्मचारियों की देय पेंशन	15,54,804	12,65,000
कुल (भाग-2)	33,54,204	36,90,051
कुल जोड़ (भाग 1+2)	1,24,46,209	1,03,87,289

अनुसूची-7

ऋण और पेशगियां (प्रतिभूति रहित और जो शीघ्य समझे गए)

	1989-90	1988-89
	रु.	रु.
(क) ऋण और पेशगियां		
कर्मचारी	9,49,531	10,63,053
परीक्षा केन्द्र	3,010	6,536
सम्मेलन/कार्यक्रम	38,142	500
मुद्रक/पुस्तिकर्ता (खाते में)	32,711	7,000
क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं को भवन-क्रय के लिए ऋण	17,64,177	16,20,755
ठेकेदार को पेशगी (आई सी एस आई-एम आई आर सी भवन)	5,30,000	—
(ख) पूर्वदत्त व्यय		
बीमा प्रीमियम	14,615	9,718
किराया, उपशुल्क और कर	5,940	
मरम्मत और मशीकरण	37,913	45,116
कर्मचारी कल्याण	11,381	12,841
(व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा)		
टेलीफोन और टेलैक्स	5,091	5,950
क्षेत्रीय कार्यालय	3,500	3,500
यात्रा व्यय	1,020	—
(ग) विविध जमा		
क्षेत्रीय कार्यालय के परिसरों के मकान मालिक	10,685	10,685
नगर पालिका कर और अनुरक्षण (क्षे.का. बम्बई)	10,440	10,440
विद्युत जमा राशि	1,110	1,100
(क्षेत्रीय कार्यालय, मद्रास)		
एल.पी.जी./सिलेण्डर रेगुलेटर	530	530
डाकघर में सुरक्षा जमा	24,900	12,000
टेलीफोन और टेलैक्स के लिए जमा राशि	14,000	10,500
विश्वविद्यालय (पुरस्कार प्रदान करने के लिए)	35,320	25,320
मैसर्स मोदी जैरोक्स लि. के पास जमा राशि	10,800	10,800
मैसर्स ब्योर ब्रिक्स	786	786
दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	28,500	28,500
नोएडा (भूमि के लिए)	—	50,000
कुल	35,24,102	29,45,640

अनुसूची–8

सदस्यों और विद्यार्थियों से शुल्क और अभिदान

	1989-90		1988-89	
	रु.	रु.	रु.	रु.
भाग-1 : सदस्यों से				
(क) फैलो वार्षिक शुल्क		3,83,104		3,57,600
(ख) फैलो प्रवेश शुल्क	25,000		24,000	
घटाएं : पूंजीगत रिजर्व में 100 प्रतिशत स्थानान्तरित	25,000	—	24,000	—
(ग) एसोसिएट वार्षिक शुल्क		9,30,394		8,77,281
(घ) एसोसिएट प्रवेश शुल्क	1,76,400		1,64,100	
घटाएं : पूंजीगत रिजर्व में 100 प्रतिशत स्थानांतरित	1,76,400		1,64,100	
(ङ) सदस्यता पुनः स्थापना शुल्क		22,200		12,805
(च) प्रैक्टिस प्रमाण पत्र का वार्षिक शुल्क		2,57,008		2,49,156
(छ) सदस्यों की सूची		2,470		1,875
कुल (भाग–1)		15,95,176		14,98,717
भाग—2 : विद्यार्थियों से				
(क) परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन का शुल्क		2,200		1,973
(ख) प्रीलिमीनरी/इण्टरमीडिएट/फाइनल परीक्षा से छूट का शुल्क		6,08,286		5,42,267
(ग) फाइनल परीक्षा शुल्क		12,28,079		12,06,314
(घ) इण्टरमिडिएट परीक्षा शुल्क		20,19,394		20,18,263
(ङ) प्रीलिमीनरी परीक्षा शुल्क		29,180		27,989
(च) पंजीकरण शुल्क		19,45,174		18,35,636
(छ) अंक सत्यापन शुल्क		22,324		18,385
(ज)* वार्षिक शुल्क		2,025		7,948
(झ) डाक शिक्षण शुल्क		82,62,990		76,06,008
(ञ) विलम्ब शुल्क		93,435		60,745
(ट) लाइसेंसधारी शुल्क		52,973		41,630
(ठ) शिथुता प्रशिक्षण		2,525		2,155
कुल (भाग–2)		1,42,68,585		1,33,69,313
कुल जोड़ (भाग 1 + 2)		1,58,63,761		1,48,68,030

अनुसूची–9

सम्मेलन और अन्य व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों आदि से आय

	1989-90		1988-89	
	रु.	रु.	रु.	रु.
1. प्रतिनिधि शुल्क और अन्य प्राप्तियां				
प्रतिनिधि शुल्क				
सम्मेलन	6,43,675		5,42,580	
संयुक्त व्यावसायिक कार्यक्रम	78,550		83,217	
सेमिनार	52,800		23,400	
अंशदान				
सम्मेलन	70,000		1,41,948	
स्मारिका में विज्ञापन				
सम्मेलन	89,085		74,300	
अन्य				
पिछले सम्मेलनों से आय	19,085	9,53,195	4,860	8,70,305
2. घटाएं : प्रत्यक्ष व्यय सम्मेलन	7,22,001		6,56,920	
संयुक्त व्यावसायिक, कार्यक्रम	55,029		62,919	
सेमिनार	41,145		22,970	
पिछले सम्मेलन	—	8,18,175	400	7,43,209
घटाएं		1,35,020		1,27,096
कम्पनी सेक्रेटरी कल्याण निधि और आई. सी. एस. आई. कर्मचारी कल्याण निधि के अनुदान का आवंटन		20,000		20,000
आय और व्यय लेखों में विखाया गया शेष		1,15,020		1,07,096

अनुसूची–10

अन्य आय

	1989-90	1988-89
	रु.	रु.
(क) प्रकाशनों की बिक्री	11,21,985	10,85,449
(ख) बैंक शेषों और निवेशों से ब्याज	13,35,149	11,71,927
(ग) कर्मचारियों को दी गई पेशगियों से ब्याज	13,703	12,837
(घ) क्षेत्रीय परिषद/क्षेत्रीय कार्यालय भवन (मद्रास) से किराया	—	7,032
(ङ) विविध आय	18,118	17,591
(च) पुरानी स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान/बट्टे खाते डाली राशि का अधिशेष	2,908	61
(छ) कार्यालय भवनों के लिए अनुदान	—	400
कुल	24,91,862	23,95,297

अनुसूची–11

कर्मचारियों को भुगतान

	1989-90	1988-89
	रु.	रु.
(क) वेतन और भत्ते	65,30,770	58,28,366
(ख) कर्मचारी कल्याण	4,70,100	4,37,984
(ग) नियोजक का भविष्य निधि में अनुदान	3,34,571	3,30,284
(घ) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	3,20,568	2,78,098
(ङ) कर्मचारियों को पेंशन के लिए प्रावधान	3,94,847	3,34,683
कुल	79,50,856	72,09,415

अनुसूची–12

डाक शिक्षण व्यय

	1989-90		1988-89	
	रु.	रु.	रु.	रु.
(क) 1-4-1989 को आदि स्टाक				
अध्ययन सामग्री	20,04,794		13,36,366	
कागज	4,49,228		13,170	
प्लास्टिक फोल्डर	1,45,063	25,99,085	1,37,380	14,85,916
(ख) जोड़ें : वर्ष के दौरान अध्ययन सामग्री, कागज, प्लास्टिक फोल्डर और अन्य मदों पर किया गया व्यय		31,69,073		36,91,678
		57,68,158		51,77,594
(ग) घटाएं : 31-3-1989 को अन्त स्टाक				
अध्ययन सामग्री	19,50,962		20,04,794	
कागज	5,34,089		4,49,228	
प्लास्टिक फोल्डर	1,77,852	26,62,903	1,45,063	25,99,085
		31,05,255		25,78,509
जोड़ें : वर्ष के दौरान समाविष्ट करने के लिए आगे लाए गए बट्टे खाते में डाले गए स्टॉक का मूल्य		—		16,907
डाक शिक्षण व्यय		31,05,255		25,95,416

अनुसूची–13

प्रकाशनों का मुद्रण और कार्यालय लेखन सामग्री

		1989-90		1988-89
	रु.	रु.	रु.	रु.
(क) 1-4-1989 को आदि स्टॉक				
प्रकाशन	4,44,919		3,27,389	
लेखन सामग्री	71,687		64,112	
कागज	27,055	5,43,661	24,388	4,15,889
(ख) जोड़ें : वर्ष के दौरान कागज, प्रकाशनों के मुद्रण तथा कार्यालय लेखन पर किया गया समेकित व्यय		9,96,809		10,15,386
		15,40,470		14,31,275
(ग) घटाएं : 31-3-1990 को अन्त स्टॉक				
प्रकाशन	8,38,683		4,44,919	
लेखन सामग्री	70,560		71,687	
कागज	8,963	6,18,206	27,055	5,43,661
		9,22,264		8,87,614
जोड़ें : वर्ष के दौरान समाविष्ट करने के लिए आगे लाए गए बट्टे खाते डाले गए स्टॉक का शेष मूल्य		—		45,961
प्रकाशनों का मुद्रण तथा अन्य लेखन सामग्री का व्यय		9,22,264		9,33,575

अनुसूची– 14

चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल और स्टूडेण्ट कम्पनी

सेक्रेटरी बुलेटिन का मुद्रण

		1989-90		1988-89
	रु.	रु.	रु.	रु.
(क) 1-4-1989 को आदि स्टॉक जर्नल स्टूडेण्ट कम्पनी				
सेक्रेटरी बुलेटिन	30,528		51,956	
कागज	1,95,713	2,26,241	1,95,719	2,47,675
(ख) जोड़ें : जर्नल/स्टूडेण्ट कम्पनी सेक्रेटरी बुलेटिन के लिए				
कागज और मुद्रण पर हुआ व्यय		16,06,144		15,85,479
(ग) घटाएं : 31-3-1990 को अंत स्टॉक जर्नल/स्टूडेण्ट कम्पनी		18,32,385		18,33,154
सेक्रेटरी बुलेटिन	36,297		30,528	
कागज	87,200	1,23,497	1,95,713	2,26,241
		17,08,888		16,06,913
(घ) जोड़ें : वर्ष के दौरान समाविष्ट के लिए आगे लाए गए बट्टे खाते डाले गए स्टॉक का शेष मूल्य		—		30,518
जर्नल/स्टूडेण्ट कम्पनी सेक्रेटरी बुलेटिन के मुद्रण पर प्रत्यक्ष व्यय		17,08,888		16,37,431

अनुसूची- 15

यात्रा और सवारी व्यय

	1989-90	1988-89
	रु.	रु.
(क) परिषद् के सदस्यों द्वारा यात्रा	4,53,561	3,60,664
(ख) अन्य व्यक्तियों द्वारा यात्रा	88,391	1,28,085
(ग) सवारी व्यय	1,31,731	1,20,341
कुल	6,73,683	6,09,090

अनुसूची- 16

डाक, तार, टेलीफोन और टेलेक्स

	1989-90	1988-89
	रु.	रु.
(क) डाक टिकटें और तार	8,11,614	7,14,529
(ख) टेलीफोन, टेलेक्स और इण्टर काल पर व्यय	3,10,446	3,34,103
कुल	11,22,060	10,48,632

अनुसूची—17

अन्य व्यय

	1989-90	1988-89
	रु.	रु.
(क) विज्ञापन और प्रचार	80,425	94,601
(ख) बैंक प्रभार	23,201	17,474
(ग) भवन मरम्मत और अनुरक्षण	51,104	1,37,373
(घ) बिजली	1,56,761	1,63,601
(ङ) आग, दुर्घटना और विषयस्तता बीमा प्रीमियम	13,090	11,391
(च) हिन्दी संवर्धन व्यय	2,100	1,525
(छ) आंतरिक लेखा परीक्षा	18,000	—
(ज) कानूनी व्यय	83,225	37,428
(झ) बैठक और संवर्धन व्यय	42,499	60,139
(ञ) मोटर कार व्यय	33,057	48,369
(ट) समाचार पत्र और पत्रिकाएं	34,559	7,274
(ठ) कार्यालय के विविध व्यय	18,909	35,353
(ड) कार्यालय रख-रखाव और अनुरक्षण	48,290	39,095
(ढ) पैकिंग, धुलाई और भाड़ा	1,17,564	1,21,956
(ण) मरम्मत और नवीकरण	1,03,351	92,487
कुल	8,28,135	8,68,066

अनुसूची—18

व्यावसायिक सेवाएं

	1989-90	1988-89
(क) कम्प्यूटरीकृत सेवाओं के प्रभार	1,48,395	1,41,763
(ख) अन्य	3,111	5,750
कुल	1,51,506	1,47,513

अनुसूची—19

क्षेत्रीय कार्यालय व्यय

	1989-90					1988-89
	बम्बई	कलकत्ता	दिल्ली	मद्रास	कुल	
	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
(क) किराया, उप-शुल्क और कर	39,240	47,400	36,200	23,489	1,46,329	1,47,874
(ख) अन्य कार्यालय व्यय	5,730	5,106	5,000	5,546	21,382	20,806
कुल	44,970	52,506	41,200	29,035	1,67,711	1,68,680

अनुसूची—20

विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां और पुरस्कार

	1989-90	1988-89
	रु.	रु.
(क) योग्यता (मेरिट) छात्रवृत्तियां और योग्यता-व-साधन सहायता	37,530	36,100
(ख) पुरस्कार (इसमें यात्रा व्यय भी शामिल है)	14,936	6,694
	52,466	42,794
घटाएं : पुरस्कारों की संस्थापना के लिए जमा राशियों पर अर्जित व्यय	14,110	8,299
कुल	38,356	34,495

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी. के. सेन गुप्ता एंड कं

ह०
(डी. के. सेन गुप्ता)
नई दिल्ली
11 सितम्बर, 1990

ह.	ह.	ह.
टी. पी. सुब्बारमन	एन. जे. एन. वजीफदार	डी. सी. जैन
सचिव और कार्यकारी निदेशक	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA

(Constituted under the Company Secretaries Act, 1980)

New Delhi, the 26th September, 1990

F. No. 104|18|Accts.—TENTH ANNUAL REPORT OF THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 1990.

1. Introduction

In pursuance of the requirement of sub-section (5) of section 18 of the Company Secretaries Act, 1980, the Council of the Institute of Company Secretaries of India is pleased to publish the tenth annual report and the audited statements of accounts alongwith the auditors' report thereon, on the working of the Institute for the year ended 31 March, 1990. The report also outlines some of the significant activities of the Institute since the close of the said year until the date of the report.

2. Developments

Secretarial audit conceived as an area of practice for company secretaries as provided in section 2(2) of the Company Secretaries Act, 1980 has now come to stay with the introduction of secretarial audit of assisted companies by the Manipur Industrial Development Corporation Ltd. and the Assam Industrial Development Corporation Ltd. during the current year. The Institute had long been desirous of strengthening its international relations with national institutions of company secretaries. The entering into a memorandum of understanding with the Institute of Corporate Secretaries of Pakistan for exchange of professional cooperation and attending for the first time a meeting of Asian Pacific Forum, represented by Australia, Hongkong, India, Malaysia, New Zealand, Pakistan and Singapore are other important landmarks in the annals of the Institute's growth and development in recent years.

3. Council

3.1 President and Vice-President

At the meeting of the Council held on January, 1990. Shri Shyamal Sen relinquished the office of President. Shri D. C. Jain and Shri N. J. N. Vazifdar were elected as President and Vice-President respectively for a period of one year from 1 January, 1990. The Council places on record its appreciation of the valuable contribution made by Shri Shyamal Sen as President of the Institute.

3.2 Composition

The Central Government accepted the resignation of Shri B P R Vithal, a Government nominee on the Council, and in his place nominated Shri D R Malik of Delhi with effect from 1 June, 1990. All other Council Members continued to hold office upto the date of this Report. The Council places on record its appreciation of the services rendered by Shri Vithal as a Government nominee on the Council.

3.3 Council Meetings

The Council held six meetings during the year 1989-90.

3.4 Committees, etc. of the Council

In accordance with the provisions contained in section 17 of the Company Secretaries Act, 1980, the Council constituted three standing and five other Committees. In addition, the Council constituted various specialised groups and advisory board to assist the Council. Their composition is given in Appendix 'A' to the Report.

4. Regional Councils and Chapters

4.1 Regional Councils

The four Regional Councils duly constituted with effect from 1 January, 1989 for a period of three years, carried on their activities during the year. The gist of their activities alongwith financial position as prepared from their annual reports for 1989-90 is given in Appendix 'B' to the Report.

4.2 Grants to Regional Councils

Taking into consideration the requests received from the Regional Councils and to enthuse them further to improve the student counselling programmes, oral coaching classes, modular training programmes, professional development programmes for members and other activities, it was decided to revise the total annual grant suitably raising the minimum from Rs. 25,000 to Rs. 75,000 and the maximum from Rs. 80,000 to Rs. 1,25,000 including for holding Regional Council meetings and to meet fixed Headquarters office expenses. The Council has also increased the staff strength for each regional office from 6 to 10 including an Education Officer so as to decentralise some students activities.

4.3 Grants to Chapters

The Council has also increased from last year the annual grants payable to Chapters raising the minimum from Rs. 1,000 to Rs. 3,000 and the maximum from Rs. 20,000 to Rs. 40,000. In addition, increased reimbursement of office maintenance expenses ranging from Rs. 400 to Rs. 700 p.m. has been provided for Chapters maintaining regular offices from January 1989. The Council has also sanctioned part-time academic staff for big Chapters like Bangalore and Ahmedabad.

4.4 Chapters

The 34 Chapters constituted in accordance with Regulation 143 of the Company Secretaries Regulations 1982 under the jurisdiction of the four Regional Councils, conducted local activities during the year for the education and training of students and the professonal development of members.

4.5 Presentation of Best Chapter Awards

At the inaugural session of the 18th National Convention of Company Secretaries held at Centaur Hotel, Bombay on 8 February, 1990 Mr. Justice P. N. Bhagwati, former Chief Justice of India, gave away Best Chapter Awards for the year 1988-89 as under :

(i) National Best Chapter Award Jaipur (North)

(ii) Regional Best Chapter Awards :

(a) Eastern Region	Ranchi
(b) Northern Region	Jaipur
(c) Southern Region	Bangalore
(d) Western Region	Ahmedabad

5. Secretariat

To further improve the efficiency and effectiveness of the Secretariat, an internal audit of all operations of the Institute has been entrusted to a firm of auditors.

A reputed consultancy organisation has been assigned the task of evaluating the existing operational systems, identifying the areas for in-house computerisation, disposal of unwanted records, assessing staff requirements and suggesting a revised organisational structure. In addition to hiring computer agencies for a few areas, a computer has been installed at the headquarters for commencing in-house computerisation.

6. Members

6.1 Membership

During the year 588 persons were admitted as Associate Members and 125 Associates as Fellow Members. As on 31 March, 1990, the Institute had on its Register 7257 members comprising 5657 Associates and 1600 Fellows. The coresponding figures as on 30 June, 1990 were 7459, 5808 and 1651 respectively. The number of members residing abroad as on 31 March, 1990 was 146. During the year under review, the names of 109 members comprising 19 Fellows and 90 Associates were removed from the Register due to non-payment of annual fee, death or resignation. The Council regrets to report the death of 9 members during the year.

6.2 Certificate of Practice

Certificates of practice were issued to 122 members during the year. At the end of the year 1225 members were holding certificate of practice, the corresponding figure as on 30 June, 1990 being 1236. The certificates of 89 members were cancelled due to non-payment of annual fees, death, surrender of certificate or other ineligibility.

6.3 Growth of Members and those holding Certificate of Practice.

A table showing the growth of members and those holding certificate of practice, is given as Appendix 'C' to the Report.

6.4 List of Members

In pursuance of section 19(3) of the Company Secretaries Act, 1980 read with Regulation 161, a supplementary list of members as on 1 April, 1990 has been published for supply to members on request.

7 Professional Development and Continuing Education Programmes

During the year under review, the Institute organised six professional development and continuing education programmes for the benefit of members as also for the benefit of middle and senior level executives in public sector enterprises. A list of the programmes held is given as Appendix 'D' to the Report. In order to bring awareness of the utility and usefulness of company secretaries in practice to small scale industries, collaborative secretarial clinic programmes are also being organised. A film on profile of a company secretary is under preparation for use by trade and industry.

8. Publications

8.1 Chartered Secretary

The journal being published for the last twenty years consistently maintained its prestige, quality and promptness in providing relevant government notifications, legal decisions and articles, as an effective medium of communication with members and company executives, and updating their professional knowledge. A special issue was brought out during the year on Budget in April 1989.

8.2 Guidance Notes

To enable company secretaries in practice to observe a high standard of conduct in the profession and to efficiently discharge their professional responsibilities in areas recognised for practice, the following guidance notes have been brought out till the date of this Report.

(a) Code of Conduct for Company Secretaries,

(b) Compilation of Search/Status Reports and Certificates to Financial Institutions.

(c) Valuation under the Wealth Tax Act, 1957

(d) Certifications under Imports and Exports (Control) Act, 1947.

8.3 Manual of Company Secretarial Practice

A permanent Advisory Group constituted by the Council is preparing a loose-leaf Company Secretaries Handbook which would serve as an authentic reference manual on various aspects of Company Law and related provisions of Industries (Development & Regulation) Act, Capital Issues (Control) Act, Securities Contracts (Regulation) Act, Foreign Exchange Regulation Act, Income-tax Act and MRTP Act. The manual would cover substantive law as well as practice notes. The work on the manual is progressing and the first part of the manual is expected to be brought out by December, 1990.

8.4 Secretarial Standards

Keeping in view the recommendations of the High-Powered Committee on Stock Exchange Reforms and the Bansal Committee, the Institute has published in September 1990 issue of Chartered Secretary "Secretarial Standard——I" on toning up of the efficiency of Secretarial and Shares Departments of companies in regard to transfer and transmission of securities.

8.5 Investors' Guidance Series

A booklet explaining the law and procedure on share transfers, for the benefit of ordinary investors giving therein all relevant forms and applications, is to be circulated through the stock exchanges. Similarly, a booklet on "Rights of Fixed Deposit Holders" is also under preparation.

8.6 Other Publications

The other books under print are :

(a) Company Law for Layman.

(b) Research Study on Annual Reports of Companies.

9. Research

9.1 Research Study

The Institute has :

(a) brought out a research publication on 'Private Limited Companies—Do's and Don'ts,

(b) completed its study on 'Disclosure of Corporate Data in Annual Reports'.

9.2 Research Advisory Group

From 1 January, 1990, the Institute has constituted a Research Advisory Group under the chairmanship of Shri R. N. Bansal, former Member, Company Law Board, with a view to strengthening further, original research activities of the Institute. A few research schemes have since been proposed including one on "Secretary's Participation in the Board".

9.3 Expert Advisory Group

To render expert advisory services to members on intricate problems in Company Law and Secretarial Practice, an Expert Advisory Group under the chairmanship of Mr. Justice P. N. Bhagwati, former Chief Justice of India has been constituted by the Council and the procedure for eliciting queries from members has been published in June, 1990 issue of Chartered Secretary.

10. Employment Opportunities

The Institute has been continuing its efforts to publicise the significant role played by its members through the Chambers of Commerce, Bureau of Public Enterprises and other bodies. The Institute has also written to those foreign governments where appointment of qualified company secretary has been made compulsory in their Companies Act, to include membership of the Institute also as one of the recognised

qualifications for appointment as company secretary. Based on our representation to State Governments and government companies to include company secretaryship qualification for recruitment to Finance/ Accounts posts, Karnataka State has recognised company secretaryship qualification for promotion to the posts of General Manager and Dy. General Manager. The Institute is continuing its efforts with the Department of Banking, and the Comptroller and Auditor General for giving incentives and recognitions to persons employed in their Departments, who qualify in the Institute's examinations. The Institute and its Regional Councils and Chapters continue to provide emp'oyment services to companies under the Employment Services Scheme. During the year 122 companies were provided with lists of suitable members, for employment, under the Employment Service Scheme maintained by the headquarters of the Institute and such companies have also been requested to provide the particulars of candidates selected from the lists, or, to advertise in Chartered Secretary for obtaining a wider panel.

11. Recognition to the Profession

11.1 Company Secretaries in Practice and Employment

During the year and till August 1990, following recognitions were secured for company secretaries in practice :

(a) Certification of annual sales turnover of books by publishers and book-sellers for import of books under OGL under the Import and Export Policy 1988-91.

(b) Issue of Search Reports for the Industrial Reconstruction Bank of India.

(c) Giving of necessary declaration in respect of section 25 companies under Regulation 4 of the Companies Regulations, 1956.

(d) Introduction of annual secretarial audit of assisted companies by :

(i) The Manipur Industrial Development Corporation Limited (MANIDCO), Imphal ; and

(ii) The Assam Industrial Development Corporation Ltd., Guwahati, by company secretaries in practice.

(e) Issuance of various certificates for MANIDCO by company secretaries in practice in connection with search reports and sanction and disbursement of loans to companies.

(f) Controller of Capital Issues has decided that applications for issue of capital must be accompanied by a certificate of company secretary confirming that all refund orders to applicants against previous issues and all debenture certificates to allottees have been despatched and instruments have been listed on stock exchanges

(g) The Institute :

(i) is vigorously pursuing with various state/ All India Financial Institutions for recognition to conduct secretarial audit ;

(ii) has made representations to the various State Governments requesting for amendments to the Partnership Rules of the respective States to include company secretaries to sign as a witness in the application form for registration of partnership firms ; and

(iii) has represented to the Central Board of iDirect Taxes and the Central Board of Excise and Customs for giving nomination to the Institute on the Direct and Indirect Taxes Advisory Committees, respectively.

11.2 List of Recognitions secured

The recognitions secured for company secretaries in practice as well as in employment, upto the date of this report, appear in Parts I & II of Appendix 'E' to the Report.

11.3 Recognition by Universities

A few more universities have recognised the membership of the Institute as equivalent to Post-Graduate Degree for the purpose of pursuing Ph.D. during the year. The total recognitions secured so far are given in Part III of Appendix 'E' to the Report.

12. Eighteenth National Convention

The 18th National Convention of Company Secretaries on the theme 'The Profession in the 90's—Emerging Dimensions' was organised at Centaur Hotel, Bombay from February 8 to 10, 1990. The Convention, attended by nearly 750 delegates from all parts of the country, was inaugurated by Mr. Justice P. N. Bhagwati, former Chief Justice of India. Mr. P. M. Gogte, Industrialist and Philanthropist, delivered the key-note address. The technical sessions were chaired and addressed by eminent personalities including S/Shri A D Dahanukar, Managing Director, Tilak Nagar Distilleries Limited, Bombay, J. S. Varshneya, formerly Chairman and Managing Director, Punjab National Bank, Delhi and Kamal Murarka, President, All India Manufacturers' Organisation, Bombay.

13. Ten-Year Perspective Plan

The Perspective Planning Group constituted by the Council has completed the SWOT analysis as a prelude to drawing up the plan. The plan is now under formulation in consultation with the functional departments in the Institute. The group is expected to draw up the blue print for the next decade, and present a documented plan by the end of 1990 to the Council for implementation from 1991 onwards.

14. Post-Membership Qualification Course

With a view to enabling members to develop a high level of expertise in certain disciplines, the

cil formulated Post Membership Qualification course covering four systems, viz. Tax Management, Industrial and Personnel Management, Corporate Laws Management and Internal Audit and Management Control. The draft regulations for introduction of this course are being published shortly for incorporation in the Regulations by the end of this year for implementation by the Council immediately thereafter.

15. International Relations

15.1 Memorandum of Understanding with Pakistan Institute

In July 1990 a memorandum of understanding was entered into between the Institute and the Institute of Corporate Secretaries of Pakistan for having exchange of professional information and publications on a permanent basis and, accordingly, some publications were exchanged.

15.2 Asian Pacific Forum

Shri D. C. Jain, President and Shri T. P. Subbaraman, Secretary & Executive Director of the Institute participated in a meeting of Asian Pacific Forum of Corporate Secretaries held at Singapore from 17 to 19 August, 1990 which was attended by the office bearers of national institutions from Australia, Hongkong, India, Malaysia, New Zealand, Pakistan and Singapore. The deliberations in the meeting included mutual exchange of information on national developments, publications, access to State Register, Code of professional ethics and conduct, recognition of Secretary in Corporate Laws, Federalism and Insided Trading. The meeting decided to have an International Forum on a permanent footing and the participants appreciated achievements of the Indian Institute. The President and Secretary & Executive Director took the opportunity to visit the Indian High Commissions in Kuala Lumpur and Singapore, and Singapore Indian Chamber of Commerce, to seek their assistance and cooperation for popularising the Institute among Indian residents in those countries and to open an examination centre in Singapore in due course.

15.3 Visitors from abroad

In March 1990, Mr. Quaisar Mufti, Vice-President of the Institute of Corporate Secretaries of Pakistan, visited the Institute's headquarters to have mutual exchange of views with the Secretary & Executive Director on the development and growth of the profession. In June 1990, Mr Mark Pinchen, Chief Executive of the Institute of Corporate Managers, Secretaries and Administrators Ltd., Australia, visited the Institute's headquarters and had an exchange of view with the President, Secretary & Executive Director and Departmental Heads of the Institute on matters pertaining to the growth, development and recognition of the profession in both the countries.

16. Students Services

16.1 Registration of Students

During the year under report 12,124 students were registered by the Institute as against 10,384 registered during the previous year thus, recording an increase of 16.75 per cent. The number of students whose registration was current at the end of the year was 52,335. A statement on the growth of registered students as well as those who have completed the Intermediate and Final examinations is given as Appendix 'F' to the Report.

16.2 Updating of study material for final course under old syllabus

The study material relating to 'Taxation' and test papers on 'Taxation', 'Economic Legislations' and 'Secretarial Practice (relating to other laws)' and the corresponding suggested answers on the subjects, were revised during the year. With a view to update the study material, supplements on Company Law and Functional Management subjects were brought out during the year.

16.3 Updating of study material under new syllabus

The revision of study material on all subjects was completed during the year. Two supplements, one on 'Financial Management' and another on 'Indirect Taxation—Law and Procedure', were published. Test papers for all the subjects were changed and corresponding suggested answers were brought out. With a view to have feed-back from students for further improvement of study material, a 'feed-back proforma' was designed and circulated to all students registered from October 1989 onwards.

16.4 Study material in Hindi

As a first step towards bringing out study material in Hindi, in a phased manner, for subjects where adequate text books in Hindi are not available, work on translation of study material on 'Company Law and Practice' for Intermediate Group II course has started.

16.5 Guideline Answers and Topic-wise Questions

Guideline answers for June and December 1989 and June 1990 examinations, both under the old and new syllabi were brought out group-wise for the benefit of students. Work on preparation of topic-wise questions on all subjects of Intermediate and Final examinations under the new syllabus, has also started.

16.6 Coaching

During the year 1,04,954 response sheets were received, evaluated and returned to students and a total number of 11,715 coaching completion certificates were issued.

16.7 Establishment of oral tuition centres

During the year, Thiruyananthapuram (Trivandrum) Chapter, for the first time, established an oral tuition centre and the NIRC started an additional centre in South Delhi.

16.8 Student Company Secretary

The Institute regularly brings out the Student Company Secretary bulletin for the benefit of students pursuing the company secretaryship course mainly

to apprise and update them of legislative amendments, studies and information relating to administration of students services and practical training requirements.

16.9 Lectures on audio tapes

Two audio tapes were produced and made available for sale at subsidised prices to the students and members on the following topics :

(i) Industries (Development and Regulation) Act.

(ii) Restrictive Trade Practices under the MRTP Act.

As an additional facility, a booklet containing a transcript of the audio lecture on restrictive trade practices, incorporating therein the citation of cases and relevant statutory provisions, was also brought out. The response from the students and members has been very encouraging. It is, therefore, proposed to bring out a few more audio tapes on some of the important topic of Unfair and Monopolistic Trade Practices, Central Excise and FERA during the current year.

16.10 Decentralisation of postal tuition

During the year the process of decentralisation was initiated by authorising the Southern India Regional Office to receive response sheets locally, arrange for their evaluation and recommend thereafter to headquarters for issue of coaching completion certificates. It is proposed to continue the process with the other three regional offices, at least for Intermediate response sheets, during the current year.

16.11 Library Facilities

Books worth Rs. 2.74 Lakhs have been added to the libraries of the Institute during the year under review. Under the Chapter Library Assistance Scheme, 27 out of 34 Chapters have been equipped with their own libraries. The Institute has encouraged establishment of 'Satellite Library' in an area where there is no Chapter but at least 100 students and 10 members are located. One such library has been opened on an experimental basis in Gurgaon (Haryana) near Delhi. To make the library accessible to every registered student who may not have access to Chapter|satellite library facilities, the Institute has carmarked an additional fund of Rs. 1,00,000 under a newly introduced postal library scheme, according to which each Regional Headquarters will be expected to maintain a postal library for the region.

17. Headquarters Library

The Institute also maintains a library in the headquarters for research and reference purposes including books on foreign company law and case laws. The CCH Australia, a reputed intersational publishing house, has identified the Institute last year as eligible to receive a set of foreign case law books from it, free of charge. Accordingly the Institute has received several case law books pertaining to Australia, New Zealand, Canada, U.K. and U.S.A. In July 1990, we received from the Institute of Corporate Secretaries of Pakistan a set of Pakistan codes from 1836 to 1980. More than thirty subject-wise files of paper clippings on corporate laws, finance and accountancy are maintained in the library for research and reference. The proposed documentation service by providing some material also for making available, copies of various judgements and notifications on nominal payment, is likely to materialise during the current year.

18. Career Counselling

During the year, the Isstitute directly and through the Regional Councils and Chapters organised several career counselling programmes using exhibition materials, charts, posters and transparencies to create awareness about the professional course among college students. A number of vernacular and English newspapers carried articles and Doordarshan telecast two programmes on national network about the profession. All these efforts helped in creating, more awareness about the company secretaries profession even in small cities and towns in many parts of the country, leading to a higher registration of students for the professional course.

19. Examinations

19.1 Conduct of Examinations

The Institute conducted two examinations in June and December 1989 in 37 and 39 centres respectively spread all over India and one centre abroad in Abu Dhabi. Commencing from December 1989 session, two new examination centres were established on an experimental basis at Mangalore and Pondicherry and from June 1990 two more centres at Allahabad and Bhopal were added.

19.2 Discontinuance of examinations under the old syllabus

The last Intermediate examination under old syllabus was conducted in June 1989. The last Final examination under old syllabus will be held in December 1990.

19.3 Hindi medium in Examinations

In pursuance of the Council's commitment to a policy of progressive use of Hindi in company secretaries examinations, the Institute has now successfully introduced use of Hindi as an alternative medium for examinees, for writing all its examinations.

19.4 Statistics

The statistics relating to the number of candidates appeared and passed in June 1989 and December 1989 examinations are given in Appendix 'G' to the Report.

20. All India Prize Awards

Ms. Zarin Rustam Karanjia from Western Region and Shri Subhash Chandra Garg from Northern Region won the President's Gold Medal for their outstanding performance in the Final Examinations held in June 1989 and December 1989 respectively. Pt. Nehru Birth Centenary Annual Award was bagged

jointly by Shri T. A. Ramkumar of Bombay and Shri Vivek Goel of Muzaffarpur (U.P.). Sarvashri Kamlesh Kumar Sogani from Eastern Region and Raju Arora from Northern Region were the winners of President's Silver Medals for exhibiting brilliant performance in the Intermediate Examinations held in June 1989 and December 1989 respectively. The awards were presented to those prize winners who were present personally at the inaugural session of the 18th National Convention of Company Secretaries held on 8 February, 1990 at Bombay.

21. Scholarships and Financial Assistance to Students

As per the existing Merit Scholarship Scheme, scholarships were given to 10 top meritorious students, as found eligible, in each session for June 1989 and December 1989 examinations. Similarly, financial assistance under the Merit-cum-Means Assistance Scheme, was granted to 2 and 3 candidates as found eligible for December 1988 and June 1989 examinations respectively.

22. Merit Certificates

As in the past, to recognise merit and to encourage talented students, merit certificates were awarded to first 10 rank holders in the Intermediate and Final examinations held in June 1989 and December 1989.

23. Management|Practical|Apprenticeship Training

23.1 Empanelment

During the year under report, companies recognised for imparting training were as under :

Region	Management Training	Practical Training
East	13	11
North	41	30
South	15	22
West	13	25
Total	82	88

19 company secretaries in wholetime practice were also permitted to impart apprenticeship training. The total number of companies and company secretaries empanelled for providing training and the number of students sponsored for undergoing various training is given in Appendix 'H' to the Report. Efforts were continued during the year (by both the Headquarters and the Regional Councils) to increase the number of companies imparting management|practical training.

23.2 Monitoring of Management|Practical Training

A panel of members from all parts of the country who have agreed to act as students' guides has been drawn up, to monitor the training of students, on an experimental basis. Under the scheme the trainee is advised to meet and interact with the guide at regular intervals to apprise him on various areas covered in training and to seek guidance on professional matters. In addition, Education Officers provided in each Regional Office are expected to monitor the training arrangements in the region.

23.3 Secretarial Modular Training Programme (SMTP)

During the year under report, 18 SMTPs were held—4 each by NIRC and WIRC, 3 each by EIRC and SIRC and one each by Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad and Jaipur Chapters, which were attended by 722 students upto 31 March, 1990. With a view to enhance the effectiveness and efficacy of the Secretarial Modular Training Programmes and to secure active involvement of participants in the programmes, training techniques like case studies, simulated exercises, role play, group discussions model board meetings, visits to stock exchanges, computer centres and secretarial departments of companies, etc. are increasingly introduced, besides extensive use of visual|audio-visual aids.

24 Accounts and Audit

24.1 Income & Expenditure Account

The financial results for the year exhibit a surplus of income over expenditure to the extent of Rs. 6,83,315 as compared to a surplus of Rs. 13,41,672 for the last year. The reduction in surplus is mainly due to increase in the cost of services, materials and establishment. While an attempt is being made to avoid deficit in the next year by effecting economy in expenditure without diluting the quality of service to members and students, steps have also been taken to attain a surplus by increasing registration of students through career counselling programmes and upward revision of a few items of fees chargeable from students, effective from 1 July, 1990.

24.2 Capitation of fee

As per the existing practice, a sum of Rs. 2,01,400 being the entrance fees received from Associates and Fellows has been capitalised. The capital reserve at the end of the year stood at Rs. 22,38,425 as against the reserve of Rs. 20,37,025 last year.

24.3 Building Reserve

A sum of Rs. 2,39,910 on account of interest accrued on earmarked fixed deposits of Building Fund and donation of Rs. 75,000 for Building Fund have been appropriated directly to the Building Reserve Account. The capital payments made to the tune of Rs. 4,57,935 towards part of the cost of building for Kanpur Chapter and land for Jaipur Chapter have been transferred to General Reserve from Building Reserve. The Building Reserve shows a total of Rs. 23,53,307 as compared to the previous year's total of Rs. 24,96,332.

24.4 General Reserve

The General Reserve which stood at Rs. 1,56,36,204 last year has now increased to Rs. 1,80,28,806 with the addition of Rs. 6,83,315 being the excess of income over expenditure for 1989-90, Rs. 13,47,819

being the amount transferred from Building Reserve and Rs. 3,61,468 being the amount of re-allocation of excess provision made in previous years for property-tax for headquarters building.

24.5 Auditors

M/s D. K. Sengupta & Co., Chartered Accountants New Delhi were re-appointed as auditors of the Institute by the Council to audit the accounts for the year ended 31 March, 1990, pursuant to the requirement of section 18(4) of the Company Secretaries Act, 1980.

25. Land and Buildings

25.1 NIRC Building

The construction of the building in Prasad Nagar Institutional Area, Karol Bagh, New Delhi has since been started and a total expenditure of Rs. 2,20,563 has been incurred till 31 March, 1990 as preliminary expenses.

25.2 Office premises for Kanpur Chapter

The premises for the office of Kanpur Chapter has been purchased at a cost of Rs. 9,50,000 (excluding registration charges) having a built-up space of 2,036.85 sq. ft. on the second floor of the building "Gumti Plaza" at 118/90, Kaushalpuri, Kanpur.

25.3 Land for Jaipur Chapter

A plot admeasuring 1579.35 sq. mts. for construction of the office of Jaipur Chapter has been purchased at A-5A, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur at a total cost of Rs. 3,31,689.

26. Company Secretaries Benevolent Fund

The Company Secretaries Benevolent Fund registered as a Society by the Council in 1976 has now a strength of 1,050 life members as on 31 March, 1990. As per amendment made to the Bye-laws of the Fund, ordinary membership was discontinued w.e.f. 1 September, 1989 and life membership subscription has been revised to Rs. 500. The capital reserve, general reserve and surplus of the Fund amounted to Rs. 6.28 lakhs as on 31 March, 1990. The Council has decided to donate a sum of Rs. 10,000 from the surplus of the last National Convention to the corpus of the Fund, as per past practice.

27. Employees Welfare Measures

The ICSI Employees' Club promoted as a welfare measure in 1973 received annual financial assistance from the Council for its activities. During the year, advances amounting to Rs. 1.5 lakhs were granted to the employees for purchase of scooters, construction of houses, etc. As a social security measure a Group Savings-Linked Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India has been introduced to cover all employees. The Council has also decided to donate a sum of Rs. 10,000 to the ICSI Employees Benevolent Fund from the surplus of the last National Convention, as per past practice.

28. Acknowledgement

The Council places on record its gratitude to the Ministers and Officers of the Central Government, particularly the Department of Company Affairs for their continued guidance and support to the development of the profession and the activities of the Institute during the year. The Regional Councils and Chapters provided adequate assistance to the endeavours of the Council in the development of the profession in their regions. The State Governments, the corporate sector in general, and the various Chambers of Commerce in the country, are increasingly inclined to avail of the services of members of the Institute and recognise their expertise in the field of corporate laws, finance, management and allied areas. We appreciate their gesture. The Council also places on record its deep appreciation of the loyalty and devotion to duty exhibited by the Secretary & Executive Director and his team of officers and staff in implementing the decisions of the Council during the period under report.

For the Council of the Institute
of Company Secretaries of India

Sd/-
(D. C. JAIN)
President

New Delhi
September 19, 1990

APPENDIX 'A'

STANDING AND NON-STANDING COMMITTEES AND ADVISORY BOARD/GROUPS

(As on 1-9-1990)

I. STANDING COMMITTEES

1. Disciplinary Committee

Shri D. C. Jain, President	Chairman
Shri V. P. Gupta (Govt. Nominee)	Member
Shri Bipin S. Acharya	Member

2. Examination Committee

Shri N. J. N. Vazifdar	Chairman
Shri T. V. Padmanabhan	Member
Shri Harish K. Vaid	Member

3. Executive Committee

Shri D. C. Jain	Chairman
Shri N. J. N. Vazifdar	Member
Shri Shyamal Sen	Member
Shri V. P. Gupta	Member
Shri P. T. Rangamani	Member

II. NON-STANDING COMMITTEES

4. Co-ordination Committee

(for coordination with ICAI & ICWAI)

Shri D. C. Jain	Chairman
Shri N. J. N. Vazifdar	Member
Shri B. P. Dhanuka	Member
Shri S. D. Israni	Member
Shri T. V. Padmanabhan	Member
Shri Harish K. Vaid	Member

5. NIRC Building Committee

Shri V. P. Gupta	Chairman
Shri Sunil Goyal	Vice-Chairman
Shri K. D. Baheti	Member
Shri O. P. Dani	Member
Shri H. S. Grover	Member
Shri Sanjay Grover	Member
Shri D. C. Jain	Member
Shri N. K. Jain	Member
Shri Paramjeet Singh	Member
Shri T. P. Subbaraman	Member
Shri Harish K. Vaid	Member

6. Professional Development Committee

Shri D. C. Jain	Chairman
Shri Bipin S. Acharya	Member
Shri O. P. Dani	Member
Shri B. P. Dhanuka	Member
Shri S. D. Israni	Member
Shri A. N. Navare	Member
Shri V. K. Poddar	Member
Shri D. K. Prahlada Rao	Member
Shri P. T. Rangamani	Member
Shri Shyamal Sen	Member

7. Regulations Committee

Shri Shyamal Sen	Chairman
Shri D. C. Jain	Member
Shri T. V. Padmanabhan	Member
Shri N. J. N. Vazifdar	Member

8. Training & Educational Facilities Committee

Shri N. J. N. Vazifdar	Chairman
Shri Bipin S. Acharya	Member
Shri O. P. Dani	Member
Shri B. P. Dhanuka	Member
Shri A. N. Navare	Member

III. ADVISORY BOARD/GROUPS

9. Advisory Group for Manual of Company Secretarial Practice

Shri C. R. Shah	Chairman
Shri Bipin S. Acharya	Member
Shri D. C. Jain	Member
Shri R. Ramachandran	Member
Shri Shyamal Sen	Member

10. Editorial Advisory Board

Shri T. N. Pandey	Chairman
Shri Pradeep Bhalla	Member
Shri Subodh Chandra	Member
Shri H. R. Gupta	Member
Shri S. D. Israni	Member
Shri D. C. Jain	Member
Shri U. P. Mathur	Member
Shri B. B. Tandon	Member
Shri T. P. Subbaraman (Editor & Publisher)	Member

11. Expert Advisory Group

Mr. Justice P. N. Bhagwati (Retd.)	Chairman
Shri R. N. Bansal	Member
Shri Pradeep Bhalla	Member
Shri V. P. Goyal	Member
Shri S. S. Kumar	Member
Shri M. R. Luthra	Member
Shri T. V. Narayanaswamy	Member

12. Perspective Planning Group

Shri C. R. Shah	Chairman
Shri B. S. Doraiswamy	Member
Shri S. D. Israni	Member
Shri D. C. Jain	Member
Dr. P. P. Mistry	Member
Shri D. K. Prahlada Rao	Member
Shri Shyamal Sen	Member
Shri T. P. Subbaraman	Member

13. Research Advisory Group

Shri R. N. Bansal	Chairman
Shri Dilip Goswami	Member
Shri Manmohan Singh	Member
Shri T. V. Narayanaswamy	Member
Prof. Prithpal Singh	Member

APPENDIX 'B'

GIST OF ACTIVITIES OF THE REGIONAL COUNCILS AS PREPARED FROM THEIR ANNUAL REPORTS FOR THE YEAR 1989-90

Eastern India Regional Council

The Eastern Region comprising the States of Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Sikkim, Tripura, and West Bengal is the smallest among the four regions of the Institute with West Bengal as the only major industrial State. Calcutta is the regional headquarters city and the region has five Chapters.

During the year under review, the Regional Council organised a number of seminars, felicitation meeting, lecture meetings, conferences and study circle meetings. A seminar on 'Capital Market' was organised on 15 April, 1989 in collaboration with the EIRC of the ICAI. Lecture meetings were held on Abridged Balance Sheets, Tax Aspects of Corporate Sector and Mergers & Amalgamation. The 5th Regional Students Conference on the theme "Company Secretary in Changing Corporate Environment" was held on 2 & 3 September, 1989 attended by 198 delegates. The key note address was given by Shri Shyamal Sen, the then President of the Institute. A workshop on 'Nominee Directors' was organised in collaboration with the Industrial Reconstruction Bank of India. Another seminar on Regulation of the Securities Industry and Investors Protection was held in collaboration with the EIRC of the ICAI and the Calcutta Stock Exchange Association Limited. A meeting was also held to discuss Union Budget 1990-91 in collaboration with the EIRC of the ICAI and the

ICWAI, Association of Company Secretaries, Executives and Advisors and Institute of Internal Auditors—India (Calcutta Chapter). The study circle meetings were held regularly every month.

Five special meetings were organised to guide students in their examinations and to support regular oral coaching facility to them. Three Career Counselling meetings in different colleges and three secretarial modular training programmes were organised during the year. Oral coaching classes were continued for both groups of Intermediate examination and the library was updated on a continuous basis.

The Employment Service was activised by a twin strategy of approaching companies needing Company Secretaries and members needing employment. The Regional Council also decided to offer turnkey services at suitable fee which include advertising the vacancy through the bulletin, conducting interviews and recommending suitable candidates to the companies concerned. The Regional Council started campus interviews also as a part of secretarial modular training programme to assist the participants to find suitable jobs. The monthly news bulletin was regularly published. Its form and content have been improved since January 1990 to cover useful reference guide to articles and advertisements for secretarial positions published in various newspapers and magazines. All the five Chapters in the region reported activities and Ranchi Chapter obtained once again the Regional Best Chapter award for the year 1988-89.

Northern India Regional Council

The Regional Council comprising the States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh and the Union territories of Chandigarh and Delhi, organised ten talks, two prize award functions, nineteen Study Circle Meetings at two places in the metropolis, a Sports Meet for Members & Students, Foundation Day coupled with contributory dinner and picnic for members and their families, two felicitation programmes to felicitate the President and Vice-President of the Institute and Shri T. N. Pandey, Chairman, CBDT. A past Chairmen Meet and meeting with Chapter Chairmen was also organised. Meetings with Company Secretaries in Practice were held to evolve new areas and other aspects of practice.

Employment Service Scheme continued to be maintained for the benefit of both members and students. The commencement of construction of NIRC building started during the year and work of construction was in progress. The NIRC regularly brought out its monthly NIRC-ICST newsletter adding some useful new columns. The Company Secretaries Co-op. Group Housing Society sponsored by the Regional Council is awaiting allotment of land from DDA.

The Regional Council held seven Career Counselling programmes during the year and organised four secretarial modular training programmes. Two Quiz programmes on Company Law & Tax Law and one Seminar on 'Annual General Meeting—Practical Aspects' were also organised for the students. Better environment and facilities were continued to be provided at the library and oral coaching classes. Meetings with the President and Central Council Members and Chairman and Council Members of NIRC, were organised with the students & faculty members of the oral coaching classes. A new oral coaching centre was established in South Delhi. A Company Secretaryship Oral Coaching Centre was set up at Ambala with the help of local members. The NIRC recommended eight companies for empanelment to impart Practical Training/Management Training.

As per library scheme of the Institute, libraries were set up at Ghaziabad, Lucknow and Shimla Chapters. A satellite library was set up at Gurgaon for the benefit of local students, even though no Chapter could be established there. The NIRC library continued to provide 6 A.M. to 10 P.M. reading room facility to the students during examination days.

All the ten Chapters continued to report activities during the year. Jaipur Chapter was adjudged as the National Best Chapter as well as Regional Best Chapter, bringing pride for itself and the NIRC.

Southern India Regional Council

The Regional Council comprising the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu and the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Pondicherry and Lakshadweep and its constituent Chapters organised various programmes during the year. The Regional Council essentially aimed to develop the skills of members in non-conventional areas like the Central Excise and Finance. The Regional Council conducted 22 professional development programmes during the year. The Regional Conference organised on 15 & 16 September, 1989 at Hyderabad was inaugurated by Smt. Kumudben Joshi, Hon'ble Governor of Andhra Pradesh. The key-note address was delivered by Shri R. K. Kutty, Managing Director, Bhadrachalam Paperboards Limited. Several Career Counselling meetings organised in various places such as Vellore, Coimbatore, Cochin and Alwaye evinced good response. Thus the Regional Council was able to register 3,660 students during the year.

The Regional Council organised five batches of oral coaching classes attended by about 700 students for Intermediate and Final courses, and three secretarial modular training programmes. It also organised a meeting to commemorate the birth centenary of Pt. Jawaharlal Nehru with a special address by Shri Shyamal Sen, the then President of the Institute on "Nehru's Contribution to the Industrial Development". The lecture meetings held included topics like Transfer of Securities, Abridged Balance Sheet, Amendments to the Reserve Bank Directions, Central Excise and Union Budget, Managerial Appointments, etc. More books for library were added and the monthly newsletter was regularly brought out. Under the Employment Service Scheme, 74 requests from prospective employers were duly responded. All the eleven Chapters in the region reported activities and the Bangalore Chapter obtained the Regional Best Chapter Award once again for the year 1988-89.

Western India Regional Council

The Regional Council comprising the States of Goa, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra and the Union territories of Dadra and Nagar Haveli and Diu and Daman and its constituent Chapters organised a number of group discussions, lecture meetings, study circle meetings, workshops and orientation programmes during the year. The annual Regional Confeence on Meeting the Corporate Challenges of 21st Century—Issues before Professional Executives and Practitioners' was held on 16 & 17. December, 1989 at Baroda. A programme to felicitate the President and the Vice-President of the Institute was organised on January 14, 1990. Both the oral coaching centres in Bombay, viz. ICSI-Sydenham College Training Centre at Churchgate and ICSI-NM College Training Centre at Vile Parle, made good progress. Students from the region won a number of awards and prizes for their excellent performance in the Institute's examinations. The Regional Council also revised its prize awards from June 1990 examinations of the Institute. Five secretrial modular training programmes were held during the year at the premises of the Regional Council. The news bulletin of the Regional Council. 'FOCUS' carrying useful and educative articles, regional news, Chapter news, resumes of conferences, workshops, etc. continued to be published regularly during the year. The Regional Council maintained a well-equipped library at its premises for the benefits of students and members and about 200 members and students were enrolled as members of the library There was a big spurt in the employment for members specially new members and students. The Regional council responded to requisitions from various employers during the year.

All the eight Chapters reported activities and Ahmedabad Chapter again won the Regional Best Chapter Award from Western Region. Pune Chapter was adjudged by the Western India Regional Council as the Best Developing Chapter in the region.

Financial Position and Number of Students and Members in the Regional Councils

The comparative financial position and the number of students and members in the four Regional Councils as reported at the close of the year on 31st March, 1990 were as under :

ITEM	REGIONAL COUNCILS			
	EIRC	NIRC	SIRC	WIRC
(a) Financial Position (in Rupees)				
Surplus for the year ended 31-3-1990	37,917	793	68,903	13,111
Reserves and Surplus as on 31-3-1990	4,97,976	7,37,247	7,23,500	2,72,405
(b) Number of Students and Members				
Students				
as on 31-3-1989	9,191	15,086	14,038	13 079
as on 31-3-1990	9,746	14,860	14,270	12,954
Members				
as on 31-3-1989	1,015	1,564	1,686	2,404
as on 31-3-1990	1,076	1,727	1,818	2,636

APPENDIX 'C'

(Part 1)

GROWTH OF MEMBERS

Year	Total number of			Annual Growth over previous year		Removal from Register			% of total No. of removals to total membership	No. of C.P. Holders	% of C.P. Holders to total membership
	Associate Members	Fellow Members	Total (2+3)	Absolute	%	Due to non-payment	Due to Death	Total (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A 1984-85	4264(81.19)	988(18.81)	5252(100)	306	6.19	83(88.29)	11(11.71)	94 (100)	1.79	672	12.80
1985-86	4405(78.59)	1200(21.41)	5605(100)	353	6.72	98(92.45)	8(7.55)	106(100)	1.89	749	13.36
1986-87	4648(78.25)	1292(21.75)	5940(100)	335	5.98	68(82.92)	14(17.08)	82(100)	1.38	879	14.80
1987-88	4947(78.09)	1388(21.91)	6335(100)	395	6.65	76(86.36)	12(13.64)	88(100)	1.39	1065	16.81
1988-89	5179(77.66)	1490(22.34)	6669(100)	334	5.27	196(92.02)	17(7.98)	213(100)	3.19	1192	17.87
1989-90	5657(77.95)	1600(22.05)	(7257(100)	588	8.81	100(91.74)	9(8.26)	109(100)	1.50	1225	16.88
B Absolute change (1984-85 to 1989-90)	1393(69.48)	612(30.52)	2005(100)					15(100)			
C Percentage change (1984-85 to 1989-90)	32.66	61.94	38.17					15.96			
D Average Annual Growth Rate (%)	6.53	12.38	7.63					3.17			
E Compound Annual Growth Rate (%)	5.82	10.2	6.68					3.00			

Note: Figures in brackets are in percentage □ C.P. = Certificate of Practice

(Part II)

GROWTH OF MEMBERS HOLDING CERTIFICATE OF PRACTICE

	Year	During the year				Total Number of Members holding Certificate of Practice as on 31 March
		Issued	Renewed	Cancelled	Net increase	
	1	2	3	4	5	6
A	1984-85	160	512	44	116	672
	1985-86	145	604	68	77	749
	1986-87	185	694	55	130	879
	1987-88	247	818	61	186	1065
	1988-89	258	934	131	127	1192
	1989-90	122	1103	89	33	1225
B.	Absolute change (1984-85 to 1989-90)					353
C	Percentage Change (1984-85 to 1989-90)					82.29
D	Average Annual Growth rate (%)					16 46
E	Compound Annual Growth rate (%)					12.75

APPENDIX 'D'

LIST OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMMES

1.	July 3-4, 1989	"Investor Protection and Company Law Upadates" at New Delhi.
2.	August 5-6, 1989	ICSI—ICAI Joint Programme on "Corporate Finance and Law" at New Delhi.
3.	October 19-20, 1989	ICSI—BPE Joint Programme on "Legal and Secretarial Management in Government Companies" at Bangalore.
4.	December 14-15, 1989	ICSI—BPE Joint Programme on Emerging Trends in Fiscal, Financial and Legal Aspects Relating to Government Companies" at New Delhi.
5.	February 8-10, 1990	18th National Convention on "The Profession in the Nineties—Emerging Dimensions at Bombay.
6.	March 1-3, 1990	ICSI—Bureau of State Enterprises, Uttar Pradesh, Joint Programme on "Role of Government Directors" at Lucknow.

APPENDIX 'E'

(Part I)

RECOGNITIONS SECURED FOR A COMPANY SECRETARY IN PRACTICE

(Up to July, 1990)

Sl. No.	Statute/Authority	Purpose	When Obtained
1.	STATUTES, RULES AND REGULATIONS		
1.	The Companies Act, 1956 (as amended in 1988)	(i) "Secretary" in whole-time practice defined as a member of the Institute in practice and not in full-time employment [section 2(45A)][1] (ii) For making the statutory declaration in Form 1 of compliance of legal formalities for registration of a company [section 33(2)][1] (iii) For making a verified declaration in Form 19 of compliance for obtaining a certificate of commencement of new business (section 149)[1] (iv) For signing the annual return of listed companies (section 161)[1] (v) To certify that requirements of Schedule XIII have been complied with as regards statutory guidelines for appointment of managerial personnel and payment of managerial remuneration to them without the approval of the Central Government [section 269(2)(2) and Schedule XIII][1]	May 1988 w.e.f. 15-6-1988
2.	The Companies Regulations, 1956	In respect of section 25 Companies, to give a declaration under Regulation 4(ii) that the Memorandum and Articles of Association have been drawn up in conformity with the provisions of the Companies Act and that all the requirements of the Act and the Rules made there under have been duly complied with in respect of registration or matters incidental or supplementary thereto.	July 1989
3.	The Companies Unpaid Dividend (Transfer to General Revenue Account of the Central Government) Rules, 1978—section 205A(6) and Rules 4(1)	To certify in Form 1 that the whole of the amount remaining unpaid or unclaimed for a period of three years from the date of transfer to the special account under sub-sections (1) and (2) of section 205A has been trasferred to the Genreal Revenue Account of the Central Government.	March 1988
4.	Company Law Board (Bench) Rules, 1975- (Rule 28)	To act as authorised representative before the Company Law Board Benches.	December 1975
5.	Wealth-tax Rules, 1957[2] [rule 8A(7)]	Recognised for registering as a valuer of stocks, shares, debentures, etc.	

1. Only secretary in whole time practice is recognised for these purposes.
2. Secretary of a company can also undertake such assignment.

1	3	4
6. Income-tax Act, 1961[1] and Income-tax Rules, 1962[2] [Section 288(2) and Rules 49 and 50][3]	To act as authorised representative before the Income-tax authorities.	July 1979
7. Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission Regulations, 1974[2] (Proviso to Regulation 65)	To act as authorised representative before the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission.	May 1982
8. (i) Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 (Guideline No. F1/8/SE/82 dated 20-8-82)	Certificate to the effect that allotment has been made by the company on the basis approved by the stock exchange.	August 1982
(ii) Press Note No. 14/(2)/SE-85 dated 15-10-1985	In respect of companies which raise capital under the Capital Issues (Control) Act, 1947/Caiptal Issues (Exemption) Order, 1969, a certificate to the effect that shares out of the promoters' quota have been stamped to the effect that such shares shall not be sold/transferred/hypothecated for a period of at least three years from the date o allotmen. of shares.	October 1985
(iii) (a) The Ahmedabad Share and Stock Brokers Association, Ahmedabad (b) Uttar Pradesh Stock Exchange Association Ltd., Kanpur	Inspection of books of accounts and other documents of members of stock exchange required by guideline F. No. 1/4/SE/83 dated 29-1-1983.	Mlarch 1984 April 1984
9. Central Excises and Salt Act, 1944 and Central Excise Rules ,1944 (Section 35Q and Rule 232B) 10. Customs Act, 1962 and Customs (Appeals) Rules, 1982 (Section 146A and Rule 9)	To act as authorised respresentative before the Customs Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal and other authorities.	Otcober 1982
11. Gold (Control) Act, 1968, and Gold (Control) Appeals Rules, 1982 (Section 101A and Rule 9)		
12. The Trade and Merchandise Marks Rules, 1959 (Rule 148)	Qualified to be registered as a trade marks agent.	April 1985
13. Imports & Exports Policy, 1990—93		
Import & Export Policy 1990—93 (Volume I)		
(i) (a) Para 219(1) of Policy and 328(1) of Procedures, Appendix XVIII A and (b) Para 218 (2) (g) of Policy	Certification of (a) export performnce and (b) receipt of sale proceeds in respect of exports made in the base year required to be submitted by a registered exporter/export house to the Chief Controller of Imports & Exports for obtaining Export House/Trading House Certificate.	
(ii) Para 80(1) of Policy and Para 241(4) of Procedures.	Certification regarding the eligible and annual production required for obtaining import licence for the import of spares for after-sale services, by actual users (Industrial).	
(iii) Para 83(4) & (5) of Policy	Certification of particulars of the operating feet and all relevant documents required by (a) a person owning a fleet of at least 25 motor vehicles for importing restricted spares as well as by (b) State Transport Undertaking for their additional requirements.	
(iv) Para 169(2) of Policy	Certification of the year-wise value of sales turnover of ammunition, indigenous or imported, of the eligible licensed arms dealers required for the import of specified type of ammunition. The certificate should mention the No. and date of the valid Arms Dealers Licence held by the applicant on the date of the import application.	
(v) Para 112(1) of Policy	Certification regarding the purchase turnover of books of persons holding valid registration certificate under the concerned Shops and Establishments Statute, for the import of books other than those covered by Open General Licence.	
(vi) Appendix 6, Condition No. 40(vii)(a)	Certification of Annual Sales Turnover of books of Publishers and booksellers holding valid registration certificate under the concerned Shops and Establishments Statute or membership of one of the professional association of publishers/booksellers for the import of boooks covered under the Open General Licence.	

2. Secretary of a company can also undertake such assignment.

3. Under section 288(2) (v) of the Income-tax Act those who have passed the accountancy examination recognised under Rule 50 of the Income-tax Rules only can act as authorised representative. Rule 50 inter alia includes Govt. Diploma holder in Company Secretaryship (G D C S) the Final examination of the Institute of Company Secretaries of India.

1	2	3	
	Handbook of Import-Export Procedures (Vol. I) 1990-93		
	(vii) Appendix XV-G	Certification of export performance required to be submitted by export oriented unit to the Export Commissioner for obtaining Export Performance Certificate.	
	(viii) Appendix XV-E	Certification of the statement of exports under equity participation required claiming REP licence against Indian equity participation in joint ventures abroad.	
	(ix) Appendix XVIII-B	Certification regarding realisation of net foreign exchange required by Export/ Trading House /Star Trading House for claiming additional /special additional licenc	
	(x) Appendix III-A, Part B and Para 220(3) of Procedures	Certification of Statement of requirement, consumption, stocks etc. for import of (a) non-iron & steel items appearing in Appendices 2B and 3A and (b) iron & steel items appearing in Appendices 2B and 3B of the Policy.	
	(xi) Appendix XIX-A, Part II, General Instructions No. 12 and 13	Certification of the Company's Import requirements of raw materials, components and consumables both as regards their technical description/specification and quantity against each item of import, for the execution of the export contracts.	
	(xii) Para 224(3)	Certification of c.i.f. value and quantity of imports made under the Open General Licence during the previous licensing year, in respect of such items which have been shifted to the Limited Permissible List, in the current Import Policy. The certificate is required to be submitted alongwith the application for Automatic Licence, where the Automatic Licence is applied for against the import made under OGL	
	(xiii) Para 314(A(2)(vii) and Appendix XV-M	Certification of the statement of exports of the goods having a nexus with the capital goods sought for import. The certificate is required to be submitted alongwith the application for import of capital goods at a concessional rate of customs duty.	
	Handbook of Import-Export Procedures (Vol. II) 1990-93		
	(xiv) Open General Licence No. 3 /90, Order No. 3/90-93, Conditions No. 3 and 4	Certification of (a) the c.i.f. value or the purchase price of the computer system, required for import of permissible spare parts by the importer; and (b) the c.i.f value of the imported computer sytems, required for the import of spares (permissible and restricted), tools, consumables and technical training materials, testing equipments as also second hand and reconditioned spares by the Computer Maintenance Corporation Ltd.	
II.	INSTITUTIONS		
14.	All India Financial Institutions	Certification with regard to the following:	
	(i) Industrial Development Bank of India	(a) Necessary powers of a company and its directors to enter into an agreement.	July 1981
	(ii) Industrial Finance Corporation of India.	(b) Borrowing limits of a company under section 293 (1)(d) of the Companies Act, 1956, including details of share capital, authorised, issued, subscribed and paid-up, and the actual borrowing	July 1981
	(iii) Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.	(c) List of members of a company	
	(iv) Unit Trust of India	(d) Certificate regarding exemption to proposed borrowing under the Capital Issues (Exemption) Order, 1969	July 1983
	(v) Life Insurance Corporation of India		July 1983
	(vi) General Insurance Corporation of India	(e) Copies of resolutions passed at company meetings to be furnished to financial institutions.	July 1983
	(vii) Industrial Reconstruction Bank of India	-do-(a) to (e)	January 1986
III.	HIGH COURT		
15.	Calcutta High Court (letter No. Cor. 424 dated 9-2-1983)	Introducution panel of practising company secretaries for appointment as receivers, arbitrators, trustees and special officers.	February 1983

4. In addition, certificate in respect of search reports from the records maintained by the Office of the Registrar of Companies will be accepted.

1	2	3	4
IV. BANKS			
16.	Indian Banks Association (Circular No. S.O./69-73-III-C-82/9565 dated 15-4-1983 and Circular No. S.O./69-73-C-86/4763 dated 16-6-1986)	Status/Search Reports for banks	April 1983
V. STATE LEVEL AGENCIES			
17.	State Financial/Industrial Investment/Development Corporations	A. Certification with regard to the following :	
	(i) Himachal Pradesh Financial Corporation, Shimla	(a) Necessary powers of a company and its directors to enter into an agreement. (b) Borrowing limits of a company under section 293 (1)(d) of the Companies Act, 1956, including details of share capital, authorised, issued, subscribed and paid-up and the actual borrowing	July 1982
	(ii) West Bengal Financial Corporation, Calcutta.	-do-	August 1982
	(iii) Maharashtra State Financial Corporation, Bombay.	-do-	April 1984
	(iv) U.P. State Industrial Development Corporation Ltd., Kanpur.	-do-	December 1985
	(v) Assam Industrial Development Corporation Ltd.,[4] Guwahati.	(a) Necessary powers of a company and its directors to enter into an agreement. (b) Borrowing limits of a company under section 293(1)(d) of the Companies Act, 1956, including details of share capital authorised, issued, subscribed and paid-up and the actual borrowing (c) List of members of a company. (d) Certificate regarding exemption to proposed borrowing under the Capital Issues (Exemption) Order, 1969. (e) Copies of resolutions passed at company meetings to be furnished to financial institutions.	March 198 October 1988
	(vi) Gujarat Industrial Investment Corporation Ltd.,[4] Ahmedabad.	-do-	October 1982 August 1986
	(vii) Nagaland Industrial Development Corporation Ltd., Dimapur.	-do-	September 1983
	(viii) Uttar Pradesh Financial Corporation, Kanpur	-do-	September 1983
	(ix) State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Ltd.,[4] Madras.	-do-	October 1983
	(x) The Tamil Nadu Industrial Investmemt Corporation Ltd.,[4] Madras.	-do-	November 1983
	(xi) Karnataka State Industrial Investment and Development Corporation Ltd., Bangalore.	-do-	July 1892 February 1986
	(xii) The Pradeshiya Industrial and Investment Corporation of U.P. Ltd., Lucknow.	-do-	March 1986
	(xiii) Andhra Pradesh State Financial Corporation, Hyderabad.	-do-	June 1982 March 1986
	(xiv) The Punjab State Industrial Development Corporation Ltd., Chandigarh.	-do-	March 1986
	(xv) The State Industrial and Investment Corporation of Maharashtra Ltd., Bombay.	-do-	July 1982 March 1986
	(xvi) Haryana Financial Corporation,[4] Chandigarh	-do-	September 1982 April 1986 & May 1988
	(xvii) Punjab Financial Corporation, Chandigarh	-do-	May 1986
	(xviii) Andhra Pradesh Industrial Development Corporation Ltd., Hyderabad.	-do-	May 1982 June 1986

4. Ibid.

(1)	(2)	(3)	(4)
(xix)	Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd.,[4] Jaipur.	-do- (a) to (e)	August 1986
(xx)	Industrial Promotion and Investment Corporation of Orissa Ltd.,[4] Bhubaneswar.	-do-	September, 1982 August 1986
(xxi)	Gujarat State Financial Corporation,[4] Ahmedabad.	-do-	April 1982 September 1986
(xxii)	The Zoram Industrial Development Corporation Ltd.,[4] Mizoram.	-do-	March 1987
(xxiii)	Kerala State Industrial Development Corporation Limited,[4] Thiruvananthapuram	-do-	August 1986 June 1987
(xxiv)	Rajasthan Financial Corporation,[4] Jaipur	-do-	September 1983 July 1987
(xxv)	West Bengal Industrial Development Corporation Limited,[4] Calcutta.	-do-	July 1987
(xxvi)	Bihar State Financial Corporation,[4] Patna	-do-	January 1988
(xxvii)	Delhi State Financial Corporation,[4] New Delhi	-do-	June 1988
(xxviii)	Manipur Industrial Development Corporation Limited, Imphal	-do-	April 1990
		B. Secretariat Audit	
(i)	Manipur Industrial Development Corporation Limited Imphal	Secretariat Audit, once a year, of the companies assisted by the corporation.	April 1990
(ii)	Assam Industrial Development Corporation Limited, Guwahati.	Secretariat Audit, once a year, of the companies assisted by the Corporation under the IDBI's Refinance Scheme. However, companies having whole-time secretary need not perform Secretariat Audit, provided such Company Secretary submits a certificate of compliance of various provisions of law.	July 1990
VI. GOVERNMENT DEPARTMENT			
18.	Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture.	A practising Company Secretary who is not an employee of any company is recognised to issue a certificate about certain prescribed details of a company chartering foreign fishing vessels, according to the guidelines issued by the Department of Agriculture and Cooperation under their revised Charter Policy, 1986.	July 1987

APPENDIX-'E'

(Part -II)

RECOGNITIONS SECURED FOR COMPANY SECRETARIES FOR PURPOSES OF EMPLOYMENT

Sl. No.	Statute/Authority	Purpose	When Obtained
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ministry of Education	Appointment to superior posts and services under the Central Government.	February 1968 December 1971 July 1981
2.	Section 2(45) of the Companies Act, 1956	"Secretary" redefined to include in the Act itself, a member of the Institute appointed to perform the duties which may be performed by a secretary under the Act and other ministerial and administrative duties.	May 1988 w.e.f. 15-6-1988
3.	Companies (Appointment & Qualifications of Secretary) Rules, 1988	Pass in Intermediate Examination of the Institute for appointment as whole-time secretary in case of companies having paid-up share capital of less than Rs. 25 lakhs.	December 1988
4.	Section 383A of the Companies Act, 1956	Companies having a paid-up share capital of Rs. 25 lakhs or more to employ a whole-time secretary specified in the section in 1975 was prescribed again by notification under the amendment Act of 1988.	February 1975 as amended in December 1988
5.	Government of Andhra Pradesh	For recruitment in public sector undertakings of the the State to superior posts	September 1981
6.	Central Government (Department of Company Affairs)	Qualification for recruitment to Grades I to IV in the Accounts Branch of the Central Company Law Service.	November 1982
7.	Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms.	Empanelment of company secretaries for assignment of Indian experts to the developing countries of Asia, Africa and Latin America.	March 1984
8.	Government of Gujarat, General Administration, Department Circular No. RDD/1077/1120/K dated 16-1-1978 and letter No. RDD/1081/1781/K dated 23-6-1981	Degrees/Diplomas awarded by Universities or other educational institutes established by an Act of the Central or State legislature or by an Act of Parliament automatically recognised for the purpose of recruitment to the posts and services under the State Government.	January 1978 June 1981
9.	Government of Tamil Nadu, Personnel and Administrative Reforms (Personnel R) Department, Order No. G.O. Ms. No. 148 dated 7-3-1988	ACS recognised as one of the qualifications for the purpose of Group 'A' appointments in the State Government Service in the departments concerned with Trade, Commerce, Finance, Commercial Taxes and Industry where such a specialist knowledge is called for.	March 1988
10.	Government of Kerala, Planning & Economic Affairs (BPE) Department, Thiruvananthapuram, Order No. 10180/BPE-2/89/Plg. dated 29-5-1989	Preference to be given to candidates possessing ACS qualification in addition to ACA/ AICWA qualification, for recruitment to the posts of Finance Directors in State Government Undertakings in Kerala.	May 1989

APPENDIX-'E'

(Part -III)

RECOGNITIONS OBTAINED FOR DOING Ph.D. COURSE

UNDER VARIOUS UNIVERSITIES UPTO THE YEAR 1989-90

Sl. No.	Name of University	Reference	Faculty
1.	Bangalore University University City Campus Bangalore.-560 001	Com./17663/85-86 dated 3-4-1986	Commerce
2.	Cochin University of Science & Technology Cochin	Ac. A3/10705/85 dated 25-3-1986	Commerce and allied subjects
3.	Guru Nanak Dev University Amritsar	Gen /Recog/8130 dated 23-4-1981	Commerce
4.	University of Kerala Thiruvananthapuram	Acad. C-3/2034/85 (Recogn.) dated 7-8-1985	Commerce/ Social Science
5.	Maharshi Dayanand University Rohtak	AG-III/R/81-/2375 dated 28-2-1981	Commerce and allied subjects
6.	Mangalore University Office of the Mangalore University Light House Hill Mangalore-575 003	MU/ACC/Ph. D/22/84-85(A5) dated 31-7-1985	Commerce and Allied subjects
7.	Meerut University Meerut		Commerce
8.	Mysore University Viswavidyanilaya Karya Soudha "Crawford Hall" Mysore-570 001	R2/917/84-85 dated 12-12-1985	Commerce
9.	Nagpur University Nagpur	Exam./Recog.5591 dated 21-9-1983	Commerce
10.	University of Poona Ganeshkhind Pune-411 007	Elg/4251 dated 16/19-6-1981	Commerce/Law/ Management
11.	Panjab University Chandigarh-160 014	4416/GM dated 31-3-1983	Business Management and Commerce
12.	Sardar Patel University Vallabh Vidyanagar Gujarat-388 120	D:A: 4/1/8209 dated 26-12-1980	Commerce
13.	South Gujarat University University Campus Udhana-Magdalla Road Surat-395 007	A/Eli/Equi./17388 dated 18/23-2-1981	Open recognition
14.	Shivaji University Vidyanagar Kolhapur-416 004	SU/Eligi./JNV/Equivi/3644 dated 21-12-1988	Commerce
15.	University of Bombay Bombay-400 032	El./C. 121 of 1989 dated 9-1-1989	Commerce
16.	Sri Venkateswara University Tirupati-517 502	CI(6)/25959-Ph. D/79 dated 20-2-1980	Any Subject

APPENDIX 'F'

(Part I)

GROWTH OF STUDENTS

Statement showing Registered Students, Students who completed Intermediate & Final Examinations and Number of Companies imparting training from 1984-85 to 1989-90

	Year	Registered Students (Current)	Students who completed		Number of companies (recognised for practical training
			Intermediate	Final	
A	1984-85	50010	1116	484	480
	1985-86	51670	1275	420	514
	1986-87	51020	1681	510	580
	1987-88	50519	1394	646	661
	1988-89	51459	1234	824	762
	1989-90	52335	1151	779	850
B	Absolute Change (1984-85 to 1989-90)	2325			
C	Percentage Change (1984-85 to 1989-90)	4.65			
D	Average Annual Growth rate (%)	0.93			
E	Compound Annual Growth rate (%)	0.91			

APPENDIX 'F'

(PART II)

STATEMENT SHOWING REGISTRATION OF STUDENTS (QUALIFICATION-WISE)

	1989-90		1988-89		1987-88	
	Absolute Number	% to total	Absolute Number	% to total	Absolute Number	% to total
Part I						
C.A. & C.W.A.	85	0.70	72	0.69	64	0.77
C.W.A.	473	3.90	375	3.61	257	3.09
LL.B.	585	4.83	413	3.98	318	3.82
M.Com.	687	5.67	610	5.87	398	4.78
M.B.A.	110	0.90	95	0.91	72	0.86
Total (Part I)	1940	16.00	1565	15.08	1109	13.32
Part II						
C.A.	612	5.05	572	5.50	547	6.58
B.Com./B.A.(CS)/N.D. Com.	8442	69.63	7275	70.05	5972	71.79
Post-Graduate in other disciplines	325	2.68	226	2.17	168	2.02
Total (Part II)	9379	77.35	8.073	77.74	6687	80.39
Part III						
Others	805	6.64	746	7.18	523	6.29
Grand Total (Parts I to III)	12124	100.00	10384	100.00	8319	100.00

APPENDIX 'G'

NUMBER OF STUDENTS APPEARED AND PASSED

JUNE 1989 SESSION

EXAMINATION		APPEARED	PASSED	PASS PERCENTAGE
Preliminary		56	7	12.50
Intermediate (Old Syllabus)*				
	Group -I	1447	452	31.23
	Group-II	1151	407	35.36
Intermediate (New Syllabus)**				
	Group-I	1913	292	15.26
	Group-II	2611	626	23.97
Final (Old Syllabus)@				
	Group-I	759	257	33.86
	Group-II	1201	344	28.64
	Group-III	1419	284	20.01
Final (New Syllabus)@@				
	Group-I	299	152	50.83
	Group-II	218	67	30.73
	Group-III	278	98	95.25

* 418 candidates appeared for both groups out of whom 59 candidates passed both groups (14.11%)

** 244 candidates appeared for both groups out of whom 26 candidates passed both groups (10.65%)

@ 85 candidates appeared for all groups out of whom 4 candidates passed all groups (4.70%)

@@ 39 candidates appeared for all groups out of whom 13 candidates passed all groups (33.33%)

DECEMBER 1989 SESSION

EXAMINATION		APPEARED	PASSED	PASS PERCENTAGE
Preliminary		86	3	348
Intermediate*				
	Group-I	2325	390	16.77
	Group-II	3246	579	17.83
Final (Old Syllabus)@				
	Group-I	662	271	40.93
	Group-II	1082	345	31.88
	Group-III	1337	243	18.17
Final (New Syllabus)@@				
	Group-I	405	238	58.77
	Group-II	403	221	54.84
	Group-III	461	89	19.30

* 1089 candidates appeared for both groups out of whom 72 candidates passed both groups (6.61%)

@172 candidates appeared for all groups out of whom 10 candidates passed all groups (5.81%)

@@98 candidates appeared for all groups out of whom 25 candidates passed all groups (25.51%)

APPENDIX 'H'

STUDENTS SPONSORED FOR UNDERGOING VARIOUS TRAINING

	No. of Companies recognised as on 31st March				No. of students sponsored during the year ending as on 31st March			
	1987	1988	1989	1990	1987	1988	1989	1990
Management Training	120	262	371	460	16	74	170	125
Practical Training	580	661	762	850	326	432	542	519
Apprenticeship with Company Secretaries in practice	26	32	67	86	25	40	80	82

D.K. SENGUPTA & CO.
Chartered Accountants

P-22, South Extension Part-II
New Delhi-110049
Tel : 6846838
September 11, 1990

AUDITORS' REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of the Institute of Company Secretaries of India as at 31st March, 1990 and the Income & Expenditure Account annexed thereto for the year ended on the date and report as under:—

1. In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the accounts give a true and fair view—

   (a) in the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Institute as at 31st March, 1990; and

   (b) in the case of Income & Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date.

2. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

3. In our opinion, proper books of accounts and records have been kept by the Institute so far as it appears from our examination of these books.

4. The Balance Sheet and the Income & Expenditure Account under report are in agreement with the books of accounts and records maintained.

For D.K. SENGUPTA & CO.
Chartered Accountants

Sd/-

D. K. SENGUPTA

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 1990

	Schedule	1989-90 Rs.	1989-90 Rs.	1988-89 Rs.	1988-89 Rs.
SOURCES OF FUND					
Capital Reserve	1		22,38,425		20,37,025
General Reserve	2		1,80,28,806		1,56,36,204
Building Reserve	3		23,53,307		24,96,332
Total			2,26,20,538		2,01,69,561
APPLICATION OF FUND					
Fixed Assets					
(Written Down Value)	4		1,16,37,065		1,04,57,892
Current Assets	5	1,99,05,580		1,71,53,318	
Less: Current Liabilities and Provisions	6	1,24,46,209	74,59,371	1,03,87,289	67,66,029
Loans and Advances	7		35,24,102		29,45,640
Total			2,26,20,538		2,01,69,561

As per our report of even date
For D.K. SENGUPTA & CO.
Chartered Accountants

Sd/-
D.K. SENGUPTA

Sd/- Sd/- Sd/-

New Delhi
September 11, 1990

T.P. SUBBARAMAN
Secretary & Executive Director

N.J.N. VAZIFDAR
Vice-President

D.C. JAIN
President

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 1990

		Schedule	1989-90 Rs.	1988-89 Rs.
INCOME				
By Fees & Subscriptions from Members and Students		8	1,58,63,761	1,48,68,030
By Subscriptions, Allocations and Advertisements for Chartered Secretary Journal and Student Company Secretary Bulletin			21,43,287	19,60,183
By Receipts from Convention and Professional Development Programmes in excess of direct expenses		9	1,15,020	1,07,096
By Excess provision made for property tax for Headquarters building for previous years	3,61,468			
Less: Transfer to General Reserve	3,61,468		—	—
By Other Income		10	24,91,862	23,95,297
Total			2,06,13,930	1,93,30,606
EXPENDITURE				
To Payments to Employees		11	79,50,856	72,09,415
To Postal Coaching (direct cost)		12	31,05,255	25,95,416
To Research and Professional Development			10,240	23,407
To Professional Training			53,116	54,579
To Printing of Publications and Office Stationery		13	9,22,264	9,33,575
To Printing of Chartered Secretary Journal and Student Company Secretary Bulletin		14	17,08,888	16,37,431
To Travelling and Conveyance		15	6,73,683	6,09,090
To Postage, Telegrams, Telephones and Telex		16	11,22,060	10,48,632
To Examinations			12,51,197	11,17,811
To Rent, Rates and Taxes			1,52,905	2,13,980
To Other Expenses		17	8,28,135	8,68,066
To Professional Services		18	1,51,506	1,47,513
To Grant to Regional Councils/Chapters			11,07,310	7,55,272
To Regional Office Expenses		19	1,67,711	1,68,680
To Audit Fees			10,000	9,000
To Depreciation on Fixed Assets		4	6,72,358	4,15,204
To Student Scholarships and Awards		20	38,356	34,495
To Loss on sale/disposal/write-off of old Fixed Assets			525	476
To Election Expenses for Central and Regional Councils			—	1,46,367
To Provision for Bad and Doubtful Debts			4,250	525
To Excess of Income over Expenditure carried over to Balance Sheet			6,83,315	13,41,672
Total			2,06,13,930	1,93,30,606

As per our report of even date

For D.K. SENGUPTA & CO.
Chartered Accountants

Sd/-
D.K. SENGUPTA

New Delhi
September 11, 1990

Sd/-
T.P. SUBBARAMAN
Secretary & Executive Director

Sd/-
N.J.N. VAZIFDAR
Vice-President

Sd/-
D.C. JAIN
President

CAPITAL RESERVE

SCHEDULE—1

	1989-90 Rs.	1988-89 Rs.
As per last Balance Sheet	20,37,025	18,48,925
Add: Fees capitalised—		
Associate Entrance Fees	1,76,400	1,64,100
Fellow Entrance Fees	25,000	24,000
Total	22,38,425	20,37,025

GENERAL RESERVE

SCHEDULE—2

	1989-90 Rs.	1988-89 Rs.
As per last Balance Sheet	1,56,36,204	1,42,73,955
Add: (1) Transfer from Building Reserve (See Schedule 3)	13,47,819	20,577
(2) Excess provision made for property tax for Headquarters building for previous years	3,61,468	—
(3) Surplus as per Income & Expenditure Account	6,83,315	13,41,672
Total	1,80,28,806	1,56,36,204

BUILDING RESERVE

SCHEDULE—3

			1989-90 Rs.	1988-89 Rs.
As on 1.4.1989 in earmarked fixed deposits			24,96,332	22,58,240
Add: 1. Interest on earmarked fixed deposits			2,39,910	2,58,669
2. Contributions made by Regional Councils/ Chapters in the cost of land/buildings			9,07,781	—
3. Donation for buildings			75,000	—
			37,19,023	25,16,909
Less: 1. Transfer to General Reserve				
—Contributions made by Regional Councils/ Chapters towards cost of land/buildings	8,98,833			
—Cost of land/buildings borne by the Institute	4,48,986	13,47,819		20 577
2. Reduction in the cost of land/buildings of Regional Councils/Chapters		17,897	13,65,716	—
Total			23,53,307	24,96,332

SCHEDULE OF ASSETS ANNEXED TO AND FORMING PART

Sl. No.	Item	Rate of depreciation	GROSS BLOCK			
			Cost as on 14-1-1989	Addition during the year	Sale/adjustment during the year	Total cost as on 31-3-1990
		%	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Land					
	Headquarters	—	58,756	—	—	58,756
	R.O. Delhi	—	2,33,393	—		2,33,393
	R.O. Madras	—	12,00,000	—		12,00,000
	Hyderabad Chapter	—	6,00,000		—	6,00,000
	Jaipur Chapter	—	—	3,31,689	—	3,31,689
2.	Buidings					
	ICSI House	5	36,08,475	—	—	36,08,475
	R.O. Bombay	5	2,58,086	—	—	2,58,086
	R.O. Delhi (under construction)	—	1,36,536	84,027	—	2,20,563
	R.O. Madras	5	7,63,145	—	—	7,63,145
	Ahmedabad Chapter	5	14,59,455	—	—	14,59,455
	Bangalore Chapter	5	8,00,000	—	—	8,00,000
	Baroda Chapter	5	2,47,432	—	13,027	2,34,405
	Dombivli Chapter	5	1,52,700	—	9,740	1,42,960
	Hyderabad Chapter	5	4,22,088	—	—	4,22,088
	Kanpur Chapter	5	—	9,50,000	—	9,50,000
3.	Fans	10	74,381	2,848	—	77,229
4.	Furniture and Fixtures	10	11,40,073	11,004	—	11,51,077
5.	Time Recorder, Tell-Tale and Wall Clocks	10	7,022	—	—	7,022
6.	Adding and Calculating Machines	15	24,222	161	318	24,065
7.	Air Conditioners and Room Coolers	15	1,06,821	1,72,961	—	2,79,782
8.	Air Conditioning and Air Cooling Equipment	15	5,45,000	—	—	5,45,000
9.	Automatic Emergency Lights	15	5,083	—	—	5,083
10.	Bradma Machines	15	96,537	—	—	96,537
11.	Camera	15	974	—	—	974
12.	Computer	15	—	83,600	—	83,600
13.	Duplicattors	15	56,939	—	—	56,939
14.	Franking Machines	15	52,159	—	—	52,159
15.	Generators	15	—	57,833	—	57,833
16.	Hand Driers	15	2,995	—	—	2,995
17.	Heat Convectors	15	468	—	—	468
18.	Intercom Apparatus	15	59,425	1,300	—	60,725
19.	Lawn Mower	15	653	—	—	653
20.	Overhead Projectors with Screens	15	13,382	8,132	—	21,514
21.	Pantry Equipment/Appliances	15	12,457	—	—	12,457
22.	Paper Shredding Machines	15	7,750	5,841	—	13,591
23.	Photostat Machines	15	1,04,066	—	—	1,04,066
24.	Tape Recorders	15	3,358	897	844	3,411
25.	Telephone Diallers and Disconnectors	15	8,646	5,170	—	13,816
26.	Transformers and Voltage Stabillizers	15	21,522	—	—	21,522
27.	Television, VCR and Trolley	15	25,190	280	—	25,470
28.	Typewriters	15	2,90,502	5,986	—	2,96,488
29.	Vacuum Cleaner	15	3,300	—	—	3,300
30.	Water Coolers and Filters	15	67,256	—	—	67,256
31.	Water Meters	15	233	—	—	233
32.	Water Tank	15	—	6,111	—	6,111
33.	Weighing Counters	15	19,309	—	—	19,309
34.	Bicycles	20	2,395	1,191	—	3,586
35.	Library Books	20	7,13,014	81,809	—	7,94,823
36.	Motor Car	20	1,00,765	1,15,572	1,00,765	1,15,572
37.	Cycle/Scooter Shed	33⅓	19,993	—	—	19,933
	Total		**1,35,25,956**	**19,26,412**	**1,24,694**	**1,53,27,674**
	Previous year's figures		1,31,83,329	3,44,211	1,584	1,35,25,956

Note: The rate of depreciation on buildings has been revised from 2 1/2% to 5% for financial year commencing from 1-4-1989.

SCHEDULE—4

OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 1990

DEPRECIATION				WRITTEN DOWN VALU	
Prior to 1-4-1989	For the year	Adjustment during the year	Total	As on 31-3-1990	As on 31-3-1989
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
—	—	—	—	58,756	58,756
—	—	—	—	2,33,393	2,33,393
—	—	—	—	12,00,000	12,00,000
—	—	—	—	6,00,000	6,00,000
—	—	—	—	3,31,689	—
6,52,967	1,47,775	—	8,00,742	28,07,733	29,55,508
72,358	9,286	—	81,644	1,76,442	1,85,728
—	—	—	—	2,20,563	1,36,536
71,426	34,586	—	1,06,012	6,57,133	6,91,719
72,060	69,370	—	1,41,430	13,18,025	13,87,395
39,500	38,025	—	77,525	7,22,475	7,60,500
17,468	10,847	—	28,315	2,06,090	2,29,964
11,168	6,590	—	17,758	1,25,202	1,41,532
20,840	20,062	—	40,902	3,81,186	4,01,248
—	47,500	—	47,500	9,02,500	—
36,611	4,062	—	40,673	36,556	37,770
5,62,989	58,809	—	6,21,798	5,29,279	5,77,084
3,489	353	—	3,842	3,180	3,533
17,564	984	64	18,484	5,581	6,658
64,287	32,324	—	96,611	1,83,171	42,534
3,92,892	22,816	—	4,15,708	1,29,292	1,52,108
3,323	264	—	3,587	1,496	1,760
74,888	3,247	—	78,135	18,402	21,649
376	90	—	466	508	598
—	12,540	—	12,540	71,060	—
31,504	3,816	—	35,320	21,619	25,435
25,708	3,968	—	29,676	22,483	26,451
—	8,675	—	8,675	49,158	—
1,667	199	—	1,866	1,129	1,328
224	37	—	261	207	244
34,002	4,009	—	38,011	22,714	25,423
363	43	—	406	247	290
2,007	2,926	—	4,933	16,581	11,375
7,416	756	—	8,172	4,285	5,041
2,151	1,716	—	3,867	9,724	5,599
65,207	5,829	—	71,036	33,030	38,859
2,121	279	575	1,825	1,586	1,237
3,592	1,534	—	5,126	8,690	5,054
13,426	1,215	—	14,641	6,881	8,096
9,720	2,363	—	12,083	13,387	15,470
1,64,189	19,844	—	1,84,033	1,12,455	1,26,313
1,835	220	—	2,055	1,245	1,465
38,564	4,304	—	42,868	24,388	28,692
169	10	—	179	54	64
—	917	—	917	5,194	—
9,651	1,449	—	11,100	8,209	9,658
1,392	439	—	1,831	1,755	1,003
4,70,956	64,775	—	5,35,731	2,59,092	2,42,058
49,173	23,114	49,174	23,113	92,459	51,592
18,821	391	—	19,212	781	1,172
30,68,064	6,72,358	49,813	36,90,609	1,16,37,065	1,04,57,892
26,53,728	4,15,204	868	30,68,064	1,04,57,892	1,05,29,601

SCHEDULE—5

CURRENT ASSETS

		1989-90 Rs.	1988-89 Rs.
Part I :	Sundry Debtors (unsecured)		
	(a) Considered good		
	More than six months old	24,885	25,578
	Others	1,69,923	2,91,137
	(b) Considered doubtful		
	More than six months old	5,625	1,375
		2,00,433	3,18,090
	(c) Less : Reserve for Bad and Doubtful Debts	5,625	1,375
	Total (Part I)	1,94,808	3,16,715
Part II :	Cash, Bank Balances and Investments		
	(a) Cash and cheques/drafts in hand	10,742	6,779
	(b) Postage stamps in hand and value of balance units in franking machines	70,882	52,801
	(c) With banks in savings bank accounts :		
	Canara Bank —Green Park Extn., New Delhi	11,09,686	5,27,996
	—Bhadra, Ahmedabad	3,30,095	4,63,311
	—Nariman Point, Bombay	4,34,293	—
	—Netaji Subhas Road, Calcutta	49,982	—
	—Nungambakkam, Madras	91,968	—
	Indian Overseas Bank, Golf Links, New Delhi	2,170	2,065
	Indian Bank, Defence Colony, New Delhi	5,059	4,058
	(d) With banks in fixed deposits :		
	Canara Bank, Green Park Extn., New Delhi	36,00,000*	26,00,000
	Indian Bank, Defence Colony, New Delhi	1,00,000	1,00,000
	Bank of India, Karol Bagh, New Delhi	5,00,000	—
	(e) Investment in Bonds :		
	National Thermal Power Corpn. Ltd.	40,00,000**	40,00,000
	Indian Petrochemicals Corpn. Ltd.	10,00,000	10,00,000
	Mahanagar Telephone Nigam Ltd.	2,00,000	2,00,000
	(f) Investment of deposits for institution of prize awards in :		
	Canara Bank, Green Park Extn., New Delhi	32,000	20,000
	National Thermal Power Corpn. Ltd.	10,000	10,000
	National Hydro Power Corpn. Ltd.	20,000	20,000
	Hindustan Photo Films Mfg. Co. Ltd.	10,000	10,000
	(g) Interest accrued	46,99,088	44,18,810
	Total	1,62,75,965	1,34,35,820

*Includes deposit of Rs. 23,53,307 earmrked against Building Reserve.

**Includes investments earmaked against Provision for Gratuity and Provision for Employees' Pension Payable to the tune of Rs. 15,25,351 and Rs. 15,54,804 respectively.

SCHEDULE—5 (Contd.)

	1989-90 Rs.	1988-89 Rs.
Part III : Stock of Publications, Stationery, Paper, Chartered Secretary Journal/ Student Company Secretary Bulletin, Coaching Material, Neck Ties, Saree Brooches, Tie Pin sets and Audio Cassettes as on 31-3-1990		
(a) Publications	5,38,683	4,44,919
(b) Stationery	70,560	71,687
(c) Printing paper	6,30,252	6,71,996
(d) Journal/Student Bulletin	36,297	30,528
(e) Study Material and Plastic Folders	21,28,814	21,49,857
(f) Neck Ties	9,241	4,130
(g) Saree Brooches	2,086	2,666
(h) Tie pin sets	1,740	—
(i) Audio cassettes	17,134	—
Total (Part III)	34,34,807	33,75,783
Part IV : Deferred Revenue Expenditure (To the Extent not written-off) Expenditure on repairs of the ground floor of Headquarters building for absorption in the next year	—	25,000
Total (Part IV)	—	25,000
Grand Total (Parts I+II+III+IV)	1,99,05,580	1,71,53,318

SCHEDULE—6

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

	1989-90 Rs.	1988-89 Rs.
Part I : Current Liabilities		
(a) Student Registration Fee for unexpired services	52,00,475	45,15,514
(b) Receipts from Members in advance	63,692	63,183
(c) Receipts from Souvenir Advertisements in advance (refundable)	2,500	—
(d) Expenses Payable	17,80,528	13,31,075
(e) Audit Fee Payable	3,000	3,000
(f) Donation Payable to Company Secretaries/ICSI Employees Benevolent Funds	61,955	29,276
(g) Due to Regional Councils/Chapters	5,08,660	2,90,033
(h) Delegate fee (adjustable)	16,124	11,999
(i) Sundry Receipts for Payments	1,047	1,047
(j) Earnest/Retention money	98,517	23,577
(k) Deposit for Prize Awards to students (non-refundable)	72,000	72,000
(l) Library Security Deposit	—	25
(m) Lump sum Deposit for Publications	—	3,154
(n) Secretarial Modular Training Programme Fee received in advance	3,595	—
(o) Hotel booking deposit (refundable)	—	940
(p) Sale proceeds payable to M/s. Wadhwa Sales Corporation	21,275	39,706
(q) Contribution from NIRC for ICSI—NIRC Building	7,38,018	7,208
(r) Donations received for buildings of Regional Councils/Chapters (includes current year donation of Rs. 1,18,118)	5,20,619	4,02,501
Total (Part I)	90,92,005	67,97,238
Part II : Provisions		
(a) Water, Electricity, Telephone, Convention and Contingencies	2,58,541	9,85,552
(b) Hospitalisation Scheme	15,508	14,152
(c) Gratuity Payable	15,25,351	13,25,347
(d) Employees' Pension Payable	15,54,804	12,65,000
Total (Part II)	33,54,204	35,90,051
Grand Total (Parts I+II)	1,24,46,209	1,03,80,289

SCHEDULE—7

LOANS AND ADVANCES (UNSECURED AND CONSIDERED GOOD)

	1989-90 Rs.	1988-89 Rs.
(a) Loans and Advances		
Employees	9,49,531	10,63,053
Examination centres	3,010	6,536
Convention/Programmes	38,142	500
Printers /Suppliers (on account)	32,711	7,000
Loans to Regional Councils/Chapters for purchase of buildings	17,54,177	16,20,755
Advance to Contractors (construction of ICSI-NIRC building)	5,30,000	—
(b) Prepaid Expenses		
Insurance premium	14,615	9,718
Rent, Rates and Taxes	5,940	—
Repairs and Renewals	37,913	45,116
Staff Welfare (Personal Accident Insurance)	11,381	12,841
Telephones and Telex	5,091	5,950
Regional Offices	3,500	3,500
Travelling	1,020	—
(c) Sundry Deposits		
Landlords of Regional Office Premises	10,685	10,685
Municipal Taxes and Maintenance (R.O. Bombay)	10,440	10,440
Electricity (R.O. Madras)	1,110	1,110
For LPG Cylinder/Regulator	530	530
With Post Offices	24,900	12,000
For Telephones and Telex	14,000	10,500
With Universities (for prize awards)	35,320	35,320
M/s. Modi Xerox Ltd.	10,800	10,800
M/s. Pure Drinks	786	786
Delhi Electric Supply Undertaking	28,500	28,500
NOIDA (for land)	—	50,000
Total	35,24,102	29,45,640

SCHEDULE—8

FEES AND SUBSCRIPTIONS FROM MEMBERS AND STUDENTS

	Rs.	Rs.	1989-90 Rs.	1988-89 Rs.
Part I : From Members				
(a) Fellow Annual Fees		3,83,104		3,57,600
(b) Fellow Entrance Fees	25,000		24,000	
Less : 100% Transferred to Capital Reserve	25,000	—	24,000	—
(c) Associate Annual Fees		9,30,394		8,77,281
(d) Associate Entrance Fees	1,76,400		1,64,100	
Less : 100% transferred to Capital Reserve	1,76,400	—	1,64,100	—
(e) Membership Restoration Fees		22,200		12,805
(f) Certificate of Practice Annual Fees		2,57,008		2,49,156
(g) List of Members		2,470		1,875
Total (Part I)		15,95,176		14,98,717

Part II : From Students		
(a) Change of Examination Centre Fees	2,200	1,973
(b) Exemption from Preliminary/Intermediate/Final Examination Fees	6,08,286	5,42,267
(c) Final Examination Fees	12,28,079	12,06,314
(d) Intermediate Examination Fees	20,19,394	20,18,263
(e) Preliminary Examination Fees	29,180	27,989
(f) Regulation Fees	19,45,174	18,35,636
(g) Verification of Marks Fees	22,324	18,385
(h) Annual Fees	2,025	7,948
(i) Postal Tuition Fees	82,62,990	76,06,008
(j) Late Fees	93,435	60,745
(k) Licentiate Fees	52,973	41,630
(l) Apprenticeship Training Fees	2,525	2,155
Total (Part II)	1,42,68,585	1,33,69,313
Grand Total (Parts I+II)	1,58,63,761	1,48,68,030

SCHEDULE—9

INCOME FROM CONVENTION AND OTHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMMES

	1989-90		1988-89	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Delegate Fees and Other Receipts				
Delegate Fees				
Convention	6,43,675		5,47,580	
Joint Professional Programmes	78,550		83,217	
Seminar	52,800		23,400	
Contribution				
Convention	70,000		1,41,948	
Advertisements to Souvenir				
Convention	89,085		74,300	
Others				
Income from past Convention	19,085		4,860	8,70,305
		9,53,195		
Less : Direct Expenses				
Convention	7,22,001		6,56,920	
Joint Professional Programmes	55,029		62,919	
Seminar	41,145		22,970	
Past Conventions	—		400	7,43,209
		8,18,175		
		1,35,020		1,27,096
Less : Allocation for donation to Company Secretaries Benevolent Fund and ICSI Employees Benevolent Fund		20,000		20,000
Balance as shown in the Income and Expenditure Account		1,15,020		107,096

SCHEDULE—10

OTHER INCOME

	1989-90	1988-89
	Rs.	Rs.
(a) Sale of Publications	11,21,985	10,85,449
(b) Interest on Bank Balances and from Investments	13,35,149	12,71,927
(c) Interest on Staff Advances	13,702	12,837
(d) Rent from Regional Council/Regional Office Building, Madras	—	7,032
(e) Miscellaneous Income	18,118	17,591
(f) Surplus on sale/disposal/write-off of old fixed assets	2,908	61
(g) Donation for Office Buildings	—	400
Total	24,91,862	23,95,297

SCHEDULE—11

PAYMENTS TO EMPLOYEES

	1989-90 Rs.	1988-89 Rs.
(a) Salaries and Allowances	65,30,770	58,28,366
(b) Staff Welfare	4,70,100	4,37,984
(c) Employer's Contribution to Provident Fund	3,34,571	3,30,284
(d) Gratuity	3,20,568	2,78,098
(e) Pension	2,94,847	3,34,683
Total	79,50,856	72,09,415

SCHEDULE—12

POSTAL COACHING

	Rs.	1989-90 Rs.	Rs.	1988-89 Rs.
(a) Opening Stock as on 1-4-1989				
Study Material	20,04,794		13,36,366	
Paper	4,49,228		13,170	
Plastic Folders	1,45,063		1,36,380	
		25,99,085		14,85,916
(b) *Add* : Expenditure incurred during the year on study material, paper, plastic folders and others		31,69,073		36,91,678
		57,68,158		51,77,594
(c) Less : Closing Stock as on 31-3-1990				
Study Material	19,50,962		20,04,794	
Paper	5,34,089		4,49,228	
Plastic Folders	1,77,852		1,45,063	
		26,62,903		25,99,085
		31,05,255		25,78,509
(d) Add : Balance value of written-off stock brought forward for absorption during the year		—		16,907
Postal Coaching Expenses		31,05,255		25,95,416

SCHEDULE—13

PRINTING OF PUBLICATIONS AND OFFICE STATIONERY

	Rs.	1989-90 Rs.	Rs.	1988-89 Rs
(a) Opening Stock as on 1-4-1989				
Publications	4,44,919		3,27,389	
Stationery	71,687		64,112	
Paper	27,055		24,388	
		5,43,661		4,15,889
(b) Add : Consolidated expenditure incurred during the year on paper, printing of publications and office stationery		9,96,809		10,15,386
		15,40,470		14,31,275
(c) Less : Closing Stock as on 31-3-1990				
Publications	5,38,683		4,44,919	
Stationery	70,560		71,687	
Paper	8,963		27,055	
		6,18,206		5,43,661
		9,22,264		8,87,614
(d) Add : Balance value of written-off stock brought forward for absorption during the year		—		45,961
Printing of Publications and other Stationery Expenses		9,22,264		9,33,575

SCHEDULE—14

PRINTING OF CHARTERED SECRETARY JOURNAL AND STUDENT COMPANY SECRETARY BULLETIN

	1989-90		1988-89	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
(a) Opening Stock as on 1-4-1989				
Journal/Student Company Secretary Bulletin	30,528		51,956	
Paper	1,95,713		1,95,719	
		2,26,241		2,47,675
(b) Add : Expenditure incurred on paper and printing of Journal/Student Company Secretary Bulletin		16,06,144		15,85,479
		18,32,385		18,33,154
(c) Less : Closing Stock as on 31-3-1990				
Journal/Student Company Secretary Bulletin	36,297		30,528	
Paper	87,200		1,95,713	
		1,23,497		2,26,241
		17,08,888		16,06,913
(d) Add : Balance value of written-off stock brought forward for absorption during the year		—		30,518
Direct expenses on priting of Journal/Bulletin		17,08,888		16,37,431

SCHEDULE—15

TRAVELLING AND CONVEYANCE

	1989-90	1988-89
	Rs.	Rs.
(a) Travelling by Council Members	4,53,561	3,60,664
(b) Travelling by others	88,391	1,28,085
(c) Conveyance	1,31,731	1,20,341
Total	6,73,683	6,09,090

SCHEDULE—16

POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES AND TELEX

	1989-90	1988-89
	Rs.	Rs.
(a) Postage and Telegrams	8,11,614	7,14,529
(b) Telephone, Telex and Intercom Expenses	3,10,446	3,34,103
Total	11,22,060	10,48,632

SCHEDULE—17

OTHER EXPENSES

	1989-90	1988-89
	Rs.	Rs.
(a) Advertisement and Publicity	80,425	94,601
(b) Bank charges	23,201	17,474
(c) Building Repairs and Maintenance	51,104	1,37,373
(d) Electricity	1,56,761	1,63,601
(e) Fire, Accident and Fidelity Insurance Premium	15,090	11,391
(f) Hindi Promotional Expenses	2,100	1,525
(g) Internal audit expenses	18,000	—
(h) Legal	83,225	37,428
(i) Meeting and Promotional Expenses	42,499	60,139
(j) Motor Car Expenses	33,057	48,369
(k) Newspapers and Periodicals	34,559	7,274
(l) Office Miscellaneous	18,909	35,353
(m) Office Up-keep and Maintenance	48,290	39,095
(n) Packing, Cartage and Freight	1,17,564	1,21,956
(o) Repairs and Renewals	1,03,351	92,487
Total	8,28,135	8,68,066

SCHEDULE—18

PROFESSIONAL SERVICES

	1989-90 Rs.	1988-89 Rs.
(a) Charges for Computerisation Services	1,48,395	1,41,763
(b) Others	3,111	5,750
Total	1,51,506	1,47,513

SCHEDULE—19

REGIONAL OFFICE EXPENSES

	1989-90					1988-89
	Bombay Rs.	Calcutta Rs.	Delhi Rs.	Madras Rs.	Total Rs.	Rs.
(a) Rent, Rates and Taxes	39,240	47,400	36,200	23,489	1,46,329	1,47,874
(b) Other Office Expenses	5,730	5,106	5,000	5,546	21,382	20,806
Total	44,970	52,506	41,200	29,035	1,67,711	1,68,680

SCHEDULE—20

STUDENT SCHOLARSHIPS AND AWARDS

	1989-90 Rs.	1988-89 Rs.
(a) Merit Scholarships and Merit-cum-Means Assistance	37,530	36,100
(b) Prize Awards (including expenses on journeys)	14,936	6,694
	52,466	42,794
(c) Less : Interest earned on deposits for institution of prize awards	14,110	8,299
Total	38,356	34,495

As per our report of even date
For D.K. SENGUPTA & CO.
Chartered Accountants

Sd/-
D.K. SENGUPTA

New Delhi	Sd/-	Sd/-	Sd/-
September 11, 1990	T.P. SUBBARAMAN Secretary & Executive Director	N.J.N. VAZIFDAR Vice-President	D.C. JAIN President

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990